

Khalasis working on Southern Railway

1421. { Shri Mohsin:
Shri Vasantao Patil:

Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a number of khalasis are working in Kudchi Section of the Southern Railway (Hubli Division) for nearly 10 years continuously;

(b) whether it is a fact that they have not been made permanent yet; and

(c) if so, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Shahnawaz Khan): (a) No.

(b) and (c). Do not arise.

12.03 hrs.

OBITUARY REFERENCE

Mr. Speaker: I have to inform the House of the sad demise of Shri S. Guruswami who passed away on the 2nd September, 1963 at Madras at the age of 60.

Shri Guruswami was a member of the Central Legislative Assembly during the years 1946-47.

We deeply mourn the loss of this friend and I am sure the House will join me in conveying our condolences to the bereaved family.

The House may stand in silence for a short while to express its sorrow.

The Members then stood in silence for a short while.

12.04 hrs.

PAPER LAID ON THE TABLE

NOTIFICATION UNDER MERCHANT SHIPPING ACT, 1958

The Minister of Shipping in the Ministry of Transport and Communications (Shri Raj Bahadur): Sir, I beg to lay on the Table a copy of the National Welfare Board for Seafarers Rules, 1963, published in Notification No. G.S.R. 1187, dated the 13th July, 1963, under sub-section (3) of section 458 of the Merchant Shipping Act, 1958. [Placed in Library, see No. LT-1625|63].

12.04½ hrs.

FINANCIAL COMMITTEES, 1962-63—
(A REVIEW)

Secretary: I beg to lay on the Table a copy of "Financial Committees, 1962-63—(A Review)".

12.04½ hrs.

MOTION RE: REPORTS OF COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES—Contd.

Mr. Speaker: The House will now take up further consideration of the following motion moved by Shrimati M. Chandrasekhar on the 2nd September, 1963, namely:—

"That this House takes note of the Tenth and Eleventh Reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the years 1960-61 and 1961-62, laid on the Table of the House on the 15th June, 1962, and 16th August 1963, respectively."

Out of 10 hours, two hours and 20 minutes have already been exhausted. 7 hours and 40 minutes remain.

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad): By your leave, may I make a brief request? The Defence Minister placed a statement yesterday on

[Shri Hari Vishnu Kamath]
the Table of the House regarding the NEFA enquiry. May I request you and the Defence Minister that in view of the importance of the subject, the Government itself may make a motion for consideration of that statement? It will be much better if the motion is made by the Government—not from this side but by the Minister himself, and if a motion is made by him, we should get two days.

Mr. Speaker: It would be much better if he had written to me about it, and now also I will advise him to write to me.

Shri P. K. Deo (Kalahandi): Several notices have already been given.

Shri Hem Barua (Gauhati): Several adjournment motions were also given notice of about this.

Mr. Speaker: Can there be an adjournment motion when a discussion is already fixed?

Shri Hem Barua: No.

Mr. Speaker: Then, when the discussion is already fixed, Shri Hem Barua knows that there cannot be any adjournment motion about it.

Shri Hem Barua: The foibles and facts pinpointed in that statement of the hon. Minister are sufficient to throw out any Government. They are so glaring and startling.

Mr. Speaker: Should I write that order!

Shri Hem Barua: Therefore, we wanted an adjournment motion.

Mr. Speaker: Order, order. He may kindly resume his seat.

श्री काशी राम गुप्त (भलवर) :
अध्यक्ष महोदय, यह जो दो रिपोर्टें हमारे सामने हैं उन के विषय में बहुत से महानुभाव मेरे पहले बोल चुके हैं। इन रिपोर्टों को चार विभागों में विभक्त किया जा सकता है। एक जो सरकार की तरफ से है, एक जो कमिश्नर की तरफ से है, एक जो जनता से सम्बन्धित है और एक जो नेताओं से सम्बन्धित है। मैं आप के द्वारा मंत्री महोदय का ध्यान पहले इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूँ विशेषकर जन नेताओं से सम्बन्धित है, और जिस का रिपोर्ट में उस प्रकार से जिक्र नहीं है जिस प्रकार से होना चाहिये। कल से मैं देख रहा हूँ कि चाहे वे कांग्रेस दल के सदस्य हों अथवा विरोधी दल के, वे केवल कमिश्नर की कमजोरियों को बतलाने की कोशिश करते हैं या उस का इल्जाम सरकार के ऊपर लगाते हैं। लेकिन जो काम उन का स्वयम् का है, उस के बारे में वह उतना जिक्र नहीं करते। आज बहुत सी बातें हैं जिन के सम्बन्ध में हम कहते हैं कि हरिजनों और आदिवासियों को अभी तक समाज में स्थान नहीं मिला है, जैसे छोड़े पर चढ़ने का प्रश्न है विवाहोत्सव में या उन को समानता देने का प्रश्न है, इस के ऊपर कानूनी कार्रवाई बहुत काफी नहीं हो सकती है। उस में कुछ जन सहयोग की आवश्यकता होती है। मुझे आश्चर्य होता है इस बात पर कि विशेषकर हमारे कांग्रेस दल के लोग, जिन्होंने अपने दल की सदस्यता के विधान में भी लिखा हुआ है कि उन के कर्मठ सदस्य को अछूतोद्धार का पालन करने की आवश्यकता है, नियम है उस में शराबबन्दी आदि के सम्बन्ध में भी, फिर वे लोग इस तादाद में होते हुए भी, जैसा कि व कहते हैं कि उन का संगठन देश-

व्यापी है, ग्राम ग्राम में उन के मंडल हैं, उस को कामयाब करने में सफल नहीं हो पाते । इस का रहस्य क्या है ? इस का वास्तविक रहस्य यह है कि यह लोग या तो स्वयम् उस में विश्वास नहीं करते या वे यह आवश्यक नहीं समझते कि कानून बनने के बाद वे उस में कुछ कड़ाई दिखायें । मैं आप से निवेदन करूंगा कि यह प्रवृत्ति बहुत घातक है । केवल कानून बनने से काम नहीं चल सकता जब तक कि हम लोग उस कानून का पालन करवाना अनिवार्य न बनायें । इस मामले में केवल कमिशनर और उन का जो शासन प्रबन्ध है वह काफी नहीं हो सकता है । अपितु इस के लिये जरूरी है कि जो जनता के नेता लोग हैं वे सामने आयें ।

कल मैं देख रहा था कि श्री म० ला० वर्मा कह रहे थे कि हमारे कुछ सज्जनों ने इधर से आवाज लगाई कि आज भी यह सब बातें हो रही हैं । यह ठीक है कि यह बात हो रही है । लेकिन इस की जिम्मेदारी किस के ऊपर है ? इस की जिम्मेदारी केवल सरकार के ऊपर नहीं है, इस की जिम्मेदारी हम सब पर है । आज एक ऐसी प्रवृत्ति हो चली है कि जो लोग अनुसूचित जातियों या हरिजनों से सम्बन्धित हैं, उन के प्रतिनिधि के रूप में यहां आये हैं, वे शायद यह समझते हैं कि उन की बातों में ज्यादा वजन है, वे ही इस बारे में ज्यादा फिक्रमन्द हैं और दूसरे लोग फिक्र करना छोड़ चुके हैं । जब कि वास्तव में इस काम की शुरुआत भी सवर्णों से हुई और आज भी बहुत से सवर्ण लोग इस काम में दत्त चित्त से लगे हुए हैं ।

एक माननीय सदस्य : अगर यह बात होती तो इस समय सदन में उनकी तादाद इतनी कम न होती ।

श्री काशीराम गुप्त : जहां तक तादाद का प्रश्न है, यह सदन का स्वभाव है कि जो लोग किसी विषय में दिलचस्पी नहीं रखते हैं वे उठ कर चले जाते हैं । किस किस बात

की आप फिक्र करेंगे । इस हाउस में यह रोजमर्रा देखते हैं । यह किसी एक बात के लिए नहीं कहा जा सकता । यह हमारा स्वभाव बन गया है कि प्रश्नोत्तर के बाद सदस्य उठ कर चले जाते हैं ।

मैं निवेदन करूँ कि कुछ ऐसे काम हो गये हैं कि उनका नतीजा उलटा हो गया है । मिसाल के तौर पर राजस्थान में बहुत बड़े हिस्से में हरिजन लोग खाल रंगने का काम करते थे । उस काम को हरिजनों ने छोड़ दिया, और छोड़ा इसलिए कि उनके नेताओं ने उन को बताया कि यह बहुत गन्दा काम है और इस को नहीं करना चाहिए । नतीजा यह हुआ कि उन लोगों को दूसरा काम तो मिला नहीं, वे गरीब होते चले गये, और उस काम को दूसरे लोगों ने हथिया लिया और पंचायतों ने उनको उसके लिए ठेके देने शुरू कर दिये । लेकिन यह बात इस रिपोर्ट में दर्ज नहीं है । मालूम होता है कि जो कुछ नौचे के कर्मचारी लिख कर भेज देते हैं उसी को अफसर स्वीकार कर लेते हैं । आज भी यही अवस्था है । जो लोग अपना पेशा छोड़ देते हैं और उन को दूसरा पेशा नहीं मिलता, तो उस से बड़ी मुसीबत पैदा होती है और उन लोगों को लाभ नहीं होता ।

इसी प्रकार से जमीन का सवाल है । भूमि हीनों का प्रश्न है । भूमि हीन हरिजन भी हैं और गैर हरिजन भी हैं । लेकिन हम भूमिहीन हरिजनों को प्राथमिकता इसलिए देते हैं कि बहुत लम्बे अरसे से वे बहुत दबे रहते आये हैं, अन्यथा गरीबी की हालत में तो दूसरे भी हैं । लेकिन अब उनके लिए एक अड़चन पैदा हो गया है । वह यह है कि जब से लड़ाई शुरू हुई है तब से यह हो गया है कि जो फौज में काम करने वाले हैं उन को जमीन मिलेगी । लेकिन जमीन रबड़ तो है नहीं जो बढ़ जाये । तो अब सवाल पैदा हो गया है कि पहले हरिजनों को मिले या फौजी लोगों को मिले । इस विषय में कमीशन चुप है । वह समझती है कि नीति अभी

[काशीराम गुप्त]

निर्धारित की गयी है। वास्तव में यह नीति तो पहले से निर्धारित है अब जरा जोर से इस पर अमल होने लगा है। मैं निवेदन करूंगा कि इस विषय में सरकार की नीति स्पष्ट होनी चाहिए। ऐसा न होने का परिणाम यह हो रहा है कि कहीं पर तो हरिजन मारे मारे फिर रहे हैं और कहीं पर फौजी लोग मारे मारे फिर रहे हैं। इस बारे में स्पष्ट नीति की घोषणा होनी चाहिए।

सन् १९७० तक जो भी सुविधाएं हैं उन को प्राप्त करने के लिए तेजी से काम करने की आवश्यकता है, किन्तु यह तेजी दिखायी नहीं दे रही है और हमारे कमिश्नर बहुत सी बातों को राज्य सरकारों के सिर पर थोप देते हैं, और राज्य सरकारें इस काम को क्यों नहीं कर पातीं इस के बारे में कुछ नहीं कहते। क्या कारण है कि जब कि राज्यों में भी कांग्रेस की ही सरकारें हैं फिर भी इस काम में लापरवाही करती हैं। अगर राज्य में कांग्रेस से भिन्न सरकारें होतीं तब तो यह लापरवाही समझ में आ सकती थी। लेकिन अब तो इस लापरवाही के कारण में जाना बहुत आवश्यक है।

रिपोर्ट में पहले पृष्ठ पर लिखा है कि एक और असिस्टेंट कमिश्नर की जरूरत है। होम मिनिस्ट्री भी इस से सहमत है किन्तु सरकार नहीं मान रही है। इस छोटी सी बात के लिए सरकार क्यों नहीं मान रही वह एक अद्भुत बात है और इस बारे में कमिश्नर साहब कुछ विशेष बता नहीं सके हैं।

जहां तक इस बात का प्रश्न है कि इन लोगों की आर्थिक और सामाजिक अवस्था सुधरे, इस में तो कोई दो मत हो ही नहीं सकते। किन्तु जहां तक पढ़ाई का प्रश्न है उसके बारे में हमारे बहुत से भाइयों ने चर्चा की है और इन लोगों का ऊंची नौकरियों में न लिए जाने की जो शिकायत है वह सही है।

आप को देखना होगा कि अगर वे ऊंची नौकरियों के लायक योग्य नहीं हो पाये हैं और उनके लिए आगे नहीं बढ़ पाये हैं तो उसकी क्या वजह है। वे लोग आगे बढ़ें इसके लिए विशेष व्यवस्था करनी होगी। इन में जो अच्छे और होनहार लड़के हैं उन को कैसे आगे बढ़ाया जाये यह सोचना चाहिए। वे अपने आप आगे आ सकें यह सम्भव नहीं है। सरकार यह कहती है कि जो आगे आवेंगे उन को देख लेंगे अन्यथा नहीं। वास्तव में बात यह है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वे स्वयं अपने बच्चों को आगे नहीं ला सकते। उन को विशेष व्यवस्था कर के आगे बढ़ाना होगा। इस प्रकार का प्रयास जरूरी है, और ऐसा होगा तभी इन लोगों की उन्नति हो सकेगी। और इन की यह शिकायत दूर हो सकेगी कि वे ऊंची नौकरियों में नहीं लिये जाते।

मैं एक और बात की ओर खास तौर पर आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हरिजनों के जो लड़के मैट्रिक पास हो गये हैं वे काफी तादाद में नौकरियों के योग्य हैं, लेकिन उन को नौकरियां नहीं मिलतीं। राजस्थान में साढ़े बारह प्रतिशत स्थान उनके लिए सुरक्षित हैं लेकिन उन को भी भरने में आनाकानी हो जाती है। इस में भी कुछ रहस्य है। कुछ लोगों के असर होते हैं और कुछ लोग उसका नतीजा दूसरा निकाल लेते हैं।

एक और बात की तरफ आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं। राज्यों में यह प्रवृत्ति है कि जो लोग किसी जाति विशेष के होते हैं वे यही समझते हैं कि केवल उनके प्रतिनिधि ही उन में दिलचस्पी रखते हैं दूसरे नहीं। यह प्रवृत्ति बहुत बढ़ गयी है। अगर कोई मिनिस्टर है तो वह सोचता है कि जिस जाति से वह सम्बन्धित है उसके लोगों से ही उस को मतलब है। यह प्रवृत्ति घातक है। और इस को दूर करना आवश्यक है।

अन्त में मैं यह निवेदन करूँ कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स में भी आपस में भिन्नता है, वे आपस में भी ठीक तरह नहीं मिलते हैं और हम इस समस्या को हल करने में नाकामयाब रहे हैं। हम ने कई स्थानों पर उन के लिए अलग कुएँ बनवाये। लेकिन नतीजा यह हुआ कि फिर भी जाति पांत बनी रही। यह नहीं हुआ कि सवर्ण उनके कूँओं पर आते और वे सवर्णों के कुँवाँ पर जाते। मेरा विचार है कि यह काम केवल कानून से नहीं होगा। इस के लिए तो पंचायतों को, पंचायत समितियों को और राजनीतिक दलों को मिल कर काम करना चाहिए तभी इस में कामयाबी हो सकेगी।

इस रिपोर्ट में बहुत सी बातें संगठन से सम्बन्धित हैं। बहुत सी बातें राजनीतिक दलों से सम्बन्धित हैं और बहुत सी बातें नेताओं से सम्बन्धित हैं। मैं नेताओं से अपील करूँगा कि वे पहले अपने कर्तव्य को निभाने का प्रयास करें, वे ऐसा करेंगे तभी हरिजनों की उन्नति हो सकेगी, अन्यथा नहीं। केवल कानून से उन्नति नहीं हो सकती।

Shri N. R. Laskar (Karimganj): Mr. Speaker, Sir, we are discussing the Tenth and Eleventh Reports submitted by the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, as it is the practice to discuss these reports on the floor of the House each year because it is a function enjoined on us by the Constitution. Under article 340 of the Constitution, a copy of the report has to be placed on the Table of the House for discussion by members. It is only through this report that the Central Government, the various State Governments and the country at large can know the progress made or achieved for the betterment and advancement of the backward classes.

In that sense, the report under discussion is a very important one and deserves full recognition from all quarters, including the State Govern-

ments. Since the various State Governments are responsible for the implementation of the various schemes, the State Governments and the other agencies should also recognise the importance of this report and try to implement or carry out the recommendations made in that report. Otherwise, the object with which this report is presented to the House will not be achieved. If the discussion of this report is for discussion's sake and the various agencies fail to implement the various suggestions made in the report, then there is no point in submitting this report every year to the House.

Year after year, we notice, the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, had to complain that he was not getting full co-operation and appreciable response from the various State Governments and Union territories in this regard. Even in the latest report, that is, the Eleventh Report, covering the period 1961-62 shows a huge shortfall of expenditure both in the Central and State sectors. If we cannot utilise even the meagre sum allotted in the Plan, how can we hope to improve the lot of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the near future?

However, Sir, it is a matter of great satisfaction that the various State Governments are now coming forward and trying to improve the social and economic condition of these people. It is a good sign, no doubt. But, in spite of all efforts, the progress has not been to the extent that we wanted it to be. No doubt, the Scheduled Caste and Scheduled Tribe people have progressed to some extent in the educational field, which is no mean achievement, but, so far as the economic and social position of these people is concerned, I am sorry to say that not only has there been no progress but, in some cases there has been even deterioration. In the economic field, these people continue to live in the same primitive conditions in which their forefathers lived.

[Shri N. R. Laskar]

12.20 hrs.

The intake in the higher and lower cadres of Government services is quite inadequate. Sir, if you look into the Report, on page 129, paragraph 19:3, you will find that it is reported there that the progress is not at all good. Though reservation of posts in the case of Scheduled Castes is 12½ per cent and that of Scheduled Tribes 5 per cent, we find from the Report that till the 1st January, 1962, in Class I service the representation of Scheduled Castes is only 1.08 per cent. Though it was constitutionally agreed to give them 12½ per cent reservation, up to 1962 it comes only up to 1½ per cent. In Class II services it is the same repetition. In the case of Scheduled Tribes it comes to 28 per cent. In Class III, it is 7.10 per cent. for Scheduled Castes and only 80 per cent in the case of Scheduled Tribes. All these figures show that the intake in the services is not good at all.

The reason advanced for this is that there are no suitable candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes to fill up these vacancies. I think, it is not always correct. If we look to their background, we can see that these people who are coming forward to compete for suitable posts have such an economic and social background and environment that they cannot compete with other more fortunate people who are there in our country. I have no doubt that if these people are placed at par with the other privileged classes of our society, they will not only compete with them but will do much better.

Also, it has been seen in the case of Class I services that these people have done well in written examinations but they do not do well in the viva voce examination. Most probably it is because they do not impress the selectors as they, I mean the members of selection Board, are not accustomed to the environment from which those weaker section of people are coming. So, I suggest to the Government that the U.P.S.C. or like

bodies should not be strict in viva voce examination and if possible, in suitable cases, candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes may be exempted from viva-voce examination.

If you look at the employment exchange figures, it will be found that a large number of people are on the waiting list. At the end of the year 1961 as many as 7,81,000 and odd Scheduled Castes people still remained to be employed. So, what is needed is to give them training for suitable jobs make them fit for the various posts and employ them. Unless that is done I do not think this problem will be solved at all. So, what is needed most is to make them fit for the various types of posts reserved for them by giving them necessary training. The provisions of articles 16(4) and 335 of the Constitution should not be violated on the plea of non-availability of suitable candidates.

At the Delhi Convention it was suggested that there should be stricter enforcement not only with regard to entry into public services but also in regard to promotion. But it gave no indication of the intention to make greater use of the facilities which might in the long run render such reservation unnecessary.

Also, we find why these people are suffering in the educational field and are not making rapid progress at all. It is mentioned in the Report that scholarships should be paid to the students as early as possible. I know in my State in some cases this year the scholarship was given at the fag-end of the year. As these people are coming from rural areas, they have no houses to live in the town and have no money to pay admission and other fees. So, if the scholarships are not given to them at the earliest possible time, then they are not in a position to start their career. So, every step should be taken to see that they get admission and find lodging or accommodation in the town or college hostels. If all these things are not done, it may not be possible for these people to come forward.

Then, we find that some steps have been taken by some State Governments in regard to the filling up of vacancies reserved for scheduled castes and scheduled tribes. We know the Rajasthan Government has taken some steps. The Rajasthan Government has appointed a high-power committee to fill up the vacancies reserved for scheduled castes and scheduled tribes in the various departments. If all the State Governments appoint such committees, it will be better, but I do not know Sir, how many States have done this uptill now.

Now, the scheduled castes and scheduled tribes people constitute among themselves one-fifth of the total population of our country, that is, about 80 to 90 million people. The problem of improving the lot of these huge masses of our people should be treated like a national problem. It is a national problem. I doubt whether the Government is thinking on that line. We should also educate the weaker sections of the population regarding the facilities the Government is trying to offer them. We should also educate the general public regarding the seriousness of this problem unless these people are brought at part with other sections of people in our country, the country, as a whole, cannot advance. There is no doubt about that. If we want to march ahead, we have to march along with these weaker sections of the population. If we cannot improve the economic position of the weaker sections of the population, then we cannot claim, that we have progressed. I am glad that the Government is trying to improve the conditions of these people.

7

Lastly, I would like to suggest that in order to evaluate the progress made by the scheduled castes and scheduled tribes during the last few years, a commission like that of Debharbhai Commission should be constituted. The people of these weaker sections and also the Members in this House have

been demanding this. I hope the Government will do something in this regard.

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास कोई ४० माननीय सदस्यों की फेहरिस्त आ चुकी है जोकि बोलना चाहते हैं और अभी और भी चिट्स आ रही हैं। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि जितना संक्षेप में हो सके, बोलें और कम से कम वक्त में अपने भाषण समाप्त करें ताकि अधिक से अधिक मੈम्बर्स को बोलने का मौका मिल सके। श्री ओंकार लाल बेरवा।

श्री ओंकार लाल बेरवा (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी खुशी की बात है कि शैड्यूलड कास्ट्स और शैड्यूलड ट्राइब्स कमिश्नर की सन् १९६०-६१ की रिपोर्ट आज पेश की जा रही है भले ही २२ कोई तीन साल बाद पेश की जा रही है। लेकिन जहां मुझे उसके पेश किये जाने से प्रसन्नता है मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि मुझे इसका बड़ा दुःख है कि यह इतनी देर बाद क्यों पेश की गई। अगर और कोई रिपोर्ट रही होती तो शायद वह तभी उसी सेशन में रख दी गई होती और उस पर विचार समाप्त हो गया होता। इतनी देरी से उस रिपोर्ट को विचारार्थ रक्खा जाना साफ जाहिर करता है कि सरकार इस ओर कैसी लापरवाही और उपेक्षा बर्तती है। अगर और कोई रिपोर्ट रही होती तो शायद उसी पीरियड में उस पर विचार कर लिया जाता। खैर देर से ही सही उस पर विचार तो शुरू हुआ और इस के लिए सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।

लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि शैड्यूलड कास्ट वालों के जितने भी कानून बनाये जाते हैं वे सारे के सारे कागजों तक ही रह जाते हैं। मैं ने एक प्रश्न भी किया था कि अस्पृश्यता के अपराध में अब तक कितने लोग पकड़े गये और कितने दंडित किये गये तो मुझे बतलाया गया कि जब से इस का कानून बना है तब से

[अधिकारवाला जेरवा]

केवल १३ आदमी इस में पकड़े गये हैं। उन पर कोई ग्रास बढ़ा जुर्माना वगैरह नहीं हुआ, केवल २, २ और ४, ४ रुपये जुर्माना कर के उन को छोड़ दिया गया। मेरा निवेदन है कि अगर सरकार वास्तव में चाहती है कि शैड्यूल्ड कास्ट्स वाले उन्नति करें और आगे बढ़ें तो इस अस्पृश्यता सम्बन्धी कानून को सख्ती से अमल में लाया जाय ताकि लोग छुआछूत करने से डरें और जब इस कानून का कठोरता के साथ पालन होगा तभी लोग छुआछूत व अस्पृश्यता बर्तने से रुकेंगे अन्यथा नहीं।

इसके अतिरिक्त जितनी भी उनको छात्रवृत्तियां मिलती हैं और दूसरे विकास कार्य किये जाते हैं वे सब शहरों के अन्दर ही होते हैं। छात्रवृत्तियां आदि शहरों तक ही सीमित रहती हैं। गांवों में, जहां पर पहाड़ी एरिया है, जंगल हैं, उन को कोई छात्रवृत्तियां नहीं मिलती हैं और उन का कोई उद्धार नहीं होता है। इस समय वे आटे की तरह पिस रहे हैं। पंचायत-राज स्थापित हुआ है, लेकिन पंचायतों में गुटबन्दी होने के कारण वे और भी ज्यादा पिसने लगे हैं। मान लीजिये कि केन्द्रीय सरकार ने एक लाख रुपया दिया। तो राज्य सरकार और पंचायतों के हाथ में जाते जाते वह एक हजार रह जाता है। वह सारा रुपया कपूर की तरह उड़ जाता है और उन बेचारों को उस में से कुछ ही रुपया मिल पाता है।

जितनी भी कालोनीज बनी हैं, वे सारी की सारी अधूरी पड़ी हुई हैं। ब्यावर में कंजर कालोनी, कालेड़ा में आदिवासी कालोनी, रंगवाड़ी कोटा में भील कालोनी और कोटा-कैथून के पास रामनगर कालोनी, इन सब की यही स्थिति है। अगर मैं आप को शाहाबाद का थोड़ा हाल सुनाऊं, तो आप ताज्जुब करेंगे। माननीय मंत्राणी जी स्वयं देख कर आई हैं कि शाहाबाद में आदिवासियों का क्या हाल है। वहां पर गवर्नमेंट ने कम से कम एक करोड़ रुपया खर्च किया है। मैं स्वयं वहां पर

देख कर आया हूं और मैं जानता हूं कि एक करोड़ रुपये के साथ कैसे खिलवाड़ किया गया है। कल माननीय सदस्य, श्री वर्मा, ने कहा कि सब कुछ ठीक हुआ है, लेकिन मैं फिर भी यह कहता हूं कि एक करोड़ रुपये में से ५० लाख रुपये गायब कर दिये गये हैं। मैं मांग करता हूं कि इस की जांच न्यायालय के द्वारा होनी चाहिए। अगर यह ५० लाख रुपये का घोटाला न निकला, तो मैं संसद से त्यागपत्र दे दूंगा, वरना श्री वर्मा दें; और वह जो कहेंगे, वह मैं करूंगा।

मैं ने खुद देखा है कि आदिवासियों के लिए १८६ कुएं खोदे गये हैं, जिन में से सिर्फ दो में पानी है और बाकी कुओं में मिट्टी भी नहीं है। थोड़े थोड़े से गढ़े खोद रखे हैं। एक जगह १०० कुएं खोदे गये हैं, लेकिन उन को तालाब में ले लिया गया है और कह दिया गया है कि ये तालाब में आ गये हैं। एक जगह उन के लिए ४८,००० रुपये का बांध बनाया गया है, लेकिन वहां पर ४८०० फ्रीट पत्थर भी नहीं है। मैं ने चारों तरफ जा कर देखा है। परानिया में भी २२० मकान बनाये गये हैं, जिन पर २,३२,०२३ रुपये खर्च हुए हैं। वहां पर सिर्फ ७५ मकानों में आदमी रहते हैं और बाकी सारे वीरान पड़ हुए हैं। वे मकान भी धंसने वाले हैं। अगर मैं आप को उन लोगों और बच्चों का फोटो दिखाऊं, तो आप को पता चलेगा कि वे क्या पहने हुए हैं और उन की क्या दशा है। माननीय सदस्य, श्री वर्मा, यहां पर कहते हैं कि उन का बड़ा उद्धार किया गया है, लेकिन उन के बदन पर कपड़ भी नहीं हैं।

माननीय मंत्राणी जी उन को देखने के लिए गई थीं। मैं ने उन को टेलीफोन किया कि अगर आप जांच करने के लिए आई हैं, तो मैं आप के साथ चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन उन्होंने इन्कार कर दिया और कहा कि मैं जांच के लिए नहीं आई हूं। लेकिन मुझे शक था कि वह जांच के लिए गई हैं, क्योंकि जिन के नेतृत्व में वह काम

हुआ है, अर्थात् ब्रह्मदत्त जी, वह उन के साथ थे, राजस्थान के मंत्री, श्री भीखाभाई, उन के साथ थे और दूसरे भी सारे के सारे प्रचारक उन के साथ थे। वहां पर इस तरह का ड्रामा होता है। हर जगह ऐसा ही ड्रामा होता है। कहीं कंजर सम्मेलन हो रहा है, कहीं आदिवासी सम्मेलन हो रहा है, कहीं अछूत सम्मेलन हो रहा है, कहीं दलित वर्ग कल्याण संघ है और कहीं हरिजन संघ है। इन के द्वारा पैसे से खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन श्री वर्मा कहते हैं कि नहीं, बहुत अच्छा काम हुआ है और हम ने उन्नति की है।

वहां पर जो लोग कत्थे का व्यापार करते थे, उन की सहकारी समिति बनाई गई। सरकार ने उन को ६०० रुपये की जगह २०० रुपये दिये और कहा कि हम सहकारी समिति में आप को ठेका दे देंगे। लेकिन साल भर का कत्था उन्होंने आदिमियों ने कलकत्ता के बाजार में एक लाख अस्सी हजार रुपये में बेचा और आदिवासियों से कह दिया कि कत्था चोरी हो गया। ऐसी ऐसी घटनायें वहां पर हुई हैं।

उन के जो महुवे के पेड़ थे, जिन से वे गुजारा करते थे, उन को कटवा दिया गया। उन पेड़ों को कटवाने से वे लोग न तो खेती कर सकते हैं और न मजदूरी कर सकते हैं। आज वे बेचारे मांग मांग कर खाते हैं और बर्बाद हो रहे हैं।

सौ, डेढ़ सौ आदिवासियों को पत्थर लोड़ने के लिए मुंगावली गांव से बुला कर लाया गया। उन को दो दो जगह जमीनें दे दी गई, लेकिन दोनों जगह उन को बैलों के लिए रुपया न दिया गया और न ही तकावी आदि दी गई, जिस के कारण वे बर्बाद हो कर वापिस चले गये। जिन २०० मकानों में उन को रखा गया था, अब वे भी वीरान पड़े हुए हैं। वहां पर कुछ भी नहीं है।

१,२८,००० रुपये का एक बांध बना, जिस से सिर्फ ११०० बीघा जमीन की सिंचाई होती है। किशनगंज के पास ही ५७,००० रुपये का एक अलग बांध बनवाया गया। उस के दोनों तरफ के किनारे टूट गये हैं। तीन दफा वह बांध बन चुका है, लेकिन आने के लिए रास्ता नहीं है। एक ही बारिश होने से वह माला भर जाता है। चूंकि वे किशनगंज नहीं आ सकते हैं, इसलिए वे भूखों मरते हैं।

एक जगह ६६० मकान बनाये गये। फोटो में ऐसा दिखाई देता है कि बिल्कुल सबूतरे, बरांडे, लैट्रिन और बाथ-रूम वगैरह ठीक बनाये गये हैं, लेकिन अगर मौके पर जा कर देखा जाये, तो पता चलता है कि खजूर की चटाई चारों तरफ लगा कर लैट्रिन और बाथ-रूम बना रखा है। एक एक मकान की कीमत १२०० रुपये उन के सिर पर मढ़ दी गई है। उन बेचारों को जो बैल दिये गये हैं, वे ऐसे हैं कि अगर गर्मी में बच जायें, तो बारिश में मर जायें और अगर बारिश में बच जायें, तो सर्दी काटना मुश्किल हो जाये। इस अवस्था में वे खेती किस तरह से कर सकते हैं? मैं स्वयं यह सब कुछ देख कर आया हूं। इस तरह का खिलवाड़ उन आदिवासियों के साथ किया जा रहा है। अगर मंत्राणी जी वहां पर जांच करने के लिए जाना चाहें, तो मैं उन के साथ चल कर यह बताने के लिए तैयार हूं कि उन लोगों के साथ कैसा अत्याचार किया गया है।

उस अष्टाचार की जांच जरूर होनी चाहिए। जिन लोगों ने अष्टाचार किया है, आज वे लोग मोटरों में घूमते फिरते हैं और उन्होंने हवेलियां बनाई हुई हैं। वहां के बी० डी० ओ० और वेलफेयर आफिसर, सारे के सारे, इस अष्टाचार में शामिल हैं। रोज के बखरे करते हैं और रोजाना उद्घाटन होते हैं। यह हालत शिड्यूल्ड कास्ट्स और

[श्री ओंकार बाल बेरवा]

आदिवासियों की वहाँ पर हो रही है। माननीय मंत्राणी जी स्वयं जा कर देखें।

श्री काशी राम गुप्त : बिना साझे के भ्रष्टाचार नहीं होता है।

श्री ओंकार लाल बेरवा : बिल्कुल।

कोटा कैथून के पास रामनगर कालोनी बनाई गई है। उस कालोनी में १०० मकान बनाने का सुखाड़िया जी ने आश्वासन दिया। उन १०० में से सिर्फ २५ मकान बनवाये गये। उन २५ में भी पांच तो बन चुके हैं, पांच की फ़ाउन्डेशन भरी पड़ी है, पांच की फ़ाउन्डेशन खुद रही है, पांच पट्टियों के लैबल तक हैं और पांच पर पट्टियाँ पड़ी हैं। इन के लिए ६८,००० रुपये उन गरीबों के माथे मढ़ दिये गये हैं। १९,००० रुपये से एक ट्रैक्टर लाया गया है, जो कि खेत में पड़ा पड़ा चिल्ला रहा है कि मुझे उठा कर ले जाओ। उन बेचारों ने कह दिया कि ट्रैक्टर से पैसे हमें बताओ, लेकिन कोई मुनवाई नहीं होती है। हम ने कोटा के तहसीलदार से कहा कि यह सारा रुपया खाया गया है, इस की जांच होनी चाहिए कि वह रुपया किस तरह खर्च किया गया है, लेकिन कोई मुनवाई नहीं है। हम देखते हैं कि रुपया कपूर की तरह उड़ जाता है, लेकिन उस की कोई जांच नहीं होती है।

इस गरीबी का नाजायज़ फायदा विदेशी ईसाई मिशनरी उठाते हैं। वे उन लोगों को पकड़ पकड़ कर ले जाते हैं और हर साल हजारों ईसाई बनाये जाते हैं। हमारे उन भाइयों को सरकार की ओर से कोई हेल्प नहीं मिलती है, जिस की वजह से दूसरे नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उन लोगों को ईसाई होने से बचाया जाये। महात्मा गांधी ने कहा कि जिस का धर्म बदल जाता है, उस की राष्ट्रियता बदल जाती है। राष्ट्रियता बदलना तो दूर रहा, उन लोगों को इस बारे में सहायता दी जाती है। मैं नम्र निवेदन करूंगा कि उन लोगों को जितनी

सहायता दी जा सकती है और जितनी सहायता दी जानी चाहिए, वह दी जानी चाहिए। कमिशनर की रिपोर्ट में तो बहुत कुछ लिखा है, लेकिन ऐसा इन्तज़ाम करना चाहिए कि वास्तव में जितना पैसा उन को मिलना चाहिए, वह उन को मिले।

सरकार ने उन लोगों को सुविधा देने के लिए मकान बनाने के लिए ७५० रुपये दिये। मैं आप को बताना चाहता हूँ कि सारे के सारे मकान अधूरे पड़े हुए हैं और एक बारिश भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि ७५० रुपये में पूरा मकान नहीं बन सकता है।

पंद्रह रुपये की छात्रवृत्ति लड़कों को होस्टल में दी जाती है। मैं कहना चाहता हूँ कि पंद्रह रुपये तो कोई भला आदमी दो दिन में पान सिगरेट पर फ़ैंक देता है। वे बेचारे पंद्रह रुपये से कैसे गुज़ारा करें? इस के अतिरिक्त उन को होस्टल में खाना और साग-सबज़ी अच्छी नहीं मिलती है। सस्ती और घटिया चीज़ें उन को दे दी जाती हैं। मैं ने एक ऐसा आश्रम देखा, जिस में शिड्यूल्ड कास्ट्स के अंधे और लंगड़े-लूले आदमी पड़े रहते हैं। उस के आस-पास ऐसा जंगल सा बना हुआ है कि अगर व न भी मरते हों, तो बिच्छू के काटे से मर जायें। वहाँ सफ़ाई का कोई इन्तज़ाम नहीं है। जब सरकार कोई धर्म का काम करती है, तो इस का इन्तज़ाम भी उस को करना चाहिए कि उन लोगों को उचित सहायता और सुविधा मिले। मैं सुझाव दूंगा कि इस बारे में कोई समिति कायम की जाये, जो इन सब बातों की देख-भाल करे, ताकि उन लोगों को सही मात्रा में पैसा मिल सके। अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि जितनी भी सहायता सरकार हरिजनों के उत्थान के लिये दे, वह इस बात की व्यवस्था करे कि वह सही रूप में उन को मिले।

इतना कह कर मैं समाप्त करता हूँ।

श्री मोर्य (अलीगढ़) : आन ए प्वाइंट आफ़ आर्डर, सर। मुझे बिल्कुल ठीक तौर

पर मालूम तो नहीं है, लेकिन बहुत देर से मैं देख रहा हूँ कि डिप्टी मिनिस्टर महोदय जो यहां बठी हैं, मेरे विचार में वह हिन्दी बिल्कुल नहीं समझती हैं। जब एसी परिस्थिति है, तो

कुछ माननीय सदस्य : अच्छी तरह से समझती हैं।

श्री मौय्य : मेरा विश्वास है कि हिन्दी पूरी तरह से नहीं समझती हैं। एसी परिस्थिति में अगर कोई और

अध्यक्ष महोदय : जब सब माननीय सदस्य कहते हैं कि वह समझती हैं, तो आप ही मान जायें।

श्री मौय्य : अगर समझती हैं तो मैं बठ जाता हूँ, लेकिन मेरा विश्वास है कि नहीं समझती हैं।

श्री कछवाय (देवास) : हमें कहना चाहिये कि उत्तर हिन्दी में दें।
(Interruption).

अध्यक्ष महोदय : अगर आप यह समझें कि सिर्फ स्पीकर ही हाउस में डिसिप्लिन रख सकता है तो यह नामुमकिन है। हर एक माननीय सदस्य को अपना फर्ज समझना होगा और तभी डिसिप्लिन रह सकेगा। हम ने सारे मुल्क के सामने एक आदर्श पेश करना है और इस के लिए मैं हर एक मेम्बर साहब की सहायता चाहता हूँ और चाहता हूँ कि हर एक मेम्बर अपनी जिम्मेदारी को समझें। उसे भी इस में कुछ हिस्सा डालना है। अगर आप, जो कोई भी कुर्सी पर बैठे हो, उस पर छोड़ दें, तो आप विश्वास करें कि वह कोई भी हो, कभी भी डिसिप्लिन नहीं रख सकता है।

Shri Basumatari (Goalpara): We stand at the threshold of a new era and the tribal and scheduled castes are

also prepared to make on an entry into this new era along with the other members of the family.

We have been discussing here the Tenth and Eleventh Reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I have been listening to the speeches and the suggestions made by various Members since yesterday, although most of the Members were by-passing the vital point.

We have appointed enough of committees. We appointed the Elwin Committee for looking into the matter of development of tribal areas. They found some lacunae in the administration. Then we appointed a committee to go into the condition of nomadic tribes. They also found what was the condition of the nomadic tribes. A Committee was appointed by the House, known as the Evaluation Committee, headed by Shrimati Renuka Ray. Lastly, there was the Dhebar Committee which was appointed and which has since submitted its report.

So we have appointed enough committees and every committee has made suggestions. If you go into the details, you will find them all alike. But the question is whether these suggestions have been accepted by Government or not. I have no dispute with the Government in the Centre. I have full faith and confidence in the administration run by the Home Ministry and also their sincerity. But you see the actual results. When hon. Deputy Minister initiated the debate yesterday, she herself expressed her disappointment at the tardy progress. So what more can we say except just to depend on faith and their being generous?

We are talking of appointments. We have been saying repeatedly that appointments cannot be made unless the heart is clear. Unless the leaders of the country are free from mental reservations, unless sincerity is there,

[Shri Basumatari] unless they are sincere to the ideal of Mahatma Gandhi, I cannot say that these appointments can be made available to the tribals and scheduled castes. The dangerous excuse is there, 'that a suitable candidate is not available'. When you consider the condition of the tribals, when you consider the condition of the scheduled castes, how can you expect the candidates of scheduled castes and scheduled tribes just to compete with the others who are enlightened for ages, who have been for long in an advanced condition in the advanced areas. So there are some provision made for the scheduled castes and scheduled tribes and it was rightly incorporated in the Constitution, by these great men. But has it been respected? I say, no.

We have visited every area in the States. Where there was not a single graduate in 1945, we found 35 graduates; where we found only two or three graduates then, we found now 100. Almost in every State even then, we found some of the Chief Ministers and other Ministers saying that they are not up to the mark. So unless and until you are sincere in these affairs, how can these people be made available to the services?

Mr. Speaker: Does he doubt any sincerity?

Shri Basumatari: I am very sincere.

Shri Hari Vishnu Kamath: Your sincerity is not in question.

Shri Basumatari: If you take my time, you will have to give me more time.

Shri Kashi Ram Gupta: The hon. Member is blaming you, Sir.

Mr. Speaker: That was what I wanted to know. But he has not told me.

Shri Basumatari: I have not the slightest doubt about your sincerity.

When I say 'you', I am referring to those who are administering, those

who are at the helm of affairs, not you.

Shri Hari Vishnu Kamath: He is at the helm here in the House.

Shri Basumatari: I request them through you to be sincere in their administration.

I have no time to read out statistics about the percentage of appointments in the services. So I do not go into those details. But in regard to the services, as was pointed out by my hon. friend, Shri Subodh Hansda, and others when, in order to solve this problem, one or two people were taken in class I or class II, the others took shelter under the High Court and the Supreme Court where they declared that the carry-forward over the vacancy is *ultra vires* of the Constitution. Also in the Railway Ministry, as was pointed, when some posts were to be filled by appointing by promotion these people, some of them went to the High Court and the Supreme Court and it has been held up. Like this things are going on seriously. When one or two persons are appointed, recourse is had to the High Court and the Supreme Court and they come to the decision that it is illegal and unlawful. How can these people be denied what is provided for them in the Constitution?

There are some basic things to be taken into consideration. There should be spread of better type of education among the scheduled castes and scheduled tribes. Only then can they compete with others. I have been saying all the time that in respect of education, there should be a system of residential type of education for them in the line of Missionary. You find in the House Shri Swell. You compare me with him. See how he speaks in a polished language and how I speak. Here it is. He could speak like that because he is the product of missionary schools. The missionary schools have been able to give better education with better teachers with better facilities in the

residential type of schools. With the result that those who are educated in those schools can compete with the other advanced communities. Take the IAS appointments. In Assam, 17 IAS candidates were directly recruited. Out of them, 13 are of the hill tribes. Who are they? They are from the Khasi Hills, Lushai Hills and Naga Hills. They have been educated and brought up in Christian missionary schools. That is the benefit of that type of education.

I do not wish to say that we are backward by birth, this and that. But we have been pushed in a place where we could have light. That is the difference. Therefore, if you give the facilities, the problem can be solved. But it is not done. That is why I say repeatedly that the heart should be clear. They should search their hearts first. It is said enough money has been spent for this and that. But it is not just a question of spending money. By spending money alone, you cannot develop a people. I have seen almost all the areas in the tribal blocks, special blocks and other blocks. I have seen that 25 per cent of it only goes to the development of the tribal people, the rest 75 per cent is taken by other advanced communities in the name of tribals and schedule castes. This is the state of affairs of the tribals and scheduled castes.

Then as regards health, as I said on another occasion, you will be surprised to know that sixteen years after independence, 60 to 80 per cent of the population of the tribals is still suffering from yaws, leprosy and other fatal diseases. The officers themselves confess that the reason is that doctors are not available. Of course, some hospitals have been constructed by the Government, but only the buildings remain, there are no doctors. So, doctors, teachers and officers are not available to work in the tribal areas. I can understand the difficulties of those people because they have to go leaving their children at home to those far off places, and it is not

humanly possible for them to go and work for the tribals leaving their family behind unless and until provision is made for the education of their children, and they are afforded other essential facilities.

Coming to development blocks, my hon. friend, Shri Hansda pointed out yesterday how they are not reaching the needy people. The reports of Dr. Elwyn and that of the Dhebar Commission have suggested that the tribal concentration should be reduced to 50 per cent for purposes of opening development blocks, but it is not being done. It may not be wise to talk about a particular State, but I cannot refrain from referring to the State from which I come. The general development blocks of Kamalpur, Karara etc., serve populations ranging from 49,000 to 29,000 and cover areas ranging from 80.38 to 309.50 square miles, while the tribal block of Tamalpur covers an area of 326.67 square miles and caters to a population of 99,547. This will show the glaring injustice done to the tribal people, and the sincerity with which this programme is implemented for their benefit where population of tribals is 44306.

Coming to education, it cannot be imparted unless you give them hostels. It is not possible to set up better schools without better teachers with attractive pay. There are very few schools in the tribal areas. The people are enthusiastic, and they have collected money for building high schools, but how far can you collect subscriptions from the poor tribals?

So, considering all their problems, I think it is no use having a large number of schemes. The main thing is their economic condition should also be improved. For that, the provision in the Constitution giving them reservation in the services should be fully respected by holding examinations among themselves along for every competition. Apart from that, you should concentrate only on certain essential schemes.

[Shri Basumatari]

Many speakers have pointed out the lack of drinking water. Some friends opposite mentioned that there are wells, but no water. When these people are deprived of such basic amenities, how can you expect them to improve? The leaders and administrators should be very clear in their minds. They should not have any reservations in thinking that the tribals have come up enough because they are filling the vacancies, or because their representatives are sitting here in the same benches.

The hon. Home Minister said the other day in Rajya Sabha that there should not be any talk of extension of time for reservation after these ten years. I am entirely agreeable provided you take adequate measures to improve their condition meantime, protecting them from exploitation, and bringing them up to the level of the general population protecting their right in the land.

With these remarks, I request the hon. Deputy Minister to take note of all the points and suggestions made by hon. Members.

Mr. Speaker: Shri Brajeshwar Prasad wants to speak two or three sentences, but how long would the sentences be?

Shri Brajeshwar Prasad (Gaya): I would like to sit and speak, I am not well.

Means of livelihood should be guaranteed to all Harijans, who should also be exempted from payment of all kinds of taxes and rents.

If a caste Hindu graduate marries a Harijan boy or girl, or if a Harijan graduate marries a caste Hindu boy or girl, he or she, as the case may be, should be nominated to the IAS.

If a matriculate caste Hindu marries a Harijan boy or girl, or if a matriculate Harijan marries a caste Hindu boy or girl, he or she as the case may be.....

Mr. Speaker: With her consent or without her consent?

Shri Brajeshwar Prasad:..... should be nominated to the State Civil Service.

What I say about the Harijans applies to the Adivasis as well.

Shri Hari Vishnu Kamath: Nomination to Parliament also.

Mr. Speaker: Is that all?

Shri Brajeshwar Prasad: Yes.

श्री विश्राम प्रसाद (लालगंज) : अध्यक्ष महोदय, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज दो वर्षों के बाद यह शेड्यूल्ड कास्ट्स कमिशनर की रिपोर्ट इस सदन में बहस के लिये रखी गई है। पिछले साल डेबर कमिशन की रिपोर्ट सितम्बर में आई लेकिन सितम्बर में भी उस पर बहस नहीं खत्म हुई, फिर नवम्बर में आई और अब जा कर उस पर बहस खत्म हुई। हमारी सरकार कहती है कि हम ने हरिजनों के लिये बहुत कुछ किया, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, हमारी सरकार के खाने के दांत कुछ और होते हैं और दिखाने के दांत कुछ और होते हैं।

एक माननीय सदस्य : वह तो हाथी के होते हैं।

श्री विश्राम प्रसाद : सरकार हाथी से कम नहीं है।

13 hrs.

रिपोर्ट बनती है और उसमें बड़े बड़े सेटेंसेज लिखे जाते हैं लेकिन उन पर कहां तक अमल होता है इसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

इस सदन में अक्सर बहुत से लोग महात्मा गांधी जी का नाम लेते हैं और कहते हैं कि हम उनके बताये हुए रास्तों पर चलते हैं। लेकिन मैं आपके जरिये सरकार से पूछना चाहता हूं कि महात्मा गांधी के सपने.....

कहां तक पूरे हुए हैं। हरिजनों की हालत क्या है? आज हरिजनों की हालत इस देश में यह है कि न उनके पास जमीन है, न अच्छे मकान हैं, न उनके पास रोजगार है। गांव के दक्षिण में उनको बसाया जाता है, आप कहेंगे कि यह तो पुरानी बात है। लेकिन उनको गांव के दक्षिण में बसाने का मकसद यह था कि उनकी हवा दूसरे सवर्णों को न लग पाये।

उनके लिये अगर किसी रोजगार की व्यवस्था की जाती है तो या तो चमड़े या हड्डी के रोजगार की या छोटे मोटे रोजगारों जैसे कुरसी बुनने की व्यवस्था की जाती है जिसमें वे किसी प्रकार अपना पेट भर सकें। लेकिन इन रोजगारों से वे आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसे रोजगारों की सरकार की तरफ से इनके लिये व्यवस्था होती है।

इन के खाने के बारे में सदन में कई बार चर्चा हुई है। मुझे पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के हरिजनों के बारे में पता है कि जो दिन में तीन बार के बजाय एक बार भोजन पाते हैं और उनका भोजन होता है महुआ, आम कीगुठली, चोइटा यानी शीरा जो चीनी बनने में निकलता है और बरगद का गोदा। इन पर ये अपना निर्वाह करते हैं।

हरिजनों की पूछ कहां होती है वह भी मैं बताऊं। जब २६ जनवरी होती है तो अच्छे अच्छे करमा डांस और पहाड़ी डांस के लिये उनकी पूछ होती है, और दूसरे उनकी पूछ होती है इलेक्शन के समय। पिछले इलेक्शन में सदस्यों से यह मालूम किया गया कि :

How far Harijans and Muhammdans have supported the Congress.

मैं पूछता हूं कि यह सवाल केवल हरिजनों के लिये ही क्यों किया गया, क्यों नहीं और जातियों के लिये किया गया कि उन्होंने गवर्नमेंट को सपोर्ट किया या नहीं।

एक माननीय सदस्य : क्योंकि हरिजन स्लेव हैं।

श्री विश्राम प्रसाद : क्या वे गरीब हैं इस लिये उनके ईमान पर लांछन लगाया जाता है। यह सवाल तो और जातियों से पूछना चाहिये था जो कि गवर्नमेंट के बजट का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल करती हैं।

एक माननीय सदस्य : बजट का कितना हिस्सा इस्तेमाल करते हैं ?

श्री विश्राम प्रसाद : यह मैं आपको किसी और वक्त बतलाऊंगा।

मैं तो सरकार से यह प्रश्न करना चाहता हूं कि संविधान की धारा १५ और १७ पर कहां तक अमल हो सका है और उनके उद्देश्य की कहां तक पूर्ति हो सकी है। मैं चाहता हूं कि इसकी व्याख्या मंत्राणी महोदया अपने भाषण में करें।

शिङ्गलूड कास्ट कमिश्नर की रिपोर्ट के पैज १२४ पर लिखा है कि रिजरवेशन खत्म हो जाना चाहिये। उसमें लिखा है :

"If in course of time, a sufficiently large number of Scheduled Castes/Scheduled Tribe persons get elected to the Lok Sabha and the Vidhan Sabhas from general constituencies, there will be no need for continuing the reservation of seats for them and the constitutional provisions in this regard can be allowed to lapse."

और इसमें मैं आपको फिगर भी दे दूं। वह इस प्रकार हैं। लोक सभा में जनरल सीट्स से १ शिङ्गलूड कास्ट और दो शिङ्गलूड ट्राइब्स, पहले ६ शिङ्गलूड कास्ट थे और तीन शिङ्गलूड ट्राइब्स वाले। विधान सभाओं में पहले बिहार, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, महाराष्ट्र, मंसूर, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर

[श्री विश्राम प्रसाद]

प्रदेश और बंगाल में १२ शिड्यूल्ड कास्ट और ६ शिड्यूल्ड ट्राइब्स, और पहले आठ आठ थे। राज्य सभा में पहले तीन थे अब दो ही रह गये।

मैं नहीं चाहता कि आप रिजर्वेशन रखें। लेकिन सवाल यह है कि जो संविधान में सरकार ने शिड्यूल्ड कास्ट के लिये साढ़े १२ परसेंट के और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये ५ परसेंट के वायदे किए हैं उनकी पूर्ति कहाँ तक हो सकी है। रिजर्वेशन न होना चाहिये, इसको मैं मानता हूँ, राज्य सभा, लोक सभा, और विधान सभाओं में रिजर्वेशन न हो क्योंकि इससे हरिजनों का नुकसान होता है, हरिजनों का बहुत सा हक मारा जाता है यह तो इस तरह है जैसे कबूतरों को दाना छीटना। जब हम में से कुछ लोग राज्य सभा, लोक सभा या विधान सभाओं में रिजर्वेशन की वजह से आ जाते हैं तो दूसरे हरिजन दब जाते हैं, अपनी बात को सरकार से कह नहीं सकते और उनके प्रतिनिधि भी उनकी बात नहीं कहते, क्योंकि उनको डर है कि अगर हम बोलते हैं तो हमको अगली बार टिकट नहीं मिलेगा। कल मेरी एक कांग्रेस सदस्य से बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि हम नहीं बोलेंगे क्योंकि मैं बहुत क्रिटीकल हूँ और हो सकता है कि इस कारण हमको टिकट मिलने में दिक्कत हो।

13.07 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair].

अब मैं आपका थोड़ा सा ध्यान नौकरियों के बारे में दिलाना चाहता हूँ। अबबार पढ़ने वाला आदमी समझता है कि सरकार ने हरिजनों के लिये सारी व्यवस्था कर रखी है। पोस्ट निकलती है तो एडवर्टाइजमेंट होता है :

Post is reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and if suitable candidates are forthcoming, otherwise it will be treated as unreserved.

शिड्यूल्ड कास्ट कमिशनर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि पब्लिक सर्विस कमीशन कहती है कि हरिजनों की कमी है इसलिये वह नौकरियों में नहीं लिये जाते। लेकिन होता यह है कि वे रिटिन टेस्ट में पास हो जाते हैं लेकिन इंटरव्यू में फेल कर दिये जाते हैं क्योंकि उनको मालूम हो जाता है कि वे हरिजन हैं।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो चुका है कि इनको प्रोमोशन्स में भी रिजर्वेशन मिलना चाहिये लेकिन हमारी सरकार ने ग्रुप ३ और ग्रुप ४ में उनके रिजर्वेशन को माना है।

अब मैं आपको थोड़ा सा यह बता दूँ कि जो साढ़े १२ परसेंट रिजर्वेशन है हरिजनों का उसमें से क्लास वन में १-८६, क्लास २ में ३-३६, क्लास तीन में ६-३८ और क्लास चार में ११-६६ परसेंट रिजर्वेशन मिला हुआ है। और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को क्रमशः-२४, -२४, -४३ और १-१० परसेंट रिजर्वेशन मिला हुआ है। आई० ए० एस०, आई० पी० एस० और आई० एफ० एस० का परसेंटज इस प्रकार है। आई० ए० एस० में कुल १७२८ लोग लिये गये, उनमें शिड्यूल्ड कास्ट ४६ लिये गये, परसेंटज २-६ रहा। आई० पी० एस० में ६८५ लोग लिये गये, उनमें हरिजन २६ लिये गये, परसेंटज २-८ रहा-आई० एफ०एस० ए० में २०१ लिये गये, उनमें हरिजन ४ थे, परसेंटज २ रहा। आई० एफ० एस० (बी) में १६१२ लिये गये जिनमें हरिजन ४७ थे, परसेंटज २-४ रहा। यह सर्विसेज का किस्सा है। टोटल सर्विसेज में सेंटर में और राज्य सरकारों में ४,४५,१४३ आदमी लिये गए, उनमें हरिजन १२,६७७ लिये गये, परसेंटज आया ३ और शिड्यूल्ड कास्ट ५१०६ लिये गये, उनका परसेंटज है १।

इसके अलावा जिनको सर्विसेज में लिया जाता है उन पर तरह तरह के आरोप

लगाए जाते हैं। उनकी रिपोर्ट खराब की जाती है और उनका करेक्टर रोल खराब कर दिया जाता है। और इस तरह से एक न एक बहाना बना कर उनको निकाल दिया जाता है। मैं भी एक सरकारी नौकरी में था। सरकार ने मुझे अमरीका दो साल पढ़ने के लिये भेजा था। लेकिन १४ साल सरविस करने के बाद मेरे लिये लिखा गया :

In pursuance of appointment
.....Governor is pleased to terminate the services of Shri Vishram Prasad, District Agricultural Officer...

न कोई काज न कोई रीजन। इस तरह का व्यवहार हरिजनों के साथ सरकार का होता है। एक तो हरिजनों को नौकरी कठिनाई से मिलती है और मिल भी जाती है तो उनको कोई हथकंडा लगाकर निकाल दिया जाता है। बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है कि कहने तो बहुत हैं कि हरिजनों के लिये बहुत कुछ किया जा रहा है, लेकिन दर असल होता क्या है इसको सभी मेम्बर जानते हैं।

इसी तरह से पंजाब का किस्सा आप लीजिये। इस रिपोर्ट में लिखा है

उपाध्यक्ष महोदय: अब आप खत्म करें।

श्री हरि विष्णू कामत : यह अपने ग्रुप के एक मात्र वक्ता हैं, इनको ग्रुप का पूरा समय दिया जाये।

श्री विश्राम प्रसाद : पंजाब में सन् १९५४ में हरिजनों का पुलिस कांस्टेबलस में ५० परसेंट रिजर्वेशन करने के लिये तय किया गया था जोकि सन् १९५४ में ५, व १९६२ में १२ परसेंट तक ही रह गया।

उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह के किस्से हैं। सेंटर तो सेंटर स्टेट गवर्नमेंट्स में भी वही चीजें चलती हैं। चूंकि मेरे पास समय कम है इस लिये मैं जल्दी जल्दी आपने भाषण को समाप्त

1059 (Ai) LSD—6.

करूंगा। हरिजनों के लिये जो बजट एलोट होता है उसका वाकई कितना हिस्सा हरिजनों के लिये जाता है? अभी जो बजट के आंकड़े दिये हुए हैं उससे जाहिर होता है कि ३० करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करेगी और ७० करोड़ स्टेट गवर्नमेंट्स खर्च करेगी। पांच साल के अन्दर १०० करोड़ हुआ। अब दस करोड़ की हरिजनों की आबादी है। एक आदमी के ऊपर एक साल में २ रुपये जाकर पड़ता है।

हरिजनों के लिये काटेज इंडस्ट्रीज की व्यवस्था की जाये। अब हरिजनों के लिए शहरों की सफाई करनी, जूता बनाने या लकड़ी का काम करने या कुसियां बुनने आदि धंधों में उनको सहारा देते हैं। अगर हरिजनों को काम देना है तो उनको बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में भी लगाइये। जिस तरह के निचले और छोटे दर्जे के कामों में वे आज लगे रहते हैं उससे तो उनके पास इतनी आमदनी कभी भी नहीं बढ़ सकेगी कि आगे वे किसी ऊंचे काम धंधे में, किसी ऊंचे रोजगार में लग सकें और उसकी आमदनी में हिस्सा बंटा सकें।

आप के यहां १७ वालेंटैरी आरगनाइजेशंस हैं जिनके कि ऊपर १८,८४,६८५ रुपये की ग्रांट दी जाती है यह संस्थाएँ छोटे मोटे स्कूल चलाती हैं। जिनमें कि यह अपने कुछ लोगों को ओबलाइज करने के लिये रख लेती हैं ताकि चुनाव के समय वे उनके पक्ष में प्रचार कार्य करें। इस तरह से वे स्कूल क्या चलाये जाते हैं आप समझ लें कि एक तरह से वह चुनाव धंधा चलता है। उन वालेंटैरी आरगनाइजेशंस में दूसरी पार्टी के आदमी नहीं घुस सकते। वहां काफी गड़बड़ियां चलती हैं। उनके एकाउन्ट्स में बड़ा गड़बड़ घुटाला चलता है और उनकी जांच नहीं होती है। मैं चाहता हूं कि इस तरह की वालेंटैरी आरगनाइजेशंस में

[श्री विश्राम प्रसाद]

और पार्टियों के लोग भी लिए जायें और उनकी प्रोपर एकाइजिंग हो ।

चूँकि मेरे पास समय नहीं है इसलिये मैं केवल कुछ सुझाव देकर अपना स्थान ग्रहण कर लूँगा । मेरा पहला सुझाव तो यह है कि हरिजन, अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के कल्याण कार्य के लिये एक अलग मंत्रालय बने । वह विशेष मंत्रालय केवल हरिजन समस्याओं की ओर ध्यान दे और उनके विकास व उन्नति के कार्य को करे । वह इस बात को देखे कि हरिजनों की किस प्रकार से उन्नति की जा सकती है । जिस प्रकार से रिफ़्यूजीज़ के लिये सरकार ने अलग से रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट बनाया, उसी तरह हरिजनों के वास्ते एक अलग मंत्रालय सरकार स्थापित करे ।

एक एनफ़ॉर्मेशन पब्लिसिटी आफ़िस हो जो हरिजनों को हर बात की जानकारी कराये । हरिजनों को यह बतलाये कि किस जगह कितनी जगहें खाली हैं और उनको क्या क्या सुविधायें मिल सकती हैं ? यह आफ़िस यह मालूम करे कि हरिजन किन किन जगहों में जा सकते हैं, कितनी साइंटिफ़िक पोस्ट्स हैं या कितनी टैक्निकल पोस्ट्स हैं और हरिजनों को उनमें जाने के लिये जो सुविधायें मिलनी चाहियें वे मिलती हैं या नहीं और उनको आवश्यक सुविधायें सुलभ करायें ।

नौकरियों के लिये हरिजनों के वास्ते जो आपने रीज़रवेशन रखा है उसकी पूर्ति जल्दी से जल्दी हो । जिस तरीके से हिन्दी के लिये दस साल का समय बढ़ाया है उसी तरह से नौकरियों में हरिजनों द्वारा पूरी पूरी सीटें भरने का समय भी निर्धारित हो । इसके लिये आप एक समय रखें कि कितने साल के अंदर यह रीज़रवेशन क्लास ४ से लेकर क्लास १ और स्पेशल क्लास के लिये पूरा होना चाहिये ।

हरिजनों को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिये । उनको सोशल और पोलिटिकल अधिकार सवर्ण हिन्दुओं के समान मिलें और उनको उनके बराबर का दर्जा मिले । आज भी हालत यह है कि हरिजन गांवों में सवर्ण हिन्दुओं के मुकाबले में हरिजन नहीं बैठ सकते हैं । वे सवर्ण हिन्दुओं के साथ बैठ कर होटलों में खाना नहीं खा सकते हैं । वे सवर्ण हिन्दुओं के साथ दुकानें नहीं खोल सकते हैं । गांवों में आजकल भी सवर्ण हिन्दुओं द्वारा उनका हर क्षेत्र में बायकाट चल रहा है । इसके लिये मेरा सुझाव है कि असृश्यता को सक्रिय रूप से दबाने के हेतु पुलिस और न्याय पंचायतों को अधिकार दिया जाये । पुलिस और न्याय पंचायतों को यह अधिकार दिया जाये कि वे यह देखें कि कितनी उनके साथ ज्यादती होती है, कितने उनको समानाधिकार नहीं मिलते हैं, इस बारे में वे जांच पड़ताल करें ।

इनके रोजगार की व्यवस्था हो और जमीन पर उनका हक हो । मैं आपसे बतलाऊँ कि देहातों में कृषि कार्य करने वाले सबसे ज्यादा हरिजन हैं, वहाँ पर करीब ४२ फीसदी लोग बिना जमीन के हैं । हरिजन लोग ही खेतिहर मजदूर होते हैं जो कि कृषि की पैदावार उपजाते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं । अन्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए उनको कोई चार्ज नहीं रहता है क्योंकि उन्हें कोई इंसेंटिव नहीं मिलता है । उनको पूरी मजदूरी तक नहीं मिलती है । मेरी अपनी तहसील लालगंज में अभी भी दिन भर खेत में हल चलाने के बदले फकत तीन पाव सांवा मिलता है । इसलिये हरिजनों को जब तक जमीनों पर अधिकार नहीं मिलेगा तब तक देश की पैदावार नहीं बढ़ सकती है ।

आज समय आ गया है जब कि पुराने सोशल कस्टम्स टूटे । जो लोग अपने को गांधीवादी होने का दम भरते हैं उनको इस क्षेत्र में आगे आना चाहिये और इंटरकास्ट मैरिज करानी चाहियें । शादी ब्याह में

आजकल जो एक रिजिडिटी है, बंधन है, उनको तोड़ा जाय और उसमें ढीलापन लाया जाये। मेरी प्रार्थना है कि जो ६ मिनिस्टर्स कैबिनेट से हट गए हैं, उनको और कम से कम, एक, जो कि बड़े गांधीवादी बनते हैं इस काम को पूरा करें। और हरिजन बस्तियों में जाकर रहे और उनमें काम करें और गांधी जी के स्वप्न को पूरा करें।

Shrimati Akkamma Devi (Nilgiris):

Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise to support the reports for the years 1960-61 and 1961-62 placed before the House. The Commissioner has given a valuable report containing the various difficulties experienced in the implementation of the programme for the welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Side by side, he has also given us practical suggestions. This clearly proves that he has visited the remote areas and then submitted the reports after an on-the-spot inspection. He deserves our congratulations and support. I earnestly request the Government to implement the recommendations made in the reports.

The Third Five Year Plan provides for an amount of Rs. 30 crores under the Central sector and Rs. 70 crores under the State sector for specific schemes for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I am very sorry to say that out of the sum of Rs. 30 crores, only Rs. 294.56 lakhs have been spent, and out of Rs. 70 crores, only Rs. 919.66 lakhs have been spent for the year 1961-62. The money was there; the programmes and welfare schemes were there; the required personnel was there, but either because the schemes were not launched in time or because of the negligence of the staff in the field and in the administration, lakhs of rupees have remained unspent, and as a result of it, the unspent balance has had to be surrendered after the financial year.

Mr. Deputy-Speaker: The speeches should not be read; she can only refer to her notes.

Shrimati Akkamma Devi: I am only referring to my notes. My humble request is that the entire amount allotted for the welfare schemes of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes should not only be spent but spent carefully and usefully so that the Adivasis and the Scheduled Castes will derive the maximum benefit out of the amount in the economic and social fields and also in the educational field.

We speak so much about co-operation of individuals and co-ordination between the departments. But we find practically these two essential factors are not taken up and as a result, it has caused overlapping of activities and also competition between departments. This has been the cause for the slow progress in the implementation.

Merely depending on the report does not help us at all. My humble suggestion is that officials at the district level, officials at the State level and also every one of us, either Members of Parliament or legislators, right down to the village level workers, should visit the tribal people, speak to the Adivasis, understand them, explain to them the various schemes of the Government, and on the spot find out how far the schemes have been implemented. Such regular visits and constant touch with the Adivasis will help us in the implementation of our work. Even today, in tribal areas, we find the Adivasis are quite unaware of the schemes launched by the Government. They are surprised when we speak to them about welfare centres for girls, balawadi classes for children below five years of age and residential schools for boys and girls. So what will happen when we speak to them about scholarships for post-matric boys and girls and also about reservation of seats for the IAS and IPS cadres.

Sir, the Adivasis are cheated by businessmen and exploited by money-

[Shrimati Akkamma Devi]
lenders. The money-lenders lend money at such high rates of interest that within a couple of years the interest exceeds the amount given on loan by them. The Adivasis are thus placed in such untold difficulties that it is really a pathetic sight to see them in this misery. The businessmen also cheat them. In the tribal areas we find large gardens of fruit trees like bananas, oranges, pomegranates etc. But these Adivasis do not enjoy them. The businessmen from the plains go to these areas, bargain and fruits worth hundreds of rupees are taken away by them from these Adivasis for a few rupees. With the few rupees that these tribals get, how can they lead their existence. Therefore, my humble request to Government is that strict circulars be sent to all the States to take adequate measures to put a stop to these businessmen and money-lenders going there and exploiting the Adivasis, so that these tribal people are not deprived of their hard-earned money.

Now I pass on to cottage industries for the Adivasis. Here also there is a shortfall of 50 per cent., only in the case of Scheduled Tribes. The reason for this is that sanctions are made towards the end of the financial year and therefore large amounts remain unspent because it is not possible to spend lakhs of rupees within a few months. The most important cause of the slow progress in the implementation of our schemes is the delay in issuing sanction orders and this delay should be avoided at all stages.

Sir, we have many organisations like the All India Handloom Board, the All India Handicrafts Board, the Central Small Industries Organisation and the Khadi and Village Industries Commission to provide training-cum-production centres for tribal people to learn and earn and supplement their meagre family income. Here also, I am sorry to mention, staff without experience, without human sympathy and approach and without the aptitude are made to work among these

tribal people. Mere qualification and merit will not solve the problems of these Adivasis. I do not understand the reason why when there are qualified tribal people, who have the aptitude and who have won the confidence of the tribal people, they are not absorbed. On the other hand, people from other communities who are better placed in life and well qualified with even distinctions are given the appointments ignoring the adverse effect that it will have on the lot of the tribal people. If an officer of a particular community is appointed, he tries his level best to help his own people. He brings his own people out of his district and gives them appointment. This only solves the employment problem of the better placed but the case of giving employment to the deserving local tribal people is ignored. Here also my humble request is that let the local tribal people be encouraged and let them be absorbed, even though, no doubt, they are not highly qualified with distinctions which is not possible at all at this present stage.

Now I will speak a few words about the tribal development blocks. Out of 450 blocks only 43 have been started to intensify the development in tribal areas. In this connection, Sir, my request is that in Nilgiris, which is my constituency, there is a large proportion of tribals comprising of the Todas, Kotas, Kurumbas, Pannias and Erulas totalling about 15,000. But to consider Nilgiris for a development block it must have a population of 25,000 and therefore it is not possible to start a development block there. But, Sir, we have the Coimbatore District which is our neighbouring district and contiguous with Nilgiris. Here also we have tribal population comprising of Sholigars, Kurumbas and Erulas. When we total the population of these two districts it comes to more than 25,000. Therefore, and also considering the backwardness of these Adivasis, I request that an additional block be sanctioned to Madras State so that the Adivasis and the

tribal population of Coimbatore and Nilgiris are helped.

With these words, Sir, I support the reports.

Shri M. L. Jadhav (Malegaon): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise to make some observations on the reports that are before the House. The first thing that I would like to deal with is about the housing problem. The housing problem is one which is vital to the tribal people and the Scheduled Castes. I find that the housing programme that is being carried out in the States is the concern of the Department and some other departments Works Department, the Revenue Departments and some other departments also. I find that the procedure followed is complicated. The money that is provided is not paid in time and therefore the housing programme is a failure. I say that the housing programme which is a vital necessity in the case of the tribals has been a failure to a major extent. I know that the tribals stay in huts and it is very necessary that they should be given protection from rain and they should be given protection from fire. These tribals are illiterate and in the case of these people who are the beneficiaries of the housing scheme the scheme should be made simple and it should be carried out in an efficient manner.

The second thing is about education. The educational facilities provided should be close by, at the doors of these tribals. In some places there are ashram schools run by some institutions. These ashram schools are doing good work. These ashram schools provide hostel facilities and also educational facilities. The number of such schools should be increased. The money provided for these ashram schools is meagre. I appeal to the Government that more money should be provided for this purpose. If possible, even the money allotted for some other item may be diverted to these ashram schools.

I find that there are no schools for girls. It is a very vital problem.

Some ashram schools for girls should be provided in the tribal areas. They would certainly do some good work and once the Adivasis are educated I feel that they would be able to look after their own good.

Coming to employment, I find that some hon. Members have urged that land should be re-distributed among the Scheduled Caste and Scheduled Tribe population. Since the land that is available has already been distributed, I do not think there is much scope there. Therefore, some other alternative employments have to be provided to the tribal population, instead of making them depend on employment on land. Some small-scale industries should be started in the tribal areas either in the public sector or in the co-operative sector. Since the tribal areas are mostly hilly areas where forests are in abundance, many raw materials can be had in that area to start more industries which will give employment to the tribal people.

Even in the case of agriculture, the tribal people are suffering because they are not given money in time. Agriculture requires some amount of money and yet these loans and subsidies are not given in time. Government and co-operative agencies in this field should work in such a way that money is provided to these people in time. Even in regard to scholarships and stipends there is a complaint that they are not getting the money in time. I am not able to understand why there should be such delays in providing money. It is the duty of the Government, which is pleased to make grants for these people, to see that the money sanctioned for them is spent in time, because money which is not spent in time is as good as money not spent. So, Government should make special efforts to see that the money that is provided for these people is paid in time so that it can be utilized for the purpose for which it is meant.

[Shri M. L. Jadhav]

There are certain forest labour societies and various kinds of jobs are entrusted to them by Government in the name of welfare of tribal people. These societies are sponsored and run by some other institutions. The main benefit which is derived by the running of these societies which should actually go to the tribals, to the labourers, does not really go to the tribals. Many a time, the labourers who work with the contractors and the labourers who work with these societies get the same amount of wages. In other words, the ultimate benefit of these forest labour societies which should go to the tribals goes to some other people. This matter requires detailed investigation. Attempts should be made to create a situation where the main beneficiaries of these societies will be the tribals, for whose benefit these were started.

Then, there are certain hostels meant for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. These hostels get grants both from the Centre and from the States. Unfortunately these hostels are really run by other people in the name of these people. It is a very unhappy state of affairs that some social workers, in the name of welfare of tribals, run these hostels for their own benefit, without doing any good work for these people. There should be some severe checks and restrictions so that these things may not happen. Nobody should be permitted to benefit at the cost of these poor people. Now some of these organisations draw grant from Government, keep bogus account books and run the hostels as they like, instead of trying to do something beneficial for these poor people.

Shri Maurya: Do you mean to say that organisations like the Depressed Classes League should not be encouraged?

Shri M. L. Jadhav: Yes, that is exactly what I meant to say. I feel that the money that is meant for these people should be utilized only for them and not for others. There should be severe checks and detailed audit-

ing to put a stop to these malpractices which are now in existence in some areas.

Then, in the twentieth century, seventeen years after we have achieved independence, if a Harijan or a member belonging to the Scheduled Caste or Scheduled Tribe is not allowed or permitted to draw a bucket of water from a public well or some common reservoir, it is really an unhappy state of affairs. But, unfortunately, we find that untouchability still prevails, even seventeen years after independence. Even among the Scheduled Castes there are people belonging to certain castes who will not touch people belonging to some other castes. So, even within themselves they observe untouchability, which is not a happy thing. This deserves to be curbed at an early date. In the case of drinking water, food, barber shops and public premises these people should have free access and any breach of that should be dealt with severely. The untouchability Act should be strictly observed and breaches or violation of that law should be severely dealt with by imposing the maximum penalty permissible under the law.

श्री महानन्द (बोलनगौर) : उपाध्यक्ष महोदय, हम इस वक्त शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स कमिश्नर की दसवीं और ग्यारहवीं रिपोर्ट पर आलोचना कर रहे हैं। यह बड़े दुःख की बात है कि भारत को स्वतन्त्र हुए १६ वर्ष होने के पश्चात् भी पिछड़ी जातियों की अवस्था अभी तक वह ही है जो बापूजी के सामने थी। पतित जातियों को अभी तक उन्हीं तकलीफों का सामना करना पड़ता है जो उनको सोलह साल पहले भी करना पड़ता था। हमारी सरकार ने कानून तो कागज पर बहुत से बनाये हैं, लेकिन उनसे हमारे साथियों का कोई उपकार नहीं हो सका है।

श्रीमान् जी, मेरा यह कहना है कि अगर सरकार कोई कानून बनाती है तो कानून तोड़ने वालों को कड़ी से कड़ी सजा ज़रूर तब

नहीं दी जाती तब तक कानून बनाने का कोई लाभ नहीं है। हमारे पिछड़ी जाति के भाइयों का यह दुर्भाग्य है कि सरकार और उसके कर्मचारी खुद ही उन कानूनों का उल्लंघन करते हैं। यह मैं अपनी दिल से बना कर बात नहीं कर रहा हूँ। इन सब चीजों का वर्णन हमें रपोर्ट में मिलता है, जिस के ऊपर मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ।

श्रीमान् जी, मैं आपका ध्यान पैरा ३ पृष्ठ छः की ओर दिलाना चाहता हूँ। यहां शेड्यूल्ड कास्ट कमिशन ने कुछ बड़े दुखपूर्ण विषयों का वर्णन किया है। हमें यह बताया गया है कि आन्ध्र प्रदेश के बहुत से ग्रामों में अभी भी पिछड़ी जाति के लोगों को लाइन में तालाब के पास घंटों इंतजार करना पड़ता है, तब जाकर पानी मिलता है। जब तक कोई ऊंची जाति का आदमी आकर उन्हें पानी न दे, तब तक वे पानी नहीं ले सकते हैं। उन्हें स्वयं तालाब से पानी भरने का अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं पिछड़ी जाति के लोग घुटने से नीचे की धोती भी नहीं बांध सकते क्योंकि ऊंची जाति के लोग इसको अपना अपमान समझते हैं। दूल्हे को मध्य प्रदेश में पगड़ी पहनने का अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं कई जगह शादी के वक्त पिछड़ी जाति के घरों में बाजा बजाना भी मना है। उनके घरों की ओरतें न तो चांदी का बना हुआ अलंकार पहन सकती हैं और न ही चूड़ियां पहन सकती हैं। वे लोग बैलगाड़ी का या घोड़े की सवारी का आनंद जानने के लिये भी उपयोग नहीं कर सकते हैं। यह सब एक स्वतन्त्र राष्ट्र के लिए घोर लज्जा और कलंक की बात है। इन सब बातों से मुझे सबसे भारी दुख होता है। मेरे लिए यह एक गौरव की बात है कि मेरे पिता जी स्वर्गीय कपिलेश्वर महानन्द ने उड़ीसा में ऊंच नीच के भेदभाव हटाने का सबसे ज्यादा काम किया है। महाराजा षटना श्रीमान् आर० एन० सिंह देव, ने सब से पहले भारतवर्ष में पतित जाति के लोगों

को अपने जिले में मन्दिर प्रवेश का अधिकार दिया था।

श्रीमान् जी, छुआछूत की बीमारी भारतवर्ष में अभी तक कुछ न कुछ तरीके से पल रही है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां हम लोगों को होटल में बैठने का अधिकार नहीं है। कुछ जगह ऐसे हैं जहां हमें तालाब से पानी लेने का अधिकार नहीं है। कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर हम लोग धोबी और नाई का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यह कितने दुख और लज्जा की बात है। जब सरकार हमें बताती है कि कुछ क्षेत्रों में नीच जाति के पंचायत के नेता ऊंची जातियों के नेताओं के साथ चारपाई पर बैठ कर कुछ मीमांसा नहीं कर सकते हैं, तो इससे कितना दुख होता होगा, इसका अनुमान आप भी लगा सकते हैं। ऐसा व्यवहार हमारे भाइयों के साथ किया जाता है लेकिन हमें यह नहीं बताया जा ता कि हम लोगों का अपराध क्या है सिर्फ यही न कि हम पिछड़ी जाति के कुल में पैदा हुए हैं। ईश्वर ने सबको एक समान बनाया है, यह भेदभाव तो मनुष्यों का अपना बनाया हुआ है। इसे जितनी जल्दी से जल्दी हो सके खत्म करना चाहिये। ताकि हम भी गौरव के साथ वह अधिकार पा सकें जो कि अभी तक अकेले ऊंची जाति के लोग अपना हक समझते हैं। हमारी सरकार ऐसा करने में असफल रही है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब तक शेड्यूल्ड कास्ट कमिशनर के अधिकार बढ़ाये नहीं जायेंगे तब तक सरकार इस बात में सफल नहीं हो सकती है। इसका सबसे पहला तरीका यह है कि शेड्यूल्ड कास्ट्स कमिशनर के कार्यालय को गृह मंत्रालय से हटा कर राष्ट्रपति के नीचे कर दिया जाय। ऐसा करने से उनके अधिकार बढ़ सकते हैं और कानून का उल्लंघन करने वालों को कड़ी सजा दे सकते हैं। अभी तक जो शिकायत उनके पास आती हैं उनको वे राज्य सरकारों को भजते हैं, पर दुःख की बात यह है कि

[श्री महानन्द]

वह लोग इस पर कुछ ध्यान नहीं देते । कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में हमारा ध्यान इस चीज पर दिलाया है कि जब तक राज्य सरकारें मारी मदद नहीं करती तब तक हम अपने कार्य में असफल रहेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री उइके — नहीं हैं ।

श्री मोहन नायक—नहीं हैं ।

श्री शिवनारायण (बांसी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा अनुग्रहीत हूँ कि आपने इस समय पर मुझे बोलने का अवसर दिया है । यह गेड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर की रिपोर्ट दो वर्षों के बाद इस हाउस में डिस्कस करने के लिये पेश हुई है । इससे सरकार की नेगलीजेंस का पता चलता है ।

मैं बहुत ईमानदारी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ और हृदय पर हाथ रख कर सरकार बतलाये कि जो रिजर्वेशन देने का आपने निश्चय किया है, १८ परसेंट का वह क्या पूरा किया गया है ? जो रिजर्वेशन आपने स्वयं दिया है, १० परसेंट यहाँ और १८ परसेंट स्टेट्स में, बत दिया गया है ? इस सारे क्वेश्चन पर मैंने ३६ पेज का एक जवाब डा० सम्पूर्णानन्द को लिख कर दिया था कि

मातवत् परदारेषु लोष्टवत् ।
आत्मवत् सर्व भतेषु यः पश्यति सः पंडितः ।

इस श्लोक के ऊपर मैंने ३६ पेज का जवाब दिया था । आज मैं जानना चाहता हूँ कि बहुत ईमानदारी से कि इस हिन्दुस्तान में कितने कलेक्टर हैं जो हरिजन हैं, कितने सेक्रेटरीज हैं जो कि हरिजन हैं, कितने डिप्टी सेक्रेटरी है जो कि हरिजन हैं ? कितने हमारे आदमी एम्बेसीज में काम करते हैं, कितने आपने हरिजनों में से गवर्नर बनाये ? आज मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ कि आप इस हरिजन विभाग को, जो कि आपकी गवर्नमेंट के नीचे है, हरिजन को देने

में क्या ऐतराज है ? यहाँ पर जितने आफिसर्स बैठे हुए हैं उनमें से कितने हरिजन हैं ? यः हमारा काम है, हम लोग इसको जानते हैं । मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जो सरकार स्वयं देती है उस पर अमल क्यों नहीं करती है ? देअर इज सर्माथिंग एट दि बाटम । दिल साफ हो तो आइना क्या चीज है ? मैं पूछना चाहता हूँ कि आज जितने मेम्बर अपोजीशन के बोले हैं उनमें से कितने हरिजन बोले हैं । केवल दो मेम्बर बोले हैं । एक तो श्री विश्राम प्रसाद बोले हैं । ही इज एन एग्जाम्पल इन दि हाउस । यह गवर्नमेंट सर्विस में रहे हैं, अमरीका से पढ़ कर आये हैं । वह पढ़े लिखे आदमी हैं । यह बात नहीं है कि हमारे यहाँ पढ़े लिखे आदमी नहीं हैं । मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर यूनिवर्सिटी डिग्री हमारे किस काम की है जब कि हमारा लड़का एम० ए० पास करके आता है और कम्पिटीशन में बैठाता है, पी० सी० एस० के इम्तिहान में बैठाता है तो थ्योरी में तो पास हो जाता है उसको ७५ परसेंट मार्क्स मिलते हैं । उसके बाद जब काली कलूटी शकल लेकर पब्लिक सर्विस कमीशन में जाता है तो काला कलूटा देख कर उसको बाँ छोट दिया जाता है क्योंकि वह हरिजन है । इस प्रकार से वह मारा जाता है । मैं ईमानदारी से पूछना चाहता हूँ कि यूनिजन पब्लिक सर्विस कमिशन में हमारे कितने आदमी हैं, प्राविशल पब्लिक सर्विस कमिशन में हमारे कितने आदमी हैं ? जमाना बदल चुका है ।

श्री प्र० के० देव : जो मिनिस्टर था उसको भी निकाल दिया गया ।

श्री शिव नारायण : मैं जाग्रत हो चुके हूँ । सन् १९४६ में पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त ने कहा था मुसलमानों से कि मुस्लिम लीग जब जीत कर आई थी कि बड़ी माइनारिटी से बात करो । आज हिन्दुस्तान में बड़ी माइनारिटी हमारी है, आप हम से बात करें । आप हम से कम्प्रोमाइज करें । अगर डिमाक्रेटिक सेट अप इस मुल्क में चलेगा तो हमारा बोल-बाला हमेशा रहेगा ।

एक माननीय सदस्य : एलेक्शन के दिनों में चलेगा ।

श्री शिव नारायण : एलेक्शन के दिनों में और सब दिनों में रहेगा । आज भी नंगा नाच हो रहा है । मैं हाल में अपनी कांस्टिटुएन्सी से लौटा हूँ । यहाँ दिन दहाड़े आदमी मार कर गिरा दिया गया और हास्पिटल में पहुँचा दिया गया । मैंने इसके सम्बन्ध में होम मिनिस्टर को लिख कर दिया । पढ़े लिखे लोगों का निकलना दुश्वार है गांवों में । आज यह हमारी स्थिति है । अभी कल प्रतापगढ़ के बारे में मुझे सूचना दी गई कि वहाँ २ आ० रोज पर हमारा आदमी पालकी ढोता है । आज भी उन लोगों से जबरदस्ती काम लिया जाता है । अगर वे न करे तो घर से निकलना दुश्वार है । क्या यह डिमोक्रेटिक सेट-अप है ? नेशनल गवर्नमेंट की हुकूमत है ? आज यहाँ पर २५ परसेंट हमारी आबादी है । कागज के ऊपर आप मानें या न मानें लेकिन मैं रेकार्ड के फिगर्स बतलाता हूँ । जो स्कालरशिप्स गवर्नमेंट देती है मैं उसके लिये अनग्रहीत हूँ । मैं मानता हूँ कि वह दे रही है लेकिन जितना चाहिये उतना दिया जाय । यह नहीं है कि आप नहीं दे रहे हैं । आप दे रहे हैं, यह ठीक है । लेकिन आज यह बात इस बात का नमना है कि क्या किया जा रहा है । यहाँ जितने मेम्बर बोले हैं वह बोले, जब हरिजन लोग खड़े हुए बोलने के लिये तो पंडित लोग खिसक गये । बड़े बड़े लोग खिसक गये ।
(*Interruption*) खिसक गये ।

मैं बतलाना चाहता हूँ कि प्राब्लेम तीन चीजों की है । खाना, कपड़ा और रकने के लिये मकान । हम केवल यही तीन चीजें मांगते हैं । कोई मिनिस्ट्री नहीं मांगते । जर्मनी ने सन् १९१९ में सुल्ड नामा किया । जर्मनी ने सरेन्डर करते वक्त कहा कि अगर ब्रिटेन हमें खाना, कपड़ा और रकने के लिये मकान दे दे तो हम शल कर इंग्लैण्ड में फैक्ट्रियों में काम करेंगे । लेकिन ब्रिटिश गवर्नर टममानन ने लिखे तैयार

नहीं हुई । ठीक उसी तरह से हम कहते हैं गवर्नमेंट से कि वह खाना, कपड़ा और रकने के लिये मकान, इन तीन चीजों का इन्तजाम कर दे ।

क्वश्चन अवसर में हमारे एग्रिकल्चर मिनिस्टर ने कहा था कि १० मिलियन एकड़ जमीन ईस्ट इंडिया में है । अगर उसे डेवेलप किया जाय तो चौगुनी पैदावार हो सकती है । आज देश के अन्दर कौन खेती करता है ? जितने आनरेबल मेम्बर यहाँ बैठे हुए हैं मैं उनसे पूछता हूँ कि देश के अन्दर हल कौन चलाता है ? हरिजन चलाते हैं । यहाँ की खेती का सारा डेवेलपमेंट उसी हरिजन के ऊपर बेस्ड है । जो २ पैसे के हल से खेती करता है आज पंडित जी भी उसी की कमाई खाते हैं और निरहू चमार भी खाता है । आज देश की यह स्थिति है । हम ही खिलाते हैं उन लोगों को जो नहीं कमाते । आप नहीं कमाते हैं, जो जलती हुई वैसाख की धूप में हल चलाते हैं वे हरिजन हैं । पानी हम चलाते हैं, सारा काम हम करते हैं और खाते दूसरे हैं यह हमारी एकानमी का नमूना है । इस पर भी शान से कहते हैं कि हम आदिवासियों का डेवेलपमेंट कर रहे हैं । लेकिन आज एग्रिकल्चर की ट्रेनिंग मेरे बेटे को नहीं दी गई । खेती करना हम जानते हैं लेकिन ट्रैक्टर पर पंडित जी बैठते हैं । हम को वहाँ पर नहीं भेजा जायेगा । मैं मनु की प्रशंसा करता हूँ । मनु के जमाने में लोगों में काम बटा हुआ था । जो जिस काम को करता था उसका लाभ उसके घर जाता था ।

एक माननीय सदस्य : क्या आप उस जमाने को चाहते हैं । यह एक अभिशाप था ।

श्री शिव नारायण : वह अभिशाप नहीं है । आप जानते नहीं हैं । उस वक्त डिवीजन आफ वर्क था, आज डिवीजन आफ वर्क नहीं है । आज मुट्ठी भर लोग इस मुल्क में सारे काम को यहाँ चलाते हैं ।

आज मैं इस आनरेबल पार्लियामेंट के सामने कहना चाहता हूँ कि आज अंग्रेजी का

[श्री शिवनारायण]

नारा इस देश में क्यों लग रहा है ? केवल २ परसेंट लोग इंग्लिश नोइंग हैं । जो कि अंग्रेजी को अपने गले में चिपकाये हुए हैं बंदरिया के बच्चे की तरह । आज निरहू को, हरिजन के बेटे को माइनस किया जा रहा है । हरिजन का बेटा भले ही टाप करे लेकिन उसके लिये कोई स्थान नहीं है । मैंने इसी हाउस में अपील की थी कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में ऊंचा किया जाय । लेकिन इस सरकार ने पन्द्रह वर्षों के अन्दर हिन्दी को नहीं पनपाया अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम जो हरिजन हैं, चौथेपन वाले लोग हैं उनका उत्थान होना बड़ा कठिन हो जायेगा । सारे देश के अन्दर यह प्रालेम् है । सारे देश ने तय किया कि इस प्रालेम् को हल किया जाये, लेकिन वह आज तक हल नहीं हुई । हमारी प्रालेम् को देखते हुए मैं चाहता हूँ कि आप लोग नेक नियती से हमारे खाने कपड़े, और रहने के लिये मकानों का इन्तजाम करें । अगर ऐसा कर दिया जाय तो मैं आप के साथ चलने के लिये तैयार हूँ । मैंने इस हाउस में कहा था कि चीन के मुकाबले में आज हमारा एक एक जवान मोर्चे पर लड़ सकता है । हम लोग मजबूत हैं, यदि दिल साफ है तो आइना क्या चीज है । हम कमजोर नहीं हैं । हमें मौका दीजिये । मैं नेक नियती से कहता हूँ कि रिजर्वेशन को सलाम करो । हमारे पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त जब थे तो मैंने उनसे कहा था कि पंडित जी, जो रिजर्वेशन वाली डबल मेम्बर वाली सीट है उसको सिंगल मेम्बर वाली कर दिया जाय, और आज भी इस पार्लियामेंट में कह रहा हूँ कि आज इस रिजर्वेशन को माइनस किया जाय । हमारे आदमी भी जीत कर आयेंगे । जिस प्रकार मौर्यजी यहां आ सकते हैं उसी प्रकार हम भी आ सकते हैं । मैं चैलेंज करता हूँ कोई भी आदमी हो । चाहे मौर्य जी हों या अपोजीशन का कोई और मेम्बर हो कि वह मेरी कांस्टिट्यून्सी में आयें । कांग्रेस के पास भी वर्कर हैं । हरिजन अपने दम पर कोई भी आ सकते हैं अगर वह

अपनी कांस्टिट्यून्सी में अच्छे वर्कर हों । मैं चाहता हूँ कि हरिजनों का उत्थान हो नेकनियती से । हम सरकार का काम करें और सरकार हमारी मदद करे । मैं अनुग्रहीत हूँ कि सरकार हमारी मदद करती है, उनका भी जो दूसरे हमारी मदद करते हैं । लेकिन यह ड्यूटी थी पंडित लोगों की, उनको कहना चाहिये था, लेकिन जब हमें कहना पड़ता है मजबूर होकर तो हम से प्रेजुडिस हो जाते हैं । हम मजबूर होकर कहते हैं कि हमें गांधी जी ने उठाया, ऋषि दयानन्द ने उठाया । यह श्रेय दयानन्द जी को है जिन्होंने हाथ पकड़े कर हरिजनों के साथ बैठना शुरू किया । लेकिन आज ईसाई धर्म पनपना शुरू हो गया । आज मद्रास में कितने ईसाई हैं जो कि सब हरिजन थे । जब ईसाई धर्म इस देश में पनपने लगा तो ऋषि दयानन्द, एक आदमी पैदा हुआ जिन्होंने इस बात को अनुभव किया कि अगर ये २५ परसेंट आदमी हम में से निकल गए तो हम कहीं के नहीं रहेंगे । हमारी आज भी वही दशा है । एक कहावत है :

होनहार विरवान के होत चीकने पात ।

आज भी हमारे पास होनहार विरवान हैं । सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहना चाहिए । हम चाहते हैं कि सरकार फले फूले और ऊंची आए . . .

एक माननीय सदस्य : तुम भी फलो फूलों या केवल सरकार के फलने फूलने की ही बात करते हो ।

श्री शिव नारायण : हम तो फलेंगे और फूलेंगे ही । मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ । एक सज्जन ने कहा कि हरिजनों में भी ऐसी जातियां हैं जो आपस में एक दूसरे से अलग रहती हैं । लेकिन मैं पूछता हूँ कि यह हमको सिखाया किस ने ? हम को ऐसा पंडित लोगों ने ही बनाया है । मैं कहना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान के एक-बड़े नेता ने

कहा था कि हिन्दुस्तान में जाति को मिटाने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि या तो सब को ब्राह्मण बना दिया जाए या सब को राजपूत बना दिया जाए, सब को एक जाति बना दिया जाए ।

श्री रघनाथ सिंह (वाराणसी) : सब को हरिजन क्यों न बना दिया जाए ।

श्री शिव नारायण : मैं तैयार हूँ वपतिस्मा देने के लिए अगर आप तैयार हों । मैं सब को हरिजन बनाने को तैयार हूँ । अगर आप देश का कल्याण चाहते हैं तो सब को एक जाति बना दीजिए । हमारा एक नारा हो :

हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान ।

अगर आप ऐसा करेंगे तो तब देश का कल्याण होने वाला है वरना देश का भला होने वाला नहीं है ।

श्री कांशीनाथ पाण्डे (हाता) : आपकी कांस्टीट्यूएन्सी में तो सारे पंडितों ने आपको वोट दिया है, आप पंडितों की शिकायत क्यों करते हैं ?

श्री शिव नारायण : मैं पंडितों की शिकायत कहाँ कर रहा हूँ ।

श्री रामसेवक याद (बाराबंकी) : यहां के पंडितों की शिकायत कर रहे हैं, बाहर के पंडितों की नहीं ।

श्री शिव नारायण : मैं पंडितों की शिकायत नहीं कर रहा । मुझे उन्होंने वोट दिया है, मुझे तो जनसंघ वालों तक ने वोट दिया है ।

अब मैं मन्दिर प्रवेश की बात करता हूँ । मैं एक मेम्बर हूँ जो कि मन्दिर प्रवेश के विरुद्ध हूँ । मैं मन्दिर प्रवेश में विश्वास नहीं करता । हमको आप कपड़ा दीजिए, खाना दीजिए, रहने को मकान दीजिए तो हमको सन्तोष हो जाएगा । मन्दिर प्रवेश

अपनी राजी की बात है । उसमें कोई रोक नहीं है । हाँ, ढोल पीट कर न जाइए । मेरे सामने मन्दिर प्रवेश का कोई सवाल नहीं है । मन्दिर प्रवेश से हमारा काम चलने वाला नहीं है । आज लड़ाई तो अमीर और गरीब की है, न कि हरिजनों और चमारों या ब्राह्मणों की है । आज देश के अन्दर कैपीटलिस्टों का बोलबाला है । अगर आप को सोशलिस्ट पैटर्न आफ सोसाइटी लाना है तो सारे धन को एक सा सब में बांट दीजिए, अल्ला अल्ला खैर सल्ला, सब ठीक हो जाएगा ।

इन चन्द शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे अवसर दिया । मैं आशा करता हूँ कि गवर्नमेंट हमारे बच्चों को अच्छा अवसर देगी, और सही स्थान देगी । हम उनके साथ हैं और उनके बाजू को मजबूत करेंगे ।

Mr. Deputy-Speaker: Swami Ramnand Shastri. He is not here. Shri Krishnadeo Tripathi.

श्री कृष्ण देव त्रिपाठी (उन्नाव) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया, खास कर बाबू शिव नारायण जी के पश्चात्, जिनको ब्राह्मणों से बहुत शिकायत है । इसके लिए मैं आपका अनुग्रहीत हूँ ।

स्वतन्त्रता के बाद हमने जैसी राजनीतिक व्यवस्था की कल्पना की है और जिस प्रकार का संविधान बनाया है, उसमें हरिजनों को क्या स्थान मिलना चाहिए और क्या स्थान मिल रहा है यह स्पष्ट है । किसे यह नहीं मालूम कि स्वतन्त्रता के बाद सरकार ने अपने २११ प्रतिशत भाइयों को उठाने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए हैं, जो कि हजारों वर्षों से पिछड़े हुए थे, जिनके ऊपर हर तरह के अत्याचार होते रहे थे, जिनमें गरीबी थी, भुखमरी थी और जो कि दबे हुए थे । हमको सरकार का इसके लिए अनुग्रहीत होना चाहिए । लेकिन

[श्री कृष्ण देव त्रिपाठी]

अनुग्रहीत होने की क्या बात है। सरकार ने तो जो कुछ किया है वह अपना कर्तव्य समझ कर ही किया है और यही उसको करना चाहिए था। जब हम अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में यह बात करते हैं कि जो पिछड़े हुए देश हैं उनको उठाने की जिम्मेदारी उन देशों पर है जिन्होंने अकड़ों वर्ष तक इनका शोषण किया। जब हम अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इस तरह की बातें करते हैं, जब हम कहते हैं कि किसी प्रकार का रंग भेद नहीं होना चाहिए, जब हम दक्षिणी अफ्रीका में श्वेत लोगों के वहां के निवासियों पर किए गए अत्याचारों का विरोध करते हैं, या जो अत्याचार एशिया या अफ्रीका के लोगों के साथ रंग भेद के आधार पर किया जाता है उसका विरोध करते हैं, तो हमें अपने समाज के इस कलंक को भी दूर करना चाहिए जिसने हमारे समाज को बांट रखा है, जिसने जाति के आधार पर, बड़े और छोटे का भेद उत्पन्न किया है।

बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के नेतृत्व में स्वतन्त्र हुए। और यह ठीक ही है कि हमने स्वतन्त्रता के बाद ऐसी व्यवस्था बनायी कि जिसके द्वारा अपने समाज के पिछड़े और गरीब लोगों को ऊपर लाया जा सके। गांधी जी ने सर्वोदय और अन्त्योदय की कल्पना की थी, एक ऐसे समाज की जिसमें जो सबसे नीचे हैं उनके जीवन स्तर को उठाया जाए। ऐसा होगा तभी समाज का यह कलंक दूर होगा और तभी समाज का भी स्तर उठेगा।

शायद कुल लोग यह समझते हैं कि गवर्न-मेंट ने हरिजनों के लिए जो कुछ किया है वह भीख के तौर पर किया है। यह धारणा बिल्कुल गलत है। हमने जो हजारों वर्ष पाप किया है यह तो उसका प्रायश्चित्त मात्र है। यह स्वाभाविक है कि हम अपने बीच से भेदभाव को दूर करके ऐसा समाज बना जिसमें जाति के आधार पर कोई ऊंच या नीच। इसी लिए यह व्यवस्था की गयी है और य शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब कमिशनर की रिपोर्ट

आपके सामने है। मैं इस रिपोर्ट के सम्बन्ध में कुछ बातों की ओर इस सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

हरिजनों के आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सबसे आवश्यक बात यह है कि उनको खेती की जमीन दी जाए। बहुत से सदस्यों ने इस ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में जो भूमिहीन मजदूर हैं उनमें हरिजनों की आबादी ४२ प्रतिशत है। इनके अलावा बड़ी तादाद में ऐसे हरिजन हैं जिनके पास एक एक या दो दो बीघा जमीन है और जो अलाभ कर जोतों को जोत रहे हैं और उनका जीवन स्तर बहुत नीचा है। उनको दिन में दो बार भोजन तक नहीं मिलता। इसलिए इनको भी ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन दी जाए और इनको भी भूमिहीन के समान समझा जाए। देश में अभी तमाम जमीन पड़ी है। वह इनको दी जा सकती है। भूदान आन्दोलन में ४४ लाख एकड़ जमीन मिली। कहा जाता है कि उसमें से १२.७ लाख एकड़ जमीन बेकार है, ८.३३ लाख एकड़ जमीन बांटी गयी है। भूदान आन्दोलन में जो जमीन मिली उसके अलावा भी बहुत सी जमीन पड़ती पड़ी है, खाली पड़ी है। आवश्यकता इस बात की है कि इस जमीन पर हरिजनों के माध्यम से सहकारी खेती करायी जाए। भूमिहीन हरिजनों को इसमें प्राथमिकता दी जाए और उनको इसके लिए आवश्यक धन दिया जाए। यह करना तभी सम्भव है जब देश के राजनीतिक दल इस नीति को अपनाएं। मेरा यह अनुरोध केवल उन्हीं राजनीतिक दलों से है जिनको सहकारी खेती में विश्वास है, मैं उनसे यह अपील नहीं करता जिनको इसमें विश्वास नहीं है और जिनको समाजवादी समाज में विश्वास नहीं है। मेरी यह अपील उनसे ही है जिनको सहकारी खेती में विश्वास है, और हमारी सरकार को उसमें विश्वास है। अगर इन भूमिहीनों को सहकारी खेती के लिए जमीन दी गयी तो ने केवल देश का उत्पादन बढ़ेगा बल्कि एक ऐसे वर्ग की समस्या हल हो जाएगी जो कि बहुत पिछड़ा हुआ है।

इसके अलावा ग्रामीण और कुटीर उद्योगों की ओर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस ६१-६२ की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि हरिजनों के लिए ४ करोड़ ५५ लाख ३० हजार और जन जातियों के लिए २ करोड़ ३१ लाख ६३ हजार रुपये की व्यवस्था कुटीर उद्योगों की स्थापना के लिए थी, यानी कुल मिलाकर ६ करोड़, ८७ लाख २३ हजार की व्यवस्था थी। इसमें से ८१ १/४ लाख की व्यवस्था सन् १९६१-६२ के लिए थी। मुझ बड़ा अफसोस है कि इसमें से केवल ४६ लाख रुपया ही खर्च हुआ है। मैं सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि सन् १९६१-६२ में जो कुटीर उद्योगों के लिए तीसरी षचवर्षीय योजना के इस वर्ष में हरिजनों एवं जातियों को सहायता दी गयी व १२ प्रतिशत ही थी और इस १२ प्रतिशत में से केवल ७ प्रतिशत खर्च की गयी। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। एक तो पांच साला योजना में इस वर्ष के लिए जितनी धन राशि निर्धारित की गयी थी व १/४ होनी चाहिए थी और उसके बजाए केवल १२ प्रतिशत दी गयी और उसमें से भी केवल ७ प्रतिशत ही खर्च की गयी। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है और यह इस बात का संकेत है कि इस कार्य के लिए जो सरकारी यंत्र है वह ठीक से काम नहीं कर रहा है। उसमें बड़ी कमी है।

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इस सिलसिले में बड़ी कमी है। इसलिए मैं यह विनम्र निवेदन करूंगा कि जहां तक हरिजनों को कुटीर उद्योगों की स्थापना में सहायता का सम्बन्ध है उसमें उनको पूरी सुविधा दी जाए। इसके अलावा उनको जमीन दी जाए और कुटीर उद्योगों के लिए सहायता दी जाए। यह दुर्भाग्य की बात है कि जिस सहायता की व्यवस्था इस वर्ष के लिए की गयी थी वह सहायता पूरी तरह से नहीं दी जा सकी। मैं समझता हूँ कि जैसे और सदस्यों

ने बड़ी बड़ी नौकरियों के लिए, बड़ी बड़ी सुविधाओं के लिए या आई० सी० एस० और पी० सी० एस० की जगहों पर हरिजन हों, इस बात की अपील की है वह भी जरूरी है और उसको होना चाहिए लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा देश एक खेतिर प्रधान देश है और जब तक खेती की व्यवस्था में लाखों हरिजनों को हम नहीं खपा पाते तब तक सामान्य हरिजनों का जीवनस्तर ऊंचा नहीं कर सकेंगे। इसलिए हरिजनों के वास्ते कुटीर उद्योगों और खेती की व्यवस्था के लिए जो मैंने मुझाव रक्खा है, आशा करता हूँ कि उस पर गृह मंत्रालय विशेष रूप से ध्यान देगा।

14 hrs.

शिक्षा के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है। इसमें सन्देह नहीं है और इस बात के लिए सबको अनुग्रहीत होना चाहिए कि सरकार ने शिक्षा के द्वार सब के लिए खोल दिये हैं। सरकार ने हरिजनों के लिए छात्रावास भी खोले हैं। सरकार ने शिक्षा के द्वार उन हरिजनों के लिए खोले हैं जो ऊंची शिक्षा का तो कठना ही क्या, मामूली शिक्षा पाने तक की भी कल्पना नहीं कर सकते थे। पहली योजना में २६.६१ करोड़ रुपया हरिजनों एवं जन जातियों के लिए रक्खा गया था जिसमें से ८.६४ करोड़ शिक्षा पर खर्च हुआ। दूसरी योजना में हरिजनों एवं जन जातियों पर ७०.६६ करोड़ खर्चा हुआ, जिस में २०.५ करोड़ शिक्षा पर था। तीसरी योजना में इनकी शिक्षा पर ३४.१४ करोड़ की धन राशि निर्धारित की गई है। यह अच्छी खामी रकम है। मैं इससे इंकार नहीं करता कि जो रकम खर्च हुई है उनसे अच्छा परिणाम नहीं निकला है। अच्छे परिणाम अवश्य निकले हैं। हजारों और लाखों हरिजन बच्चों के लिए शिक्षा के द्वार खुले हैं। पले जिनको शिक्षा नहीं मिलती थी उनके हेतु शिक्षा की व्यवस्था

[श्री कृष्ण देव त्रिपाठी]

हुई और परिणामस्वरूप हम देखते हैं कि वे बड़े बड़े स्थानों तक पहुँचने में सफल हुए।

हाईस्कूल के आगे हरिजन विद्यार्थियों को वजीफे देने की योजना १९४४ से लागू हुई और दूसरी योजना के अन्त तक २०२९१३ हरिजनों एवं ३४६८८८ आदिम विद्यार्थियों को वजीफे दिये गये। पहले कुछ राज्यों में फीस ली जाती थी लेकिन अब फीस लेनी बिलकुल बंद हो गयी है। यह प्रसन्नता का विषय है कि फीस से उनको मुक्ति मिल गयी है और हाईस्कूल से निचली कक्षाओं में भी वजीफे की व्यवस्था है। इस सिलसिले में कुछ लोगों ने यह शिकायत की है और मैं समझता हूँ कि यह जायज शिकायत है कि एक बार हरिजन विद्यार्थी अगर फेल हो जाता है तो उस पर फीस लगा दी जाती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि फेल होने पर हरिजन बालकों से जो फीस ली जाती है वह लेना तत्काल बंद कर दिया जाय। ऐसी चीजों में तत्परता की आवश्यकता होती है। अब मान लीजिये कि एक, दो वर्ष इस बात पर लग गये। यहाँ से लिखा पढ़ी की गई। शैड्यूल्ड कास्ट्स कमिशनर ने सबों को लिखा और सबों ने उस में जरा भी देर की तो भारत में हजारों हरिजन विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने से वंचित हो जायेंगे।

मेरा निवेदन है कि इस तरह की और भी बातों की, जिनकी सिफारिश आयुक्त महोदय ने अपनी रिपोर्ट में की है, को जल्दी लागू करने का भी कोई तरीका सरकार को निर्धारित करना चाहिए। खाली सिफारिश करने से काम नहीं चलता है। अगर यह सिफारिशें फौरन लागू नहीं होती हैं तो हजारों लोग शिक्षा से वंचित हो जायेंगे।

इसके अतिरिक्त रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने के अवसर पर्याप्त नहीं हैं। केवल ५ हरिजन और ५ आदिम विद्यार्थियों को विदेशी छात्रवृत्तियाँ दी गईं और एक हरिजन को

फ्रांसिसी सरकार द्वारा छात्रवृत्ति मिली। इसके लिए आयुक्त महोदय ने लिखा है कि यह बहुत कम है और पर्याप्त नहीं है। उन्होंने सिफारिश की है कि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को वजीफा देकर विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजना चाहिए। अगर हमारे देश के हरिजन बच्चे दूसरे देशों में जाकर उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे तो वह जहाँ उससे अपना दृष्टिकोण व्यापक बनायेंगे, वहाँ साथ ही लौट कर वे अपने देश और समाज की भी अधिक सेवा कर सकेंगे।

मुझे एक अध्यापक होने के नाते इस सिलसिले में थोड़ा और निवेदन करना है। मैं अपनी निजी जानकारी के आधार पर कहना चाहता हूँ कि आवश्यकता केवल यह नहीं है कि हम उनको आर्थिक सहायता दें बल्कि आवश्यकता इस बात की भी कि उस आर्थिक सहायता का सही तरीके से इस्तेमाल हो। मैं एक डिग्री कालिज में प्रधान अध्यापक रहा हूँ और अपने निजी अनुभव और जानकारी के आधार पर कहना चाहता हूँ कि बहुत सी इस प्रकार की सहायतें जो हम हरिजन विद्यार्थियों को देते हैं, उसका नियंत्रण अच्छी तरह से न हो सकने के कारण, उनका बहुत कुछ दुरुपयोग हो जाता है। हरिजनों को न मालूम कितने वजीफे दिये जाते हैं लेकिन होता यह है कि कोई इन से भैंस खरीद लेता है, कोई बैल खरीद लेता है तो कोई अपनी बहिन की शादी करता है। यह स्वाभाविक भी है क्योंकि वे हरिजन गरीब होते हैं, परेशान होते हैं और उनके पास रुपया मिलने का चूँकि अन्य कोई साधन नहीं होता है इसलिए वजीफे वाला रुपया दूसरे कामों में लगा देते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस तरह की समुचित व्यवस्था हो ताकि वह स्कालरशिप्स ठीक शकल में खर्च किये जायें। हरिजनों को छात्रावासों में रहने के वास्ते प्रोत्साहन दिया जाये और उनकी इसके लिए आवश्यक सुविधाएँ दी जायें।

अध्यापक उनका संरक्षण करें और देखें कि वे ठीक से पढ़ते हैं या नहीं। जो धन उनको मिलता है उसका वे सदुपयोग करते हैं या नहीं, पुस्तकें खरीदते हैं या नहीं। अगर इस तरह से हम हरिजन विद्यार्थियों का संरक्षण, और देखरेख नहीं करेंगे तो बहुत सारा रुपया जो सरकार खर्च कर रही है, नष्ट हो जायगा। आज इस संरक्षण के अभाव में परिणाम यह हो रहा है कि परीक्षाओं में हरिजन विद्यार्थी अपेक्षाकृत कम तादाद में फल होते हैं। इसका कारण यह नहीं है कि वजीफों की तादाद ज्यादा नहीं है बल्कि उनके देने का ढंग गलत है . . .

श्री मोर्य : जो धन दिया जाता है वह ज्यादा नहीं है और . . .

श्री कृष्ण देव त्रिपाठी : आज बैठ जाइये। मैं जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं यह कह रहा था कि उसकी देख भाल ठीक होना चाहिए।

श्री मोर्य : माननीय सदस्य को मैं बतलाना चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी आप धीरज रखिये। आपको अभी बोलने का मौका मिलेगा।

श्री कृष्ण देव त्रिपाठी : तो मैं यह कह रहा था कि इसमें मैं थोड़ा सा अध्यापकों को भी दोष देता हूँ। अपने ऊपर भी दोष लेने को तैयार हूँ कि जितनी देखरेख हम लोगों को करनी चाहिए, वह नहीं करते हैं।

श्री मोर्य : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात तो सुन लीजिये।

Mr. Deputy Speaker: Order, Order. The hon. Member will get his chance and he may wait for it.

श्री कृष्ण देव त्रिपाठी : आवश्यकता इस बात की है कि ऐसा तरीका अपनाया जाय जिसमें अध्यापकों की भी जिम्मेदारी हो और सरकार की भी जिम्मेदारी हो कि वह यह देखें कि हरिजनों को जो शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें दी जाती हैं उनका सदुपयोग हो। अगर हम करोड़ों रुपया खर्च करक लाखों हरिजन विद्यार्थियों को पढ़ा लिखा कर तैयार नहीं कर सके तो उसका खराब नतीजा निकलने वाला है। इस तरह से न तो उन हरिजनों का फायदा होगा और सरकार का धन भी नष्ट हो जायेगा।

यहां पर यह भी कहा गया कि ऊंची नौकरियों में हरिजनों को उचित मात्रा में प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। मैं इस बात से ज्यादा सहमत नहीं हूँ लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूँ और मेरी इच्छा है और मैं खुद वह दिन देखना चाहता हूँ जबकि इस देश के बहुमत अधिकारी हरिजन हों। ऐसी मेरी बिल्कुल ईमानदारी से इच्छा है। यह ठीक है कि हरिजनों को उच्च शिक्षा के लिए जो वजीफे मिल रहे हैं उसके हिसाब से हरिजन बड़ी बड़ी नौकरियों में पहुंच जाते हैं लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि जिस ओर कि सम्भवतः अभी तक किसी भी सदस्य ने ध्यान नहीं खींचा और वह यह कि जो गैर-सरकारी संस्थाएं हैं, चाहे वह शिक्षा संस्थाएं हों चाहे और कोई हों, चाहे स्थानीय स्वायत्त संस्थाएं हों उन में हरिजनों को उचित प्रतिनिधित्व तो मिलना दूर रहा, दो, चार फीसदी प्रतिनिधित्व भी नहीं मिलता है। जिला परिषदों को आप देख लीजिये। उन में २, २, ३, ३, या ४, ४ हजार कर्मचारी काम करते हैं, अध्यापक के रूप में और अन्य रूप में, उन में कितने हरिजन हैं? कहीं ३० होंगे, कहीं ५० होंगे और कहीं १०० होंगे। जहां सरकार ने अपने यहां उनको संरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की है वहां इस बात के लिए भी आवश्यक कदम उठाना

[श्री कृष्ण डेव शिपाठी]

चाहिए कि यह संरक्षण की व्यवस्था स्वायत्त शासन संस्थाओं में तथा गैर-सरकारी संस्थाओं में भी पहुंच सके। इसलिए खास तौर से जो कम पढ़े लिखे हरिजन हैं, दसवां या ग्यारहवां दर्जा पास हैं, उनको भी नौकरी में स्थान मिले। आज उनको नौकरियों में कोई पूछने वाला नहीं है। उनको बड़ी बड़ी नौकरियों में स्थान नहीं मिलता है। हरिजन लड़के जो थोड़ा पढ़ कर निकलते हैं उनको अगर स्थान मिल सके तो उससे हरिजनों की दशा में बहुत बड़ा सुधार होगा। इसलिए इस ओर मैं मंत्री महोदय, का ध्यान विशेष रूप से दिलाना चाहूंगा।

रिपोर्ट में एक बात यह भी बताई गई है कि धारासभाओं में हरिजनों की तादाद किस तरीके से बढ़ रही है खास तौर से जहां भी उनका आरक्षण नहीं है वहां भी बढ़ रही है। यह बड़ी अच्छी बात है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जैसे जैसे यह संख्या बढ़ती जायेगी, रिजर्वेशन जो रक्खा गया है, उसे समाप्त कर देने में सुविधा मिलेगी। मैं उस से सहमत हूं लेकिन यह भी सही है कि पिछले आम चुनावों के आंकड़े अगर आप देखें तो पायेंगे कि काफी तादाद में हरिजन आम साधारण सीटों से खड़े हुए थे और उनको काफी वोट भी मिले थे। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि चूंकि वे अधिकांश स्वतंत्र और आजाद उम्मीदवार थे इसलिए चुनाव जातीयता और उपजातीयता के आधार पर लड़े। जो हरिजन खड़े हुए थे वे किसी सिद्धान्त के आधार पर खड़े नहीं हुए थे। इस बात की व्यवस्था करना और इस बात की आशा करना कि ज्यादा से ज्यादा हरिजन साधारण सीटों से चुन कर जायेंगे, इनका उत्तरदायित्व सरकार पर नहीं है। यह तभी सम्भव है जब इस देश के राजनीतिक दल प्रगतिशील हों, जिन्हें हरिजनों से हमदर्दी हो और वे ज्यादा से ज्यादा हरिजन उम्मीदवारों को साधारण सीटों से खड़ा करें ताकि धीरे धीरे इस प्रकार के रिजर्वेशन की

जरूरत ही न रह जाय और यह रिजर्वेशन की व्यवस्था ही टूट जाय। उसमें सहयोग आवश्यक है उन लोगों का जोकि राजनीतिक दलों के नेता हैं और राजनीतिक दल चलाते हैं और देश में जनमत का निर्माण करते हैं।

अब मैं एक बहुत ही आवश्यक बात की तरफ हाउस का ध्यान दिलाना चाहूंगा। मेरा अपना ऐसा अनुमान है, मेरे पास कोई डेटा नहीं है, मेरे पास आंकड़े नहीं हैं लेकिन मेरा अपना अनुमान है कि जिस परिमाण में हरिजनों को सुविधायें दी गई हैं, वे सुविधाएं हरिजनों के सभी वर्गों तक नहीं पहुंच पा रही हैं? मैं जानना चाहूंगा कि वे सुविधाएं क्या हरिजनों के सभी वर्गों तक पहुंच रही हैं या केवल कुछ विशेष वर्ग या लोगों तक ही सीमित हैं? इस तरह की एक भावना फैली हुई है कि हरिजनों में जो अपेक्षाकृत कमजोर और पिछड़े वर्ग हैं जिन को यह सुविधाएं अधिक मिलनी चाहिए, वे उन से वंचित रह रहे हैं। हरिजनों की सुविधाओं के नाम पर कुछ उपजातियां और कुछ लोग बेहद फायदा उठा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आयुक्त महोदय अपनी अगली रिपोर्ट में इस बात की व्यवस्था करें कि किस किस प्रदेश में कौन कौन उपजातियां हैं और उन उपजातियों की कितनी आबादी है और उन उपजातियों को कितनी नौकरियां मिली हैं? उनको शिक्षा में कितनी सहायता दी गई, मकान के निर्माण में कितनी सहायता दी गई और हरिजनों को जो यह सुविधाएं दी गई हैं वे सब वर्गों तक जाती हैं, किस हद तक जाती है और किस हद तक नहीं जाती है, इस बारे में प्रकाश डालें। जैसा मैं ने कहा कुछ हरिजनों ने विशेषाधिकार बना रक्खा है, उस विशेषाधिकार को अगर नहीं तोड़ा जाता है तो हरिजनों में भी हरिजन हो जायेंगे। और (इंटरप्शंस) हरिजनों की समस्या सफलता पूर्वक हल नहीं हो पायेगी। इन शब्दों के साथ मैं आयुक्त महोदय के प्रतिवेदन का समर्थन करता हूं।

श्री मौर्य : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आज के दिन, जब कि इस सदन में शिड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के कमिश्नर की रिपोर्ट पर चर्चा चली है, मुझे आदरणीय महात्मा गांधी के वे शब्द याद आते हैं, जिन में एक शब्द में उन्होंने कहा था, “अन्तोदय” — “दि लास्ट फर्स्ट”, अर्थात् जो सब से पिछड़ा है, उस का अधिकार है कि उस का कार्य सब से पहले हो। इस लिए जिस वक्त हमारे पवित्र संविधान की रचना हुई, उस में इसी विचारधारा का ध्यान रखा गया था। इसी कारण हमारे संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपलज के चैप्टर में आर्टिकल ४६ में कहा गया है :—

“The State shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people, and, in particular, of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation.”

ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, यह मैं मानता हूँ, कि जहां तक हमारे यहां हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, उन में इन डायरेक्टिव प्रिंसिपलज का कोई खास महत्व नहीं है। परन्तु जहां तक हमारे इस सदन का प्रश्न उठता है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपलज इस सदन का नेतृत्व करने वाली भावना रखते हैं और इन्हीं की भावनाओं पर आधारित हो कर हम को अपने तमाम कानून, बाई-लाज और स्टैट्यूट्स बनाने चाहिए और यह सदन बनाता भी है। लेकिन इन भावनाओं के अन्तर्गत जब कि यहां पर रिजर्वेशन रखी गई, पोलिटिकल रिजर्वेशन हुई, सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन हुई, वहां उन भावनाओं की पूर्ति नहीं की गई।

यह रिपोर्ट इस सदन के सामने है। यदि इस को ही मैं आप के सामने रखूँ तो उस से पता चलेगा कि हम कहां तक उन

भावनाओं की पूर्ति कर पाये हैं। जहां तक शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिए नौकरियों का प्रश्न, वह कोई भीष नहीं है, जैसा कि एक आदरणीय सदस्य ने कहा है। यह इस राष्ट्र के अछूतों का जन्म-सिद्ध अधिकार है। उन का जो शोषण पहले हुआ है, उस शोषण का जो कर्जा यहां की एडवांस्ड क्लासिज, सवर्ण जातियों पर है, वे उस कर्ज को चुकायें। परन्तु उस की पूर्ति कहां तक हो रही है, जब हम आगे चल कर इस को देखते हैं, तो मन में एक बहुत बड़ा क्रोध सा होता है। मेरी भावनाओं में क्रोध भी है और खेद भी। खेद इस कारण कि संविधान में जो भी भावना है, उस को पूरा नहीं किया गया है और क्रोध इस कारण कि मेरी रगों में भी एक शोषित का खून दौड़ता है।

रिजर्वेशन के नाम पर, संरक्षण के नाम पर यहां के करीब १० करोड़ ईंसानों को गुमराह किया जा रहा है, उन को धोखा दिया जा रहा है। शिड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के कमिश्नर की रिपोर्ट आप के सामने मौजूद है। उस की टैबल रिपोर्ट के पन्ने २७६ और २७७ को यदि हम उठा कर देखें, तो पता लगेगा कि हम ने इस विषय में इतनी तरक्की की है और अछूत कहे जाने वाले लोगों और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों की कितनी भलाई की है।

१९५६ में यहां पर कुल नौकरियां ३६०० थीं पहले दर्जे की। उस समय उन में शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोग .११ फी सदी थे और शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग .५८ फी सदी थे। १९६० में अगर हम देखते हैं तो केन्द्रीय सरकार की तमाम अव्वल नम्बर की, क्लास वन की, नौकरियां ६,९८३ थीं, जिन में से शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोग थे केवल .१० फी सदी, जब कि पहले यानी १९५६ में .११ फी सदी थे। इस के बावजूद यह कहा जाता है कि हम ने बहुत उन्नति की है। वास्तव में फी सदी में गिरावट हुई है। मैं यह जानना चाहूंगा कि यह किस तरह की तरक्की हम ने की है।

[श्री मोर्य]

उपाध्यक्ष महोदय, एक तो माननीय उप-मंत्री जी हिन्दी अच्छी तरह नहीं समझती हैं। अब वह बातें कर रही हैं। इस स्थिति में वह मेरी बात का कैसे जवाब देंगी। अब तो अफसोस की बात यह है कि कैबिनेट मिनिस्टर यहां पर मौजूद नहीं हैं। यह बड़े महत्व की बातें हैं। जितनी चीन के एग्जेशन की इम्पाटेंस है, उससे कुछ कम इम्पाटेंस इसकी नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : जो कुछ माननीय सदस्य कह रहे हैं, वह समझ रही है।

श्री मोर्य : नहीं श्रीमान्, वह बातें कर रही हैं।

१९५६ में केन्द्रीय सरकार की अब्बल दर्जों की नौकरियों में शिड्यूल्ड कास्ट्स ५८ फी सदी थे, और १९६० में वे ६४ फी सदी हो गए। यह हमने तरक्की की है। अगर दूसरी और तीसरी कैटेगरीज को देखा जाये तो मालूम होता है कि क्वोटा पूरा वहां भी नहीं है।

इस रिपोर्ट के पेज २७८ पर लिखा गया है :—

"It will be seen from the above statement that the position as regards the actual representation of Scheduled Tribes and Scheduled Castes in posts and services under the various Ministries of the Government of India and their Attached and Subordinate offices is not satisfactory, particularly in respect of Scheduled Tribes who are very much under-represented especially in Classes I, II and III posts while in Class IV posts also their representation is below the mark. In the case of Scheduled Castes again the position is unsatisfactory in so far as Classes I and II posts are concerned. There is no doubt that their numbers are generally increasing from year to year in

Central Government services, but the rate of progress is rather slow."

मैं यह जानना चाहूंगा कि आजकी सरकार इसके लिये क्या कर रही है और वह इन शब्दों के लिए क्या करेगी।

"I feel that unless some special efforts are put in to increase the intake of Scheduled Tribes and Scheduled Castes in Classes I and II posts in the Government of India, it will not be possible to make up the deficiency in these services, in so far as these two categories are concerned. I hope that the Ministry of Home Affairs will at least have this position reviewed at a sufficiently high level in order to ascertain the reasons for this deficiency and take steps for making it up."

इस रिपोर्ट में बहुत से आंकड़े दिये गये हैं, परन्तु मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं उन सबको यहां पर दे पाऊं। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि आज पूरे हिन्दुस्तान में एक भी शिड्यूल्ड कास्ट्स का कमिश्नर या शिड्यूल्ड ट्राइब्स के कमिश्नर नहीं है, जबकि यहां पर हम बहुत ज्यादा चर्चा करते हैं कि आजकी सरकार उनकी बहुत ज्यादा तरक्की करना चाहती है।

सरकारी नौकरियों से आगे बढ़ कर मैं यह देखता हूं कि एम० एल० ए० और एम० पी० बनाने के लिये स्टेट एसेम्बलीज और इस सदन के सदस्य बनने के लिए, जो कि कानून बनाते हैं, कांग्रेस को काबिल और लायक इन्सान मिल जाते हैं और तमाम रिजर्व सीटें भर जाती हैं। यही नहीं, मिनिस्टर बनाने के लिये भी लायक और काबिल इन्सान मिल जाते हैं और उनको मिनिस्टर बना दिया जाता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमको इतने लायक और काबिल ग्रेडुएट नहीं मिलते—जबकि शिड्यूल्ड कास्ट्स के हजारों ग्रेजुएट भूखे मर रहे हैं—जो कि

डिप्टी कलैक्टरी या एग्रीकल्चर आफिसर का काम कर सकें, या इस तरह के छोटे छोटे काम कर सकें ।

यही नहीं, रिप्रेजेंटेशन दो तरह का है, सरकारी नौकरी में और पोलिटिकल सिस्टम में । अभी अभी हमारे भाई बड़े जोर शोर से कह रहे थे—मैं उनकी भावनाओं को समझ सकता हूँ, चौधरी साहब ने बहुत सी बातें कहीं थीं—लेकिन आप इसी सदन को देखिये । हर एक रिजर्व सीट भरी हुई है । मुझे बताया जाय कि पोलिटिकल रिजर्वेशन है—हालांकि मेरी पार्टी इस पोलिटिकल रिजर्वेशन के खिलाफ है—लेकिन यू० पी० के ५४ जिलों में जिला परिषदों के कितने चेयरमैन हरिजन जाति और शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग हैं । एक भी नहीं है । पूरे ५४ जिलों में एक भी शिड्यूल्ड कास्ट्स या शिड्यूल्ड ट्राइब्स का आदमी नहीं है । हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी एक भी जज शिड्यूल्ड कास्ट्स या शिड्यूल्ड ट्राइब्स का आदमी नहीं है । इसी तरह एम्बेसेडर्स और हाई कमिश्नर में एक भी शिड्यूल्ड कास्ट्स या शिड्यूल्ड ट्राइब्स का नहीं है । मैं कहना चाहता हूँ कि यह पोलिटिकल फ्राड है ।

यहां पर विद्वता की बात कही जाती जाती है । विद्वता की बात को तो मैं नहीं मानता हूँ । जब आई० सी० एस० का प्रश्न उठा था, तो इसी तरह की बात अंभेज भी हमारे बारे में कहा करते थे कि हिन्दुस्तानी काबिल नहीं हैं । अगर सरकार काबिल समझे, तो बहुत हैं । अगर न समझे, तो कोई भी नहीं है । एफिशियेंसी का प्रश्न वक्तन फवक्तन, बहुधा, उठा करता है । कहा जाता है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स के आदमी इनएफिशियेन्ट हैं, सरकारी नौकरियों में उन की वजह से इनएफिशियेन्सी आती है । मैं मान सकता हूँ कि वे पिछड़े वर्ग हैं, इनएफिशियेन्ट होंगे । लेकिन उनकी इनएफिशियेन्सी के कारण सरकारी नौकरियों में लगे हुए सवर्ण जाति के एफिशियेन्ट आफिसर्स, काबिल और

विद्वान आफिसर्स, की विद्वता कहां चली जाती है ? इस सदन में शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग मौजूद हैं । इस सदन की एफिशियेन्सी शिड्यूल्ड कास्ट्स के कुछ मैम्बरों की इनएफिशियेन्सी के कारण खत्म नहीं हो जाती है । मैं ने बहुत नजदीक जा कर देखा है । आज शिड्यूल्ड कास्ट्स के सत्तर फी सदी आई० ए० एस० और पी० सी० एम० आफिसर ऐसे हैं, जिनके खिलाफ इन-एफिशियेंसी की रिपोर्ट है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे इनकेपेबल हैं, उन की इन्टेग्रेटी डाउटफुल बतई जाती है ।

इस तरह की रिपोर्ट उनके खिलाफ है । वे कभी भी अपने जीवन में कलैक्टर नहीं बन सकते हैं । इस तरह की जो मनोवृत्ति वहां पर चल रही है इसकी ओर आपका ध्यान जाना चाहिये । यह जो रोग है, इस रोग को अगर दूर नहीं किया गया तो जो लोकाशही है, जिस लोकशाही का ख्याल हमारे दिमागों में बहुत ऊंचा बना हुआ है, वह ज्यादा दिन तक नहीं चल सकेगी । इसकी ओर बार-बार मैं ने आप का ध्यान भी खींचा है लेकिन मैं देखता हूँ कि इस की ओर सरकार कोई अधिक ध्यान नहीं दे रही है ।

बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है, बहुत से जिम्मेवार लोगों ने कहा है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स की जो समस्या है, यह राष्ट्रीय समस्या है और इसको राष्ट्रीय समस्या मान कर चलना चाहिये और इस समस्या को जितनी जल्दी हल कर लिया जायेगा उतना ही भारत के लिय अच्छा होगा और अगर ऐसा नहीं किया गया तो बहुत ही दुखदायी परिस्थितियों में हम पड़ सकते हैं ।

बगार की समस्या का भी इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है । समय नहीं है कि मैं विस्तार से इस के बारे में चर्चा कर सकूँ । यदि आप इस ग्यारहवीं रिपोर्ट को ही उठा कर देखें तो इस का जिक्र आप पेज १३ पर पायेंगे । वहां पर लिखा गया है कि बेगार ली जाती है

[श्री मौर्य]

और जम्मू काश्मीर में इस को मंजी तथा इजारी कहा जाता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, तथा उत्तर प्रदेश में, इसको बेगार नाम से पुकारा जाता है। उड़ीसा में इस को गोदी का नाम दिया गया है और महाराष्ट्र में वित के नाम से इस का प्रचलन है। पहले की रिपोर्टों में भी इसका जिक्र हुआ है। जब हम बेगार कहते हैं, तो उसका मतलब है कि किसी की मर्जी के खिलाफ काम करवाना।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : श्रमदान के बारे में आप का क्या ख्याल है? कहीं श्रमदान को ही आप बेगार तो नहीं कह रहे हैं?

श्री मौर्य : श्रमदान बेगार का दूसरा रूप है। हमारे बाप दादाओं ने बेगार दी है। अब हमसे श्रमदान के नाम पर ली जा रही है। श्रमदान को मैं बेगार का दूसरा रूप मानता हूँ। दसवीं रिपोर्ट के पेज ५ पर लिखा हुआ है :

"The practice of forced labour is found to exist in some parts of Kerala, Madras, Madhya Pradesh, Orissa and Rajasthan."

यह तमाम रिपोर्ट्स में दिया हुआ है। आज बेगार क्यों है, यह प्रश्न उठता है। किन्हीं लोगों को उनकी मर्जी के विरुद्ध उनको पूरी तनख्वाह न दे कर, उनको पूरी मजदूरी न दे कर, उन से काम क्यों लिया जाता है. . . .

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त करें।

श्री मौर्य : मुझे इस पर बोलने के लिये कुछ ज्यादा समय दिया जाए

उपाध्यक्ष महोदय : आप की पार्टी का समय पांच मिनट था। आपने बारह मिनट ले लिये हैं। दो तीन मिनट और ले लीजिये। और खत्म कर दीजिये।

श्री मौर्य : मैं जल्दी-जल्दी खत्म करने की कोशिश करता हूँ।

छुआछूत का जहां तक सम्बन्ध है, रिपोर्ट में ही बताया गया है कि छुआछूत आज

भी है। छुआछूत गांवों में होती है, छुआछूत शहरों में होती है, छुआछूत सरकारी कर्म-चारियों में होती है, छुआछूत सरकारी दफ्तरों में होती है, छुआछूत मिनिस्ट्रों के घरों में होती है। कहां छुआछूत नहीं होती है? अपने ही प्रदेश की बात मैं आप को बतलाता हूँ। एक दो मिनिस्ट्रों को मैं जानता हूँ। उनके घरों में छुआछूत होती है। मैं मानता हूँ कि छुआछूत का रोग कम जरूर हुआ है। मैं यह नहीं कहता कि कम नहीं हुआ है। यदि १९४७ में १०० परसेंट छुआछूत थी तो आज पचास परसेंट है। आप यह नहीं कह सकते हैं कि छुआछूत नहीं है। ऐसी शिकायतें बहुधा आती हैं कि स्कूली पुस्तकों में, धार्मिक पुस्तकों में, छुआछूत का प्रोपैगन्डा किया जाता है। उन पुस्तकों को बन्द किया जाना चाहिये। संविधान की धारा १७ कहती है कि किसी भी तरह से छुआछूत को मानना, या उसका प्रोपैगन्डा करना कानूनी जुर्म होगा। लेकिन धार्मिक पुस्तकें, मजहबी पुस्तकें इस तरह की अब भी हैं जो छुआछूत का खलेआम प्रोपैगन्डा करती हैं। यह देखा जाना चाहिये कि किन कारणों से छुआछूत है। जो कारण हैं, उनको सीरियसली कंसीडर किया जाना चाहिये। यह छुआछूत विद्यार्थियों के कारण नहीं है, बल्कि पढ़ाने वालों के कारण है। मैं भी एक कालेज में पढ़ाता हूँ। यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ और मैं जानता हूँ कि जो मास्टर लोग हैं, वे वहां पर छुआछूत बरतते हैं, कानून की रक्षा जहां होती है, उनमें छुआछूत है, जजों के दिमागों में छुआछूत है, वहां पर दफ्तरों में छुआछूत है, वकीलों में छुआछूत है। अगर आप वकीलों की बार को जा कर देखें तो आपको वहां पर दो गिलास मिलेंगे एक पीतल का, और दूसरा शीश का।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप खत्म करें।

श्री मौर्य : अब तो हम लोग बोलते नहीं हैं, और जब कभी बोलते भी हैं, तो हमें बहुत ही कम समय दिया जाता है। यह जो मसला है, इस पर बोलने के लिये

तो हमें कुछ ज्यादा समय दिया जाना चाहिये । रिपब्लिकन पार्टी जो है, वह इस सदन का कम से कम समय लेती है । कृपा कर के और समय दे दीजिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप की पार्टी का पांच मिनट समय था और आपने पन्द्रह मिनट ले लिये हैं ।

श्री मौर्य : क्षमा करें अगर मैं यह कहूँ कि अगर पार्टी का हिसाब लगाया जाए और हमारा समय निकाला जाए तो यह भी देखा जाना चाहिये कि हम कितना कुछ समय बोलते हैं और कौन कौन से विषय हैं जिन पर हम बोलते नहीं हैं और किन किन पर बोलते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप की पार्टी का सिर्फ पांच मिनट समय था ।

श्री मौर्य : हम सब से कम समय लेते हैं । खास बिजिनेस हाउस के सामने होते हुए भी वाईट आफ ऑर्डर इत्यादि में दो दो घंटे चले जाते हैं । इस पर तो मुझे बोलने का थोड़ा और समय दिया जाये ।

छुआछूत का जहाँ तक सम्बन्ध है, हमारे बाल्मीकी जी यहाँ पर बठे हुए हैं । वह जिस जिले से आते हैं वहाँ पर एक संस्कृत पाठशाला है, नरवर संस्कृत पाठशाला । वहाँ पर आज भी अछूत लड़के दाखिला नहीं पा सकते हैं, अछूत उस विद्यालय में घुस तक नहीं सकते हैं । बाल्मीकी जी कहते हैं कि वह तो चले जाते हैं, लेकिन औरों को घुसने नहीं दिया जाता है । बाल्मीकी जी की वहाँ इज्जत होगी, वह वहाँ जा सकते हैं लेकिन दूसरे अछूत नहीं जा सकते हैं । इस विद्यालय को सरकार से सहायता मिलती है । इस तरह की जो बातें हैं, इन की तरफ आप का ध्यान जाना चाहिये ।

अब मैं नान-आफिशिएल आर्गनाइजेशन के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ । नान-आफि-

शियल आर्गनाइजेशन में डिप्रेस्ड क्लासिस लीग आती है और न जाने और कितनी संस्थाएँ आती हैं । न जाने किस किस तरह से लोगों ने उनको अपने अर्थों के रूप में बना रखा है । मैं तो इन को यतीमखाने कहूँगा और ये यतीम-खाने हैं भी । कोई भी संस्था ऐसी नहीं है जो कि कुछ रुपया खुद अपने प्रयत्नों से इकट्ठा करती हो, सारा का सारा रुपया सरकार से आता है

श्री बाल्मीकी (खुर्जा) : नान-आफिशियल आर्गनाइजेशन की माननीय सदस्य बात कर रहे हैं । इसमें भारतीय डिप्रेस्ड क्लासिस लीग, हरिजन सेवक संघ आदि कई संस्थाएँ आ जाती हैं । अस्पृश्यता निवारण के लिये कई संस्थाये तो ऐसी हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रही हैं । नहीं कुछ ऐसी भी हो सकती हैं जो अच्छा काम नहीं कर रही हो, यह मैं जानता हूँ लेकिन इस तरह से सभी पर आक्षेप नहीं होना चाहिये और न यह उचित प्रतीत होता है ।

श्री मौर्य : नान-आफिशियल आर्गनाइजेशन का मतलब है, वालेंटरी आर्गनाइजेशन । डिप्रेस्ड क्लासिस लीग आदि संस्थाएँ उसमें आ जाती हैं । पब्लिक से कितना रुपया ये इकट्ठा करती हैं, अपने इनिशियेटिव पर कितना रुपया इकट्ठा करके लाती है, इस को आप देखें । तमाम का तमाम रुपया सरकार से उनको मिलता है । मैं चाहता हूँ कि सरकार जो सरकारी मशीनरी है उस को मजबूत बनाये । अछूतों के नाम पर कुछ संस्थाओं को रुपया दे कर जो सत्ताधारी पोलिटिकल आर्गनाइजेशन है, मजबूत किया जाये, यह कहीं तक उचित है, इस को आप देखें । मैं इन संस्थाओं का भी विरोध करता हूँ ।

यहाँ १७, १८, ७०, ८० नये पैसे की बात भी चली थी । इस का जिक्र कर के मैं समाप्त कर दूँगा । आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू आदरणीय प्लानिंग

[श्री मोर्य]

मिनिस्टर और आदरणीय लोहिया जी के बीच में तीन आने और पन्द्रह आने का झगड़ा चला था। अगर आप प्लानिंग कमिशन की रिपोर्ट को देखें तो उस में यह लिखा हुआ आप पायेंगे कि २० परसेंट लोग ऐसे हैं, जिन के पास कोई जमीन नहीं है और जो दूसरों की जमीन पर काम करते हैं। इन को लैंडलैस लेबरर कहा जाता है, भूमिहीन मजदूर कहा जाता है। इस के अलावा यह भी लिखा हुआ है कि १९ परसेंट ऐसे घर हैं जिनकी आमदनी २०० रुपये सालाना है या इससे कम है। आप हिसाब लगा कर देखें कि १९ परसेंट में कौन लोग शामिल हैं। इस में वे लोग ही शामिल हैं जो शैड्यूल्ड कास्ट्स हैं, जो शैड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं। वे ही इस में सेंटपरसेंट शामिल हैं। छोड़ दीजिये आप बाबू जगजीवन राम जैसे लोगों को या मुझे जैसों को जिन को ज्यादा तनखाह मिल जाती है। इस में बहुमत शैड्यूल्ड कास्ट के लोगों का ही है। अब अगर हिसाब लगा कर देखा जाये तो पता चलेगा कि अछूत कहे जाने वाले एक इंसान को केवल ग्यारह नये पैसे रोज ही पड़ते हैं। अब जिन अछूतों के पास जमीने हैं या जो और कुछ काम करते हैं और जो इस में शामिल हैं उन की तादाद अगर पचास लाख मान ली जाए, तो एक अछूत की आमदनी दो नये पैसे प्रतिदिन से अधिक नहीं होती है।

श्री दलजीत सिंह (उना) : आप का हिसाब गलत हो गया है। अगर दो सौ रुपया सालाना आमदनी है तो उस हिसाब से सोलह सतरह रुपया माहवार हुआ।

श्री मोर्य : आप हिसाब बाद में कर लीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती जयाबेन शाह।

श्री मोर्य : आध मिनट में मुझे जो मेरे सुझाव हैं, उन को दे लेने दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आप को १७ मिनट दे दिये हैं।

श्री मोर्य : सुझाव हो जाने दीजिये।

Mr. Deputy Speaker: Order order, I have called the next speaker.

श्री मोर्य : यह बिल्कुल गलत तरीका है। मुझे सुझाव दे लेने दीजिये

श्रीमती जयाबेन शाह (अमरेली) :
उपाध्यक्ष महोदय . . .

Shri Maurya: I cannot tolerate it. It is most objectionable. I walk out in protest.

(The hon. Member then left the House)

श्रीमती जयाबेन शाह : माननीय सदस्य जो अभी बाहर चले गये हैं, उन का जो क्रोध था, वह इसलिए था कि हरिजन भाई ऐसी हालत में आज भी रह रहे हैं कि जिस को देख कर दिल जलता है। उन के दिल में इन लोगों के प्रति जो दर्द है, उस को समझा जा सकता है। इन गरीब लोगों का, इन पीड़ित लोगों का हम पर कर्जा है, जिस को हमें चुकाना है। चूंकि माननीय सदस्य की उम्र छोटी है, इसलिए उन में ज्यादा क्रोध हो सकता है। लेकिन हमें भी इस समस्या पर गम्भीरता से सोच विचार करना चाहिये और देखना चाहिये कि हमारे नवयुवक जो हैं, उन के दिलों में क्या क्या भावनायें हैं, क्या छिपा पड़ा है।

कमिशनर साहब की रिपोर्ट के बारे में माननीय सदस्यों ने कई बातें कही हैं। सारी बातों से शायद मैं भी सहमत हूं। लेकिन जिन बातों से मैं सहमत हूं उन को दोहरा कर मैं सदन का समय व्यर्थ लेना नहीं चाहती हूं। एक खास बात की ओर ही मैं इस सदन का ध्यान दिलाना चाहती हूं। यहां पर यह कहा गया है कि अनटचेबिलिटी का, अस्पृश्यता का निवारण होना चाहिये। इस हेतु यहां पर बहुत से सुझाव दिये गये हैं, बहुत से सजैशज दिये गये हैं। मेरा कहना

यह है कि अस्पृश्यता की जड़ तक हमें पहुँचना होगा और जड़ पर अगर हम ने ध्यान नहीं दिया तो ऊपर से कोई भी डेमण्डेटिव स्कीम हम चला लें, अस्पृश्यता का निवारण होना बिल्कुल असम्भव है। एक बात यह है कि आज पन्द्रह सालों के बाद हम क्या देखते हैं। बहुत से माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातें कहीं मगर एक बात सबों ने छोड़ दी है। उसी पर मैं आना चाहती हूँ। आज हमारे देश में भंगियों की क्या हालत है। वह अपने सिर पर मैले का डब्बा ले कर चलते हैं। उन को देख कर ऐसा मालूम होता है कि जब तक यह प्रथा चलती रहेगी तब तक अस्पृश्यता का निवारण होना बिल्कुल असम्भव है। यह बात मैं यहां पर साफ तौर से कहना चाहती हूँ। एक मनुष्य को ऐसी हालत में रख कर हम इस प्रकार की बातें करें कि अस्पृश्यता निवारण हो तो इन सब बातों के होते हुए यह चीज नहीं खत्म हो सकती। जब तक हम इस की जड़ को पकड़ कर नहीं चलेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता।

हम को इतना कम समय मिलता है। ठीक तरह से अपनी बातों को रखने का मौका नहीं मिलता है। हम ने डिमांडेसी बनाई। हम ने कहा है कि डिमांडेसी में ह्यूमन डिग्नटी की प्रतिष्ठा होगी। लेकिन जब मैं भंगियों को हँड लोड ले कर जाते देखती हूँ तो मेरा सिर शर्म से झुक जाता है कि हम किस प्रकार से, किस मुँह से डिमांडेसी की बात कर सकते हैं। यह सोचने की चीज है। हम साइंस अथवा विज्ञान में इतने आगे बढ़े हैं, हम जानते हैं कि मानव ने स्पेस के ऊपर भी कब्जा जमाया है, लेकिन मेरे मन में कोई शक नहीं कि सब से पहले जो बात हम को सोचनी चाहिये वह यह कि स्कैबेंजिंग स्कीम जो है उसे कैसे एबालिश किया जाये। इस चीज पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। पन्द्रह साल के बाद, इस थर्ड-

प्लैन में भी जो रकम रक्खी गई है, इस के लिये जो कुछ अलाट किया गया है, मुझे कहते हुए रंज होता है कि उस रकम का २।३ का उपयोग हुआ है। अगर हम इस तरह से चलेंगे तो यह सिस्टम कब एबालिश होगा इस का पता मुझे नहीं चल सकता। इस बारे में जो हमारे हरिजन सदस्य हैं वे भी चुप बैठते हैं। रिपोर्ट में बतलाया गया है कि यह एक जागीरदारी सी बन गई है। पता नहीं इस में जागीरदारी की क्या बात है। पाखाना साफ करने में कौन सी जागीरदारी की बात है? इस को अबालिश करने में कम्पेन्सेशन चाहिये, ऐसी मांग की गई है। मैं सोचती हूँ कि हम क्या इतने गिरे हुए हैं कि ऐसी बातें करने में हमें कोई शर्म नहीं आती है? मैं समझती हूँ कि उन का रिहैबिलिटेशन होना बहुत जरूरी है, जिन से वह घन्घा छूटाया जाय, मगर इस के लिये कम्पेन्सेशन देने की बात कहां उठती है। इस प्रथा को किस तरह से खत्म करें इस बारे में पन्द्रह साल तक हम सोचते रहे, लेकिन आज तक कोई इलाज नहीं कर सके। मेरी इस सदन से प्रार्थना है कि इस बारे में हम ज्यादा जागृत हो कर आइन्दा सेशन में कोई ऐसा लेजिस्लेशन ला कर रक्खें जिस से सारे देश में जो यह सिर पर मैला उठा कर ले जाने की प्रथा है उस को खत्म कर के हम इस काम को पूरा करें। मलकानी कमेटी हम ने बनाई इस बात के लिये कि स्कैबेंजिंग सिस्टम के लिये क्या किया जाय। उहाँ ने अच्छी से अच्छी सिफारिशें की हैं। उस के सम्बन्ध में क्या किया गया और उस का क्या अंजाम आया, इस की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहती हूँ। मेरी समझ में इस बारे में हम ने कोई खास काम किया ही नहीं है। इस बात के लिये मेरे कुछ स्पष्ट सुझाव हैं जिन को मैं रखना चाहती हूँ।

यह कोई ऐसी बात नहीं है कि इस सिस्टम को अबालिश करने के लिय लोगों को समझाने की जरूरत हो। हमारा ऐसा

[श्रीमती जयाबेन शाह]

तजुर्बा है कि लोग चाहते हैं कि यह सिस्टम अबालिश हो। भगी लोग भी चाहते हैं कि यह अबालिश हो। लेकिन म्युनिसिपैलिटियों के पास पैसा नहीं है और इस पर जितना सोचने की जरूरत है उतना सोचा नहीं जाता है। इस के लिये हम ने जो प्रोग्राम बनाया है उस में ज्यादा से ज्यादा समय लग जाता है और हमारा खून इतना ठंडा हो गया है कि ऐसी हालत देखते हुए भी हमारे दिल में यह विचार नहीं होता कि इस को आज ही खत्म किया जाय। इस के बारे में मेरा पहला सुझाव यह है कि हम पहले इस को कानून से खत्म करें और उस के बाद कुछ इम्प्रूवमेंट इस काम में किया जाय। आज जो सिर पर उठाने की प्रथा है और जों शरीर से सीधा टच में वह आता है उस प्रथा को अबालिश किया जाय और सारे देश में यह लागू किया जाय।

दूसरी बात यह है कि सारे देश में जितने पाखाने हों उन को सब से पहले कन्वर्ट किया जाय। ऐकुआ प्रीवी हैं, वाटर सील्स हैं, फलश हैं, सैकड़ों किस्म के होते हैं, जों जैसी हालत है उस के अनुसार लैट्रीन्स को कन्वर्ट किया जाय।

तीसरी बात यह है कि जो म्युनिसिपैलिटीज इस काम को करना चाहती हैं उन को जो सन्डिडी मिलती है वह काफी नहीं है, समस्या को देखते हुए वह बहुत कम है। उन को और सन्डिडी देनी चाहिये, लोन देने चाहिये। हम म्युनिसिपैलिटीज को बतलायें कि इस के लिये जब सारे पाखाने कन्वर्ट हो जायें तब वे स्पेशल सेस डालें जिस से उन के रिसोर्सेज आगे बढ़ें और जो लोन उन्होंने लिया है उसे वे वापस कर सकें।

और भी बहुत सी चीजें हैं। व्हीलबैरो एप्लाई किया जाय जोकि कमिश्नर की रिपोर्ट में है। मलकानीजी वे भी बतलाया है। मेरा छोटा सा तजुर्बा है, लेकिन मैं ने

देखा है कि यह सब साधन कन्वीनिएन्ट नहीं हैं। इस से भंगियों को ज्यादा तकलीफ होती है। मैं समझती हूं कि वे सब इतने साइंटिफिक होने चाहियें, इतने आसान होने चाहियें जिस से उन को काम करने में आसानी हो। यह न हो तो वह किसी काम नहीं आयेगा।

इस बारे में एक और बात यह है कि आजकल ज्यादातर बहनें भंगी का काम करती हैं। मेरा सुझाव यह है कि स्त्रियों को इस काम से बिल्कुल हटाया जाये। अगर यह काम करना ही हो तो भाइयों को यह काम दिया जाये। क्योंकि बहनों के साथ जो बच्चे पलते हैं उन में तो ऐसा भाव पैदा हो कि यह काम नहीं करना चाहिये, चाहे जितनी गरीबी हो। चाहे कुछ हो जाये अगर यह काम हम नहीं करेंगे। यदि ऐसा मानस पैदा करना हो तो स्त्रियों को इस काम से हटाया जाय। कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं। इस में क्या मुश्किल है, यह मेरी समझ में नहीं आता।

इस को विनोबा जी कष्ट मुक्त कहते हैं, उस को चाहे जो नाम दिया जाये लेकिन इस प्रथा को हम जल्दी से जल्दी खत्म कर दें।

दूसरी बात हरिजननों के ड्रिंकिंग वाटर की है। उस के बारे में भी कहीं पर दो रायें नहीं हैं कि उन को ड्रिंकिंग वाटर अच्छा मिलना चाहिये। कुछ लोग ऐसा कते हैं कि उन के लिये अलग कुएं चाहिये, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि सारे कुओं से वे लोब पानी भरें। जब तक हम इस स्थिति पर नहीं पहुंचते हैं कि सारे कुओं से वे लोब इकट्ठा पानी भरें—अगर हो सके तो इस से बढ़ कर कोई चीज नहीं हो सकती—लेकिन जब तक ऐसी हालत नहीं है तब तक उन के लिए अलग कुओं से तो इन्तजाय होना ही चाहिये। सवाल यह है कि अस्पृश्यता निवारण तो हम को करना है ही, अगर

उस से बढ़ कर असली सवाल यह है कि स्वच्छ पानी देना, प्योर वाटर, ड्रिंकिंग वाटर देना सब से महत्व की चीज है। अगर वह हम न दे सकें तो यह बड़ी बुरी बात होगी। आज ऐसा होता है कि न उन के लिये अलग कुएं हैं और न सार्वजनिक कुओं से उन को कोई पानी भरने देता है। इसलिये जहां जानवर पानी पीते हैं उसी जगह वे आज पानी पी रहे हैं। प्रिसिपल के तौर पर मैं इस को सपोर्ट नहीं करती, लेकिन आज की ालत में अगर हम उन को स्वच्छ पानी देना चाहते हैं तो इस के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। यह एक बड़ा सवाल देहातों में, खास कर छोटे छोटे गांवों में पैदा हो गया है, और उन को पानी की बड़ी मुश्किल है।

दूसरा सवाल हाउसिंग के बारे में है। जहां बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनती है, छांटी छोटी भी बनती हैं वहां लेबर लाज बनते हैं कि मजदूरों के लिये कुछ न कुछ अमेनिटीज होनी चाहियें। लेकिन जहां पर म्यूनिसिपैलिटीज हैं, चाहे म्यूनिसिपैलिटीज हों, चाहे सिटी म्यूनिसिपैलिटीज हों, चाहे बड़े बड़े कारपोरेशन हों, वहां इतना तो होना ही चाहिये कि उन के स्वीपर एम्प्लायीज हों उन के लिए वे खुद प्राविजन करें हाउसिंग का। जो कोओपरेटिव सोसायटीज हैं वे भी ठीक हैं, लेकिन उस में इतनी दिक्कतें हैं कि वह हम कर नहीं सकते, पैसा यहां रह जाता है। उस में भी हम ने देखा कि शार्ट-फाल कितना है। हर स्कीम में शार्टफाल रहता है। मैं इस को नहीं समझ पाती कि जहां पर करोड़ों रुपयों की जरूरत है वहां पर किस प्रकार शार्टफाल रह गया। हाउसिंग में शार्टफाल, एजुकेशन में शार्टफाल, स्कैबैजिज स्कीम में शार्टफाल। जब हम आंकड़े देखते हैं कि ५० परसेंट, २५ परसेंट शार्टफाल होता है, कुओं में शार्टफाल, हाउसिंग में शार्टफाल, तो हमें रंज होता है। मेरा कहना है कि म्यूनिसिपैलिटीज के स्कैबैजिज के लिये मकान

बनाये जायें। अर्बन हाउसिंग सोसायटीज जो हैं वह जो प्लाट बनायें उन में से कुछ फ्री सदी, कम से कम ५ फ्री सदी प्लाट्स उन के लिये रिजर्व रखे जायें। वहां पर जो मकान बनायें उन को बिना नूद के लोन दिया जाय ताकि वह सब मिल कर एक साथ में रह सकें। नये नये शहर बनते हैं, नई नई दुकानें बनती हैं, बाजार बनते हैं, वहां भी उन के लिये कुछ न कुछ दुकानें रिजर्व रखी जायें ताकि वे लोग साथ में बैठ कर धन्धे कर सकें। ऐसा न हो कि किसी कोने में आप उन को रख दें। इस से अस्पृश्यता निवारण करने में सहायता होगी। मकानों के लिये कहा जाता है कि वे दक्षिण में हों या उत्तर में हों, वह सब बात तो ठीक है लेकिन एक बात सब से आवश्यक है, और वह यह कि हरिजनों के वास्ते मकान बनें व लो लाइंग एरियाज में न बनाये जायें। चूंकि अक्सर हरिजन लोगों के मकान लो लाइंग एरियाज में बने रहते हैं, नदी के पास बने होते हैं इसलिए जब जब बाढ़ आती है तो सब से पहले जिस को नुकसान पहुंचता है वह हरिजन होता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि उन को जो साइट्स दी जायें या आयन्दा उन के वास्ते जो मकान बनाये जावें, वे ऊपर की लेवल पर बनायें जायें। अगर ऐसा न किया गया तो बार बार यह सवाल उठता रहेगा। नये मकान बनेंगे और बाढ़ आने पर वे सब गिर जायेंगे। सम्बन्धित अधिकारियों को हरिजनों की आवास की व्यवस्था करने में इस बात का ध्यान रखना चाहिये और उन के प्रति एक हमदर्दी का भाव ले कर इस को करना चाहिये वरना हम इस समस्या को हल करने में कामयाबी नहीं पा सकेंगे।

चूंकि आदिवासियों के बारे में डेबर कमिशन रिपोर्ट के ऊपर चर्चा हो चुकी है। इसलिये उस के बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहती हूं। लेकिन इतना अवश्य

[श्रीमती जयाबेन शाह]

कहूंगी कि उन की दयनीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस कार्य को करना है। यह तो ठीक है कि वे आदिवासी और बनवासी जोकि जंगलों और पहाड़ों आदि में रहते हैं उन का जीवनस्तर आदि हम एकदम अन्य लोगों के समान नहीं उठा सकते हैं लेकिन इतना तो करना ही चाहिये कि वे जहां रहते हैं, जंगलों और पर्वतों में, वे बनवासी और गिरवासी हैं, उन को हम रोजगार और धंधा मुलभ करें और यह देखें कि वे इंसान की तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगे उन में से जो लोग कुछ पढ़ लिख कर शहरों में आ जाते हैं, उन को सरकार हर संभव प्रोत्साहन दे और उन को बड़ी से बड़ी नौकरी में स्थान भी दे। मगर ८० परसेंट लोग जोकि बन, जंगल और पहाड़ों आदि में रहते हैं उन के लिए हम क्या कर सकते हैं? उन के लिये दो चीजें करना जरूरी है। पहली आवश्यकता तो उन को एजुकेशन देने की है। उस के लिए जितना हम कर सकें, उतना करें। इस के अतिरिक्त जहां वे रहते हैं, उन के लिये वहीं हमें काम धंधे पैदा करने चाहियें। खाली इस से काम नहीं चलेगा कि हम बड़े बड़े शहरों में कुछ काम धंधे उन के लिये मुलभ कर दें। जरूरत इस बात की है कि ऐसी जमीन जोकि ऊसर है, बंजर है उस को हरिजन को देने के लिए फर्स्ट प्राएरिटी देनी चाहिये। सेंटर से हालांकि ऐसी मिफारिश की गई है लेकिन राज्यों में उस पर ठीक अमल होता नहीं है। मैं चाहती हूं कि केन्द्रीय सरकार पुनः राज्य सरकारों का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराये और इस पर सही तौर से अमल करने पर जोर दे। जहां भी हरिजन या आदिवासी वगैर काम के हैं, बेरोजगार हैं, उन को इस तरह की जमीन सब से पहले दी जाय। जमीन देने के साथ ही साथ उन को जरूरी इम्प्लीमेंट्स भी देने चाहियें।

मकान बनाते समय उन को पैसा मत

दीजिये बल्कि उस के लिये आवश्यक सामान व सामग्री उन को उपलब्ध करा दीजिये। उन को जमीन दीजिये और साथ ही साथ साधन भी दीजिये। ऐसा इंतजाम करने से ही हमारी मंशा जो उन को ऊपर उठाने की है, वह पूरी हो सकती है।

फॉरेस्ट कोओपरेटिव सोसाइटीज बनी हैं। सरकारी सहायता और कर्ज आदि की सहूलियत प्राप्त करने के लिए व्यापारी लोग और अन्य कोओपरेटिव सोसाइटीज आकर खड़ी हो जाती हैं और नतीजा यह देखने को मिलता है कि जो गरीब हरिजन लकड़ी काटने का धंधा करते हैं, उन को सरकारी सहायता और सहूलियत नहीं मिलती है। उन को मिलने में बड़ी दिक्कत है। अब अगर वह सहूलियत उन को नहीं मिलती है तो उन गरीब लकड़ी काटने वालों का एक्सप्लायटेशन होना जरूरी है। इसलिए मैं यहां यह सुझाव रखना चाहती हूं कि यः जो फॉरेस्ट कोओपरेटिव सोसाइटीज हैं, उन में जो काम करने वाले लोग हैं, उन का एक हिस्सा होना चाहिये। जो खुद अपना जंगल काटते हैं और काम करते हैं, उन को कुछ विशेष रिआयतें प्रदान करनी चाहिएं।

जैसाकि एक भाई ने बतलाया कि उन के प्रदेश में आदिवासी और बनवासी केवल महुआ खा कर अपना पेट पालते हैं, हो सकता है कि ऐसी हालत कहीं पर हो, ऐसी जगहों पर जो एक टैक्स लगता है अपनी लकड़ी आदि को इधर उधर ले जाने में, लकड़ी भी वे अपना गुजारा करने के लिए काट कर इधर से उधर ले जाते हैं, उस में टैक्स की शकल में या दूसरी कोई रुकावट या पाबन्दी नहीं होनी चाहिये। यह ठीक है कि इस का सेंटर से सम्बन्ध नहीं है और यह राज्यों का काम है कि वे इस को करें। अब राज्यों की हालत आप से

छिपी हुई नहीं है। होता यह है कि इस हरिजन कल्याण के कार्य को कोई विशेष अहमियत नहीं दी जाती है, इस का पोर्टफोलियो कोई महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है जोकि चीफ मिनिस्टर या किसी बड़े सीनियर मिनिस्टर के पास रहे। मैं चाहूंगी कि सेंटर में इस के लिए कोई स्पेशल मिनिस्ट्री बनाई जाय तभी यह काम ठीक से पूरा हो सकेगा। यह ठीक है कि हम मंत्रिमंडल के संबंध में ऐकोनामी करना चाहते हैं और मैं तो चाहती हूँ कि उस का आकार काफी छोटा कर दिया जाये, मौजूदा आकार को काट कर आधा कर दिया जाये लेकिन जब तक उस के लिए खास मिनिस्ट्री नहीं होगी जब तक यह काम किसी सीनियर मिनिस्टर के हाथों में नहीं होता तब तक जो परिणाम हम लाना चाहते हैं वह नहीं ला सकेंगे।

हमारे संविधान में अस्पृश्यता को एक कलंक माना गया है और सब को एक समान समझा गया है। अस्पृश्यता को दूर करने के लिए उस में साफ़ हिदायतें शासन को दी गई हैं। वे सब ठीक हैं लेकिन देखना यह है कि उन हिदायतों पर अमल करने का दायित्व जिन अधिकारियों पर आता है वे क्या दिल से ऐसा चाहते हैं कि यह चीज बिलकुल मिट जाये? हरिजन कल्याण और उन का विकास करने के लिये जिन अधिकारियों को यह काम सौंपा जाय, उन के वास्ते यह देखना कि कौन सीनियर है और कौन जूनियर है और सीनियर को यह काम सौंपा जाय और जूनियर को न दिया जाय, ठीक न होगा। ऐसे सीनियर अफसर जिस के दिल में हरिजनों के प्रति हमदर्द का भाव न हो, उस को यह काम सौंपा जाना उचित नहीं है। भले ही वे जूनियर क्यों न हों लेकिन अगर उन के दिलों में पिछड़े लोगों के लिये प्रेम है, सहानुभूति है, तो उन को ही हरिजन कल्याण और विकास का कार्य सरकार को सौंपन चाहिये। चूँकि आज इस का ध्यान नहीं रक्खा जाता है इसलिए हम सब देखते

हैं कि वह काम जैसा बनना चाहिये, नहीं बनता है। बस इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करती हूँ।

श्री साधू राम (फिल्लौर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह खुशी की बात है कि आज तीन साल के बाद २० करोड़ आदमियों की बात सोचने के लिए जोकि इस देश में बसते हैं, यह शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स कमिशन की रिपोर्ट इस सदन के सामने आई है। इस से पहल कि मैं अपनी बात कहूँ, मुझे इस बात का ख्याल आता है कि हमारी पार्लियामेंट के पास, जोकि देश की सर्वोच्च सार्वभौम प्रजातंत्री सत्ता है, उस के पास इतना वक्त नहीं होता कि वह १०, २० करोड़ आदमियों के बारे में विचार करने के लिए कुछ अधिक समय रख सके। यह समस्या इतनी गम्भीर है कि ५, ५ या १०, १० मिनट में ठीक तरह से पूरी बात नहीं कही जा सकती है और जो असल हालात हैं वे इस सदन में नहीं रक्खे जा सकते हैं।

इस देश में सैसस के अनुसार १० करोड़ शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग माने जाते हैं। इस के अलावा अदर बैकवर्ड क्लासेज भी इस में शामिल होते हैं जिन के लिए यह सारा रुपया इस प्लानिंग कमिशन ने रक्खा है। कुल १०० करोड़ रुपया थर्ड फाइव ईयर प्लान में रक्खा गया है। ७० करोड़ रुपया स्टेट्स सैक्टर से और ३० करोड़ रुपया सेंटर सैक्टर से उन की भलाई के लिए रखा जाता है। अभी कल मैं ने यहां बैठे हुए बैकवर्ड क्लासेज के चेअरमैन से पूछा कि अदर बैकवर्ड क्लासेज की हमारे देश में कितनी आबादी है तो उन्होंने ने बतलाया कि अंदाज़न कोई १२ या १४ करोड़ के लगभग होगी। अब इस के हिसाब से अगर शैड्यूल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेज की आबादी को एक जगह मिला दिया जाय, उन को आपस में जोड़ दिया जाय तो मेरे ख्याल में २०-२२ करोड़

[श्री साधू राम]

के करीब ऐसे लोग होंगे जिन के लिए १०० करोड़ रुपये का प्राविजन पांच साला प्लान में रक्खा गया है। इस का मतलब यह निकलता है कि अगर बीस करोड़ रुपया सालाना उन की अपलिफ्ट के लिए खर्च किया जाये और इस हिसाब से एक साल में एक आदमी के लिए एक रुपये की मदद की जाये, तो कितने हजार साल के बाद वे लोग तरक्की कर सकेंगे ? इस से मैं सोचता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट का प्लानिंग गलत है, क्योंकि एक तरफ तो हमारा नारा है सोशलिज्म और सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी और दूसरी तरफ हम वीकर सैक्शनज़ आफ दि सोसायटी, इस देश के कमज़ोर आदमियों, के लिए रुपया नहीं रखते हैं, उन को मदद नहीं देते हैं। इस सूरत में समाजवाद और सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी कहां से आ जायेंगे ? देश में आज शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ और अदर बैकवर्ड क्लासिज़ की जो हालत है, वह आप के सामने इस सदन के हर एक मेम्बर ने रखी है, चाहे वह आपोजीशन का हो और चाहे गवर्नमेंट बैचिज़ का। सब इस बात पर इत्तिफ़ाक करते हैं कि उन की भलाई नहीं हो रही है। जब सारे मेम्बर पार्लियामेंट में यह बात कहते हैं, तो क्या गवर्नमेंट का ध्यान इधर नहीं जाता है, क्या गवर्नमेंट इस पर विचार वहीं करती है ?

पंद्रह सोलह बरस से हमारा देश स्वतंत्र हुआ है। इस स्वतंत्रता के बाद जितनी तरक्की शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ और अदर बैकवर्ड क्लासिज़ ने की है, वह किसी से छिपी हुई नहीं है। जहां तक उन की भलाई का ताल्लुक है, मैंने अर्ज़ किया है कि एक रुपया एक आदमी के लिए एक साल में खर्च किया जाये, तो वह कैसे तरक्की कर सकेगा। इस लिए मैं यह सोचता हूँ कि ऐसा मालूम होता है कि इस देश में डेमाक्रेसी बहुत देर तक चलने नहीं पायेगी, क्योंकि जो लोग सोश-

लिज्म चाहते हैं, जिन लोगों में सोशलिज्म पैदा होता है और जो सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी बनाना चाहते हैं, . .

श्री बाल्मीकी : वे तो किताबों से पढ़ कर बात करते हैं।

श्री साधू राम : . . . उन लोगों की तरफ़ गवर्नमेंट की तरफ़ से बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। इस में कुछ न कुछ तब्दीली आनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट के रवैये में तब्दीली न होगी, तो उन लोगों का भला नहीं होन वाला है।

जैसा कि शिड्यूल्ड कास्ट्स कमिशनर ने अपनी रिपोर्टों में कहा है, देश में इतनी ज़मीन पड़ी है, लेकिन उस को लैंडलेस लोगों में तकसीम नहीं किया गया है। सोलह बरस के बाद भी वे लोग एक एक इंच ज़मीन के लिए तरस रहे हैं। दूसरी तरफ़ हमारा लक्ष्य है “थ्रो मोर फूड”, देश में अनाज ज्यादा पैदा करो। अनाज कहां पैदा होगा, जबकि हम लोगों में ज़मीन तकसीम नहीं करेंगे ? जो लोग खेती-बाड़ी करना चाहते हैं, या खेती-बाड़ी कर रहे हैं, जिन का जीवन खेती-बाड़ी पर निर्भर है, सरकार उन लोगों को ज़मीन नहीं दे रही है। हमारा नारा था, “लैंड टु दि टिलर”। अगर टिलर को ज़मीन दी जानी है, तो कब दी जानी है ? क्या सौ, दो सौ बरस बाद ? उस का कोई न कोई टाइम मुकर्रर होना चाहिये। मुझे प्लानिंग में ऐसी कोई बात नज़र नहीं आती कि वह ज़मीन कभी तकसीम हो सकेगी।

इस रिपोर्ट के चैप्टर ६, पेज ५४ पर यह लिखा है कि इस वक्त गवर्नमेंट के पास कई किस्म की ज़मीन है। “रिक्लेमेशन आफ दि कल्टीवेबल वेस्ट-लैंड, सरप्लस लैंडज़ रिलीज्ड आफ्टर दि फिक्सेशन आफ सीलिग्न औन होल्डिगज़ एन्ड भूदान एंड ग्रामदान लैंडज़”। इतने किस्म की पांच मिलियन एकड़ ज़मीन इस रिपोर्ट में दर्ज की गई है। इस रिपोर्ट

में यह भी दर्ज है कि सात लाख फ़ैमिलीज लैंडलैस हैं। अगर सात लाख फ़ैमिलीज में पांच मिलियन एकड़ जमीन तकसीम कर दी जाये, तो तकरीबन दस एकड़ से ऊपर फी फ़ैमिली जमीन आती है। लेकिन वह जमीन तकसीम नहीं की जा रही है।

जहां तक स्कालरशिप्स का सवाल है, वे अधूरे हैं और वे वक्त पर भी नहीं मिलते हैं। इसलिए उन लोगों की तालीम में भी उतना इजाफ़ा नहीं हो रहा है, जितना कि होना चाहिए था।

हालांकि सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन मुकर्रर की हुई है, लेकिन लोग हाहाकार कर रहे हैं कि उन की प्रोमोशन वगैरह नहीं हो रही है। मैं समझता हूँ कि अगर रिजर्वेशन मुकर्रर की गई है, तो प्रोमोशन भी रिजर्वेशन के हिसाब से होनी चाहिये। सुप्रीम कोर्ट का इस बारे में एक रूलिंग भी आया था, लेकिन किसी डिपार्टमेंट ने उस को इम्प्लीमेंट नहीं किया है। रेलवे में कुछ इम्प्लीमेंट किया गया था, लेकिन मेरे पास यह इन्फ़ॉर्मेशन है कि जब से वह महकमा दूसरे मंत्री के पास गया है, कुछ लोगों को जो प्रोमोशन मिली, वह उन से वापिस ली जा रही है। यह बड़े दुख की बात है कि वह रिजर्वेशन पूरी नहीं हो रही है। जहां तक प्रोमोशन का ताल्लुक है, अगर उन लोगों ने दूसरे आदमियों से कम्पीट करना है, तो फिर रिजर्वेशन का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है।

इस वक्त यहां पर क्लास वन, टू और थ्री में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के जितने आदमी हैं, वे इस रिपोर्ट में दर्ज हैं। तफ़सील में जाने की मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि इस तरफ़ जरूर ध्यान देना चाहिये। गवर्नमेंट सर्विसेज में रिजर्वेशन को और जो प्रोमोशन वे लोग चाहते हैं, उस को जरूर पूरा किया जाये। उस के लिए कोई न कोई टाइम जरूर मुकर्रर किया जाये, ताकि उस टाइम में वह पूरा हो सके।

जहां तक फ़ौज में भर्ती का सवाल है, यह आम शिकायत है कि हरिजनों और शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज को फ़ौज में भर्ती नहीं किया जा रहा है। मेरी समझ में नहीं आया कि उन को भर्ती क्यों नहीं किया जा रहा है। हमारे जो रिक्रूटिंग आफिसर हैं, वे उन के साथ डिस्क्रिमिनेशन करने हैं और उन को फ़ौज में भर्ती नहीं करते हैं। इस वजह से देश के लोग लड़ाई ठीक नहीं कर पाते हैं। मैं समझता हूँ कि जो भूखा और गंगा आदमी है इस देश का, वह अपन देश के लिए बेहतर लड़ सकता है, न कि वह आदमी जिस को कलम उठाने से बोझ लगता है। वे लोग नहीं लड़ सकेंगे। इस देश के करोड़ों आदमी ऐसे हैं, जिन को भर्ती कर के देश की अनएम्पलायमेंट को दूर किया जा सकता है, उन को रोज़ी मिल सकती है और देश का बचाव हो सकता है। जो लोग बारह तेरह घंटे खेत में काम करते हैं, जो लकड़ी काट कर गुजारा करते हैं, दो तीन मन बोझा उठा सकते हैं, उन को फ़ौज में भर्ती करना तो ठीक नहीं समझा जाता है, लेकिन जो लोग दुकान में काम करते हैं, . .

श्री बाल्मीकी : मैं एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ। माननीय सदस्य ने कहा है कि फ़ौज में डिस्क्रिमिनेशन है। फ़ौज में जाने के बाद डिस्क्रिमिनेशन की शिकायत कम मिलती है, लेकिन रिक्रूटिंग आफिसर तक डिस्क्रिमिनेशन है। वहां तक वह बीमारी है। अगर कोई फ़ौज में चला जाय, तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि हमारी फ़ौज में जाने के बाद किसी भी हरिजन नौजवान को डिस्क्रिमिनेशन नहीं मिलता है। लेकिन यह जरूरी बीमारी है कि रिक्रूटिंग आफिसर्स डिस्क्रिमिनेशन करते हैं इस और सरकार का ध्यान जाना चाहिए।

श्री साधू राम : जब जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट और राजपूत रेजिमेंट हो सकती है, तो फिर एक हरिजन रेजिमेंट क्यों नहीं हो सकती है ? मैं चाहूंगा कि उन की रेजिमेंट बनाई जाये। और वे देश की रखवाली के लिए सब से मजबूत

[श्री साधू राम]

आदमी हैं और इस वक्त देश को बचा सकते हैं ।

श्री काशी राम गुप्त : क्या माननीय सदस्य बाद में यह मांग तो नहीं करेंगे कि चमार रेजिमेंट अलग हो और शिड्यूल्ड कास्ट्स की दूसरी जातियों की रेजिमेंट अलग हो ?

15 hrs.

श्री साधू राम : मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूँ कि हरिजनों के साथ आज बड़ी बड़ी बेइसाफियां हो रही हैं । दिल्ली की मिसाल ही आप ले लीजिये, पंजाब में अमृतसर को ही ले लीजिये । इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट जो बने हुए हैं, व हरिजनों के मुहल्लों के मुहल्ले गिरा देते हैं, उन को घर बनाने तक के लिए जमीन नहीं देते हैं । जिन जगहों पर ये लोग रह रहे होते हैं, वहां पर से इन को झोंपड़े गिरा कर उन जमीनों को अपने कब्जे में ले कर उसी की कीमत को दस दस गुना बढ़ा कर के इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और टाउन प्लानिंग वाले, रुपया कमाते हैं । इस तरह से इन को उजाड़ना और इन को बरबाद करना ठीक नहीं है । आज आप देख ही रहे हैं कि रिहैबिलिटेशन वाले इन की बस्तियों को हटा रहे हैं और उन को २५-२५ या ५०-५० गज जमीनें दी जा रही हैं ताकि वे बेचारे एक बार उजड़ कर फिर अपनी हरिजन बस्तियां बनायें । यह उचित नहीं है । मेरा सुझाव है कि उसी जगह पर जहां ये रह रहे हों, इन में से कुछ परसेंट को जमीन दे दी जानी चाहिये और उन को अच्छे तरीके से आबाद करना चाहिये, बसाना चाहिये ।

जहां तक प्लानिंग का सम्बन्ध है, प्लानिंग कमिशन में जब तक शैड्यूल्ड

कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग मैम्बरों के तौर पर बराबर बराबर दूसरे लोगों के नहीं बैठते हैं, तब तक प्लानिंग नहीं हो सकता है और जो प्लानिंग होगा भी, गलत होगा । जितना इन लोगों की उन्नति के लिए रुपया चाहिये वह रुपया तब तक नहीं रखा जा सकता है जब तक इन को वहां पर स्थान न मिले । दूसरे मदों के लिए तो अरबों और खरबों रुपया रख दिया जाता है लेकिन इन के वास्ते, इन की भलाई के कामों के वास्ते बहुत ही थोड़ा सा रुपया रखा जाता है । जब इस तरह की मनोवृत्ति है तो सोशलिज्म हमारे देश में कहां से आयगा और किस तरह से देश में सोशलिज्म की बात चल सकती है । जो काम करने वाला आदमी है, उस की ज्यादा कद्र होनी चाहिये । दूसरे देशों में, इंग्लैंड वगैरह में आप देखें कि जो लेबरर होता है, जो काम करता है उस को ज्यादा पैसा मिलता है । लेकिन यहां का जो लेबरर है, वह रो रहा है, हरिजन रो रहे हैं, सभी लोग जो कारखानों में काम करते हैं और जिन के अपने कारखाने नहीं हैं, वे बेचारे रो रहे हैं, वे बेचारे पिस रहे हैं । सोशलिज्म तभी आयगा जब आप इस बात का फैसला करेंगे कि जो आदमी काम करता है, उस को उस काम का पूरा मुआवजा मिलेगा, पूरी उजरत मिलेगी । चाहे कोई कारखाने में काम करता हो या खेती में काम करता हो, उस को अपनी मेहनत का पूरा मुआवजा मिलना चाहिये । जिस तरीके से आप चल रहे हैं, उस से समाजवाद आने वाला नहीं है ।

आज देश में लोग अरबों पति बन रहे हैं । आजादी के बाद कुछ लोगों के पास दीलन बढ़ रही है लेकिन जो गरीब हैं, वे मर रहे हैं, मजदूर जो हैं वे रो रहे हैं, किसान रो रहे हैं,

हरिजन रो रहे हैं। उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। अगर उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है तो सोशललिज्म का क्या मतलब रह जाता है, किस तरह से समाजवाद की बात आप कर सकते हैं। जो रास्ता आपने अख्तियार किया है, उलटा अख्तियार किया है। समाजवाद यहाँ आया, ठेकेदारी प्रथा जो है, उसको समाप्त करके। मजदूर लोग जो ठेकेदारों के पास काम करते हैं, उनसे जो मुनाफा होता है वह ठेकेदार खाता है। मजदूर बेचारे दिन भर काम करते हैं, रात दिन अपना खून पसीना एक करते हैं, उनको जो उनका हिस्सा है, वह मिलना चाहिये। उनको तो ढाई रुपया या दो रुपया रोज मिलता है और जो ठेकेदार है, वह दो सौ या चार सौ रुपया रोज अपनी जेब में डाल देता है। यह जो ठेकेदारी प्रथा है, इसको खत्म किया जाना चाहिये। इसके रहते गरीबों की हालत बेहतर नहीं हो सकती है। अगर इस तरह की बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो देश में वदअमनी फैल सकती है। करोड़ों लोगों के पास आज रोटी नहीं है, वे भूखे हैं, उनके पास मकान नहीं है, पढ़ने के लिये उनके पास कपड़ा नहीं है। ये जो उनकी ज़रूरतें हैं, इनको आपको पूरा करना होगा। गरीब लोगों की बात सुनने के लिए जो समय आपने दिया है, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। एक बात मैं यह भी कह देना चाहता हूँ कि जो सी० डी० एस० स्कीम है, इसको खत्म कर दिया जाना चाहिये क्योंकि बहुत से गरीब लोग इसमें पिस रहे हैं।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) :
उपाध्यक्ष महोदय, साइमन कमिशन की लाटियां खाने के बाद लाला लाजपतराय जब अस्पताल में बीमार थे तो उन्होंने बड़े निराश हो कर अपने एक मित्र को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने पूछा कि मेरी समझ में नहीं आता है कि जो अंग्रेज इतना अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं और हम भारतीय जो धर्मात्मा तथा पुण्यात्मा हैं, यह क्या बात है

कि वे तो फलते फूलते रहे हैं और हम बराबर कष्ट में हैं। लाला लाजपतराय की मृत्यु के बाद उनका यह पत्र तथा उनके उस मित्र द्वारा भेजा गया उत्तर समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ था। उनके मित्र ने पत्र के उत्तर में लिखा था कि यह सही है कि हम धर्मात्मा और पुण्यात्मा हैं और अंग्रेजों में हमारी अपेक्षा ये दोनों बातें कम हैं, लेकिन थोड़ा सा हम आत्मनिरीक्षण भी तो करें, अपने गिरहबान में मुंह डाल कर देखें कि हमने अपने देश के करोड़ों भाइयों के साथ क्या व्यवहार किया हुआ है। आज जो हमारे ही भाई राम और कृष्ण का नाम लेते हैं, गंगा और यमुना की जय कते हैं, लेकिन हमने इन लोगों को अपने बराबर बैठने का अधिकार नहीं दिया हुआ है, हमने समाज के इस वर्ग को उन अधिकारों से वंचित रखा है जो कि प्रत्येक मनुष्य को प्राप्त हैं। जब कि हमने पराधीन होते हुए भी अपने ही करोड़ों भाइयों को गुलाम बनाया हुआ है और उसके बाद भी हम अपने को धर्मात्मा और पुण्यात्मा कहें तो इसका क्या अर्थ रह जाता है। हिन्दू समाज का यह इतना बड़ा पाप है कि जिसका प्रायश्चित्त आसानी से नहीं किया जा सकता है। स्वतन्त्र होने के इतने वर्षों बाद भी इसका प्रायश्चित्त नहीं हो सका है और अभी न जाने कितने वर्षों तक और हमें उसका प्रायश्चित्त करना पड़ेगा।

जो रिपोर्ट प्रस्तुत है, इस पर कुछ करने से पहले मैं अनुसूचित जातियों के कमिश्नर महोदय से एक शिकायत भी करना चाहता हूँ वह यह है कि अब तक यह रिपोर्ट जब जब भी सदन में आई है, दोनों भाषाओं में आई है। जिनके सम्बन्ध में यह रिपोर्ट है, उनमें ६८ या ६९ प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी से अपरिचित हैं। वे भी अगर अपने दुःख दर्द की दो पंक्तियां पढ़ लिया करें अपने सम्बन्ध में, तो यह कोई अनुचित बात नहीं कही जा सकती है। अगर वे भी यह जानन हैं कि कमिश्नर महोदय ने क्या रिपो

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

दी है, तो यह स्वाभाविक ही है। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती अगर कमिश्नर महोदय ने दोनों भाषाओं में इस रिपोर्ट को दिया होता। कल जब मैंने इस बात की जानकारी ली तो मुझे बताया गया कि हिन्दी की रिपोर्ट अभी छप रही है। अगर हिन्दी की रिपोर्ट छप रही है, तैयार हो रही है यह सच है तो इसका सीधा अभिप्राय यह है कि उसके प्रति उतनी ज्यादा तत्परता नहीं बरती गई है जितनी कि ग्रंथी भाषा के प्रति बरती है।

15.06 hrs.

[MR., SPEAKER in the Chair]

दूसरी विशेष बात जो मैं कहना चाहता हूँ और पहले भी हमेशा ही इस रिपोर्ट के सम्बन्ध में कहा रहा हूँ वह यह है कि हमारे देश में जो करोड़ों भाई जंगलों में, पहाड़ों और सुनसान स्थानों में रहते हैं उनकी गरीबी का, उनकी अशिक्षता का, अनुचित लाभ उठाया जा रहा है। विदेशों से आने वाला करोड़ों रुपया उनके धर्म परिवर्तन के काम में व्यय हो रहा है। अन्न देकर, वस्त्र देकर, अमरीका से आया आटा और धी आदि दे कर किस तरह से उन लोगों को धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, यह मैं कई बार यहां बता चुका हूँ। इस बात को मुझे आज फिर आप कहने की आज्ञा दीजिये कि आटा, धी, कपड़ा, दवा वगैरह जो विदेशों से आते हैं, उनके वितरण की जो एजेंसियां हैं वे केवल क्रिश्चियन एजेंसियां ही हैं उनके द्वारा ही केवल इनका वितरण नहीं होना चाहिये बल्कि दूसरी एजेंसियों को भी यह काम सौंपा जाना चाहिये जिससे समान रूप से सब को इन वस्तुओं का वितरण हो सके। इस बात की भी आवश्यकता है कि इसको देखा जाए कि बार से आने वाला धन या सहायता किसी के धर्म परिवर्तन के उपयोग में न लाई जा सके।

लेकिन अब धर्म परिवर्तन के लिए विदेशों से आने वाले पैसे का एक दूसरा उपयोग भी किया जा रहा है और वह यह है कि शिक्षा के सम्बन्ध में ईसाई संगठनों द्वारा

ऋण दिया जाता है और ऋण देने के पश्चात् जब वह गरीब आदमी उस ऋण को अदा नहीं कर पाता है तो उनको इस बात के लिए विवश किया जाता है छोटा नागपुर, रांची तथा उड़ीसा के कई क्षेत्रों में, कि अगर वह धर्म परिवर्तन कर ले तो उनमें उस ऋण का एक पैसा भी नहीं लिया जाएगा। मैं चाहता हूँ कि कमिश्नर महोदय इस बात की जानकारी लें कि मेरे इस कथन में कहां तक सत्यांश है कि अगर वे ईसाई हो जायें तो उनको एक पैसा भी ऋण का अदा नहीं करना पड़ेगा।

अब एक दूसरा प्रकार धर्म परिवर्तन का आरम्भ हुआ है। जो हरिजन छात्र हैं या जो पिछड़ी जातियों के छात्र हैं, उनको यह कहा जाता है कि अगर आप ईसाई हो जायें तो अमरीका में, इंग्लंड और कनाडा में इस प्रकार के स्थान हैं कि जहां आपको एक पैसा भी व्यय नहीं करना पड़ेगा, आने जाने का कोई व्यय भी नहीं करना पड़ेगा, आपकी पढ़ाई का सारा व्यय हम करेंगे पर आपको केवल धर्म परिवर्तन करने की आवश्यकता है। अगर शिक्षा प्राप्ति के नाम पर धर्म परिवर्तन कराया जाए स्वतन्त्र होने के बाद भी पेट के लिए धर्म परिवर्तन या कर्ज चुकाने के लिए धर्म परिवर्तन हो तो इस शासन के लिए इससे बड़ी लज्जा की कोई दूसरी बात नहीं हो सकती है। जिस देश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए, या जिस देश में पेट भरने के लिए लोगों को धर्म कीमत में देना पड़ता है, उस देश के लिए डूब मरने की इससे बड़ कर कोई और बात नहीं हो सकती है।

इसकी चर्चा भी इस सदन में हो चुकी है कि विदेशों से जो पैसा इस देश में आता है या जो पैसा उन देशों के दूतावासों के द्वारा आता है, उसका भी वे धर्म परिवर्तन में उपयोग करते हैं। इसको न केवल उन लोगों ने जो कि उस धर्म को मानने वाले नहीं हैं, कहा है बल्कि हमारे पहले गृह मंत्री

श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को भारतीय ईसाई पादरियों की ओर से कुछ इस प्रकार के ज्ञापन दिये गये हैं कि जो ईसाई पादरी विदेशों के हैं वे जब चले जाते हैं तो उनके स्थान पर भारतीय पादरियों की नियुक्ति की जाए, उनके स्थानों की पूर्ति भारतीय पादरियों से ही की जाए। विदेशी पादरियों के आने की अनुमति क्यों दी जाती है जब कि यहां आकर वे हमारी राजनीति में भी दखल देते हैं और हमारे देश की समस्याओं को अन्दर से बिगाड़ने का प्रयत्न करते हैं। मेरी तो यह भी जानकारी है कि भारतवर्ष में इस प्रकार के भी ईसाई मिशन हैं जिनका सम्बन्ध अभी तक भी भारतवर्ष के किसी ईसाई संगठन से न होकर सीधे विदेशों के ईसाई संगठनों से है। इसका सब से बड़ा प्रमाण यह है कि जिस समय नेफा में हमारी सेना पीछे हट गई थी और वहां शान्ति बनाने में सफलता नहीं पाई तो हमारे प्रधान मंत्री ने उनसे पूछा कि आखिर कारण क्या है कि इतने लम्बे अरसे के बाद, हजारों सिपाही भेजने के बाद अभी तक वहां आप क्यों नहीं सफल हो पाये ? उस समय वहां हमारी सेना के सर्वोच्च अधिकारी ने प्रधान मंत्री को पत्र लिखा था, उसमें उन्होंने जहां और कारण बतलाये, एक कारण यह भी बतलाया कि विदेशों से आये पादरी और उनका पैसा भारतीय पादरियों यानी उनके एजेंटों के द्वारा जब तक नेफा में खर्च होता रहेगा, तब तक वहां की जनता में मिलिटरी द्वारा शासन स्थापित नहीं हो सकता। अगर यहां अच्छा शासन स्थापित करना है तो एक ही तरीका है नेफा के क्षेत्र से उन लोगों को निकाल बाहर किया जाये। न केवल वहां पर, बल्कि केरल में भी पीछे क्रिश्चियन्स ने क्या परिस्थिति पदा की थी, क्या हमारी सरकार उन तमाम बातों से परिचित नहीं है ? उड़ीसा में, और भारतवर्ष के जो सीमावर्ती इलाके हैं, वह चाहे केरल हो, उड़ीसा हो, या उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिले हों, इस समय जितना कार्य उन लोगों का योजना

बना कर सीमावर्ती क्षेत्रों में चल रहा है, वहां पर जो करोड़ों रुपया व्यय किया जा रहा है, उसका एक तो दुष्परिणाम नागालैंड का तृथक निर्माण हम देख चुके हैं। संख्या बढ़ने के पश्चात् उन्होंने एक प्रान्त नहीं, एक नये देश के नाम से, जो कि अभी तक विदेश मंत्रालय के अधीन है, उसका निर्माण कराया। लेकिन हमारी सरकार इसी प्रकार से बराबर इनकी उपेक्षा करती चली गई, गम्भीर कोई निर्णय नहीं लिया, तो मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि नहीं कहा जा सकता कि इस देश में कितने नागालैंडों का निर्माण और होगा।

इसलिये गृह मंत्रालय जहां हमारे इन पिछड़े हुए भाइयों के सम्बन्ध में विचार कर रहा है, वहां उस को इस प्रकार का भी विचार करना चाहिये कि लोथ में, लालच में या दबाव में आ कर धर्म परिवर्तन न किया जा सके। मैंने पिछली बार भी इस बात को कहा था, आज दूसरी बार मैं फिर कहता हूं कि शेड्यूल्ड कास्ट्स ऐंड शेड्यूल्ड ट्राइब्ज कमिशनर जहां इतनी लम्बी चौड़ी रिपोर्ट देते हैं, कृपा कर के वे जब एक एक व्यक्ति से और एक एक परिवार से मिलते हैं तथा सारे आंकड़े एकत्रित करते हैं, वहां क्यों न इस प्रकार के आंकड़े भी वह एकत्रित करते कि पहाड़ी क्षेत्रों में कितने व्यक्ति इस प्रकार के थे जिन को धन का लोभ दे कर धर्म परिवर्तन किया गया था या दबाव में आ कर धर्म परिवर्तन किया गया या कर्जा अदा न करने के कारण धर्म परिवर्तन किया गया। यह आंकड़े भी तो कुछ हमें दिये जायें। उस के आधार पर अगर गृह मंत्रालय और कुछ नहीं कर सकता तो कम से कम इतना तो अवश्य कर सकता है कि पिछड़े क्षेत्रों में जहां शिक्षा की कमी है, जहां गरीबी बहुत है, कुछ ऐसे प्रतिबन्ध लगाये कि अगर वहां किसी का धर्म परिवर्तन होगा तो पहले जा कर उसे इसकी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के यहां ऐप्लिकेशन देनी होगी और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जब इस बात से सन्तुष्ट हो जायेगा कि वह

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

आदमी किसी लोभ, लालच के अथवा दबाव के कारण धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा है केवल धार्मिक भावना से प्रेरित हो कर धर्म परिवर्तन कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट द्वारा उस को धर्म परिवर्तन की इजाजत दी जाये। दूसरे आधारों पर जो धार्मिक ठगी होती है, जैसे कि आधार पर जो धोखा धड़ी चल रही है उस पर सख्ती से प्रतिबन्ध लगना चाहिये।

एक अन्य बात मैं विशेष रूप से यह भी कहना चाहता हूँ, कि जितना धन अनुसूचित जातियों या जो हरिजन भाई हैं उन का स्तर उठाने के लिये व्यय किया जाता है, वह प्रायः ऐसे लोगों को दिया जाता है जो हाथ पवित्र नहीं हैं या फिर जो धन दिया जाता है उन गरीबों के लिये उस का पूरा उपयोग उन के लिये वे कर सकें। मेरे करने का तात्पर्य यह है कि इस में सरकारी कर्मचारियों पर ही सोलह आने दायित्व न छोड़ दिया जाय, सामाजिक संगठनों को भी इस में आप को साथ लेना चाहिये। कभी कभी ऐसा होता है कि सरकारी डंडा इस प्रकार की सामाजिक बुराइयों को मिटाने में उतना सफल नहीं होता जितना सामाजिक संगठन होते हैं। आप ने स्वतन्त्र होने के पश्चात् यह आन्दोलन प्रारम्भ किया है, लेकिन कबीर के समय में कौन सी गवर्नमेंट सहायता देती थी महर्षि दयानन्द के समय में कौन गवर्नमेंट सहायता देती थी, गुरु नानक देव के समय में कौन गवर्नमेंट सहायता देती थी? उस समय जो सामाजिक आन्दोलन प्रारम्भ किया गया वह बिना किसी सरकारी सहयोग के ही तो थे। अगर आप सरकारी मशीनरी के अतिरिक्त दूसरे सामाजिक संगठनों को अपने सम्पर्क में लें और उन के द्वारा इस सामाजिक अभिशाप को मिटाने का प्रयत्न करें तो मेरा अनुमान है कि इस में बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है।

एक बात ऐसी है जिस के लिये मैं समझता हूँ यदि नीति में परिवर्तन आप कर लें तो बहुत

से लोग आप को बधाई देंगे वह यह कि आप ने जो हरिजन छात्रों के लिये छात्रावास अलग बनाये हैं। उन के साथ आपने न्याय नहीं किया है। उन के लिये जो पृथक छात्रावास बनाये गये उस से भी जो उन के प्रति समाज में भावना थी उस को उन को फिर उसी चहारदीवारी में समेट दिया। आप का नैतिक कर्तव्य यह है कि जहाँ एक छात्रावास बनाया गया है भले ही वहाँ दो बनाते, तीन बनाते, लेकिन उन में समान रूप से सब छात्रों के रहने की व्यवस्था करते। आप उन के लिये अलग छात्रावास बना कर उन के साथ न्याय नहीं करते बल्कि समाज में पृथक्तावादी प्रवृत्ति को और प्रोत्साहित करते हैं।

अपनी बात को समाप्ति की ओर ले जाते हुए मैं दो बातें कहूंगा। एक तो यह है कि माननीय सदस्य मास्टर साधू राम वैमल ने यह कहा कि जिस तरह से जाट रेजिमेंट और डोगरा रेजिमेंट हैं उसी प्रकार से एक हरिजनों का रेजिमेंट भी बनाया जाये। मास्टर जी मेरा अपना विचार इस प्रकार का है कि हमारे देश की एकता को सुरक्षित रखने के नाम पर जाट और डोगरा नाम भी उन में से हटा दिये जायें। कोई नाम वहाँ नहीं होना चाहिये। अगर हम इस प्रकार की मांग करने लगें जैसे कि आप ने की है तो इस से हमारी हानि होगी। जब पिछली बार बंगाल रेजिमेंट की बात आई तो उसी समय चर्चा चल पड़ी थी कि अगर बंगाल रेजिमेंट हो तो उड़ीसा रेजिमेंट क्यों न हो, बिहार रेजिमेंट क्यों न हो। इस प्रकार की मांग अब समाप्त हो जानी चाहिये क्योंकि इन मांगों के कारण देश में बुराई पैदा होती है। अन्त में इस बात को कह कर मैं अपनी बात समाप्त कहूंगा कि जो करोड़ों, अरबों रुपया पिछड़ी जातियों और हरिजनों के विकास के नाम पर व्यय किया जा रहा है, उस रुपये के बहुत बड़े भाग का लाभ

हरिजनों का एक वर्ग लेता है और बहुत बड़ा वर्ग जो पिछड़ा हुआ है उस से वंचित रह जाता है। मुझे स्पष्ट शब्दों में इस के कहने की आज्ञा भले ही मत दीजिये लेकिन मैं सांकेतिक शब्दों में कहना चाहता हूँ कि सारा सदन समझ रहा है कि आप को इस दिशा में भी जानने का प्रयत्न करना चाहिए कि कोई भी पैसा जो हरिजनों का एक छोटा सा भाग है उस के ऊपर न उठे बल्कि समान रूप से सब में उस का वितरण हो। इन शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

Dr. P. S. Deshmukh (Amravati): Mr. Speaker, Sir, I am glad to be able to take part in this debate. I have been wanting to do it for some time but, somehow or other, I could not get an opportunity to do it. Sir, it is very good that once every year we have a summary of the work done for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the hon. Members of the House get an opportunity to lodge their complaints. Most of the complaints are well-founded and they generally relate to improper utilisation of funds, vigorous steps not being taken in the matter of appointments even where there has been reservation for these people and so on. In as much as I have one specific point to urge, I would not go into details of the complaints which have been put forward but I would generally express my sympathy and support to them.

In the case of one group of backward classes Government has been very very unjust and unfair. In fact, it has acted against the Constitution. I have been trying to point it out time and again but, I am afraid, the conscience of this Government is yet to be awakened. In the Constitution we have articles 339 and 340. I need not point out what article 339 refers to, because only the other day we had a fairly long debate on the report of the Dhebar Commission which was appointed for finding out the conditions

of the tribal people and the tribal areas.

Here I just want to point out the distinction that Government has made in the treatment of article 339 from article 340. According to article 339:

"The President may at any time and shall, at the expiration of ten years from the commencement of this Constitution by order appoint a Commission to report on the administration of the Scheduled Areas and the welfare of the Scheduled Tribes in the States."

Now, this has been done. But, what is the treatment given to article 340? That article reads:

"The President may by order appoint a Commission consisting of such persons as he thinks fit to investigate the conditions of socially and educationally backward classes within the territory of India..."

This Constitution was adopted on the 26th January, 1950. The Commission was appointed in January, 1953. The report of the Commission came to Government two years afterwards. Now, eight and a half years have passed and yet Government has taken no step to put this report before the House. Not only that. It is now trying to go back even on the assurances which a celebrated personality like the late Shri G. B. Pant had given to the people. I know he did not like the other backward classes very much because of certain misunderstandings. But, even so, he did not have courage enough to wipe out the educationally and socially backward classes, who deserve protection and facilities under the Constitution. Pointing out the various difficulties in his preface when this Commission's report was presented to the Government he did say:—

[Dr. P. S. Deshmukh]

"It has, therefore, become necessary that some positive and workable criteria should be devised for the specification of the socially and educationally backward classes of these people so that they may be given adequate assistance and relief in all suitable ways to make up for the leeway of the past and to acquire the normal standards of life prevalent in the country."

At the present time the Ministry is attempting to wipe out these classes altogether. I think, it is very unjust. First of all, they are contravening and trampling under foot article 340 of the Constitution according to which they are duty bound, so long as this article is a part of the Constitution, to allocate certain funds and look after the socially and educationally backward classes.

The specious argument that is brought forward is that we might thereby probably increase caste consciousness. On this point I have great quarrel with all those people who talk about castelessness and classlessness. I think, at least 75 to 80 per cent of them have never, at any moment, really behaved in a manner which will not indicate that they are not caste conscious. However big or small a person may be he is not free from it. It may be a curse; but that curse exists and persists. So far as these backward classes are concerned, there is a group of people who are really socially and educationally backward and who are in fact not much distinguishable from the Scheduled Castes themselves except that they are not regarded as wholly untouchable.

In this society of ours even untouchability has certain degrees. There are certain people who may be regarded as wholly untouchable and there is a large group of people who have always been regarded as partially untouchable. The communities I am trying to fight for are coming from this group. If you examine any of

these lists—which originally when the other backward classes schedule was made, not by me or by the Central Government but by the State Governments you would be convinced of the truth of which I say. The State Governments indicated that they should be put under this category as they were really educationally and socially backward. You will find that as regards their social status, even from the point of view of untouchability, they are not very much different from the so-called Scheduled Castes. In fact, most of the Scheduled Castes leaders accept that many of these smaller castes, like, *telis*, *kumhars* and *khatiks* and so on, are really as backward, if not more backward, as some of the Scheduled Castes themselves. Yet, an attempt is being made by a circular which was supposed to be issued. It has been issued and there was a quarrel about it in the House the other day; my hon. friend, Shri Kamath was very vehement about it as to why the Mysore Government had not accepted the circular. I would beg of him kindly to try and understand the position a little more sympathetically and if he does it, I am sure, he will agree that if you really want integration, if you want the whole country to go ahead, you cannot just shut out one particular group which was recognised and which was being given certain facilities.

I would like to point out that this group has never asked for any reservation in any place. All that they wanted and all that they claimed, which in the time of Pantji was granted to them, was that if there were not well-qualified students seeking admission—it was not so far as the services were concerned; the only facilities given to these other backward classes was this facility—that if neither the Scheduled Castes nor the Scheduled Tribes boys were available for technical education, they should be given to these socially and educationally backward class boys and girls. That has been set aside by a definite

circular. I cannot understand how a humane and considerate man, like, Shri Lal Bahadur Shastri, put his signature to a retrograde circular like this. This was a thing which Pantji had given and Shri Datar had approved and it was merely to give to these people just a little chance to get technical and professional education.

The only other facility that was given to them was certain scholarships as are given to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. In fact, the smallest possible percentage of these people have been assisted. That has certainly assisted them to come forward a little bit. All that I contend is that even if they do not accept all the recommendations of the Backward Classes Commission, at least they ought to continue the facilities which were given to them and they should withdraw this circular in trying to suggest that there should be no recognition of these castes as castes. The Scheduled Castes are based on castes; the Scheduled Tribes also are more or less based on castes; so, there should be no objection to base these facilities on the basis of castes. They have been enumerated already. We need not change them. They were listed a long time back. Even if we act upon those lists, that will give certain satisfaction; otherwise, I am afraid, this will remain a great source of disappointment to a large group of people and justice will be denied to them.

Mr. Speaker: Shri D. J. Naik. .
Absent. Shri C. M. Kedaria.

Shri C. M. Kedaria (Mandvi): Mr. Speaker, Sir, first of all let me take the chance to pay my respects and compliments to the outgoing Home Minister, Shri Lal Bahadur Shastri, and to the outgoing Commissioner, Shri Shrikant, who have worked sinverely for the cause of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

15.27 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair.]

Shri Shrikant has held the post since the inception of the office of Commis-

sioner till December 1961. He is a disciple and follower of Thakkar Bapa. If we look to his past record and reports on Scheduled Castes and Scheduled Tribes,...

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): Members are not allowed to praise officials.

Shri C. M. Kedaria: ...we will find that with single-minded devotion he has put in good work for the cause and I do hope that the incoming Commissioner, Shri Chanda, will also devote his attention to the cause.

The Commissioner's report to be laid before the Parliament is an obligation under the Constitution. If it had not been an obligation, it is felt that we would not have been given the chance to discuss these reports. From the fact that these two reports are being discussed together at this moment, we can say that it seems that the Government is indifferent towards the cause of the backward classes. Whatever be the obligations under the Constitution towards the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, they are simply on paper and not in action; otherwise, we would have no cause to criticize the Government's action and we are also not happy to criticize it. We have to repeat every year the same criticism of Government's action and we are sorry to bring to the notice of the Government the fact that active steps are not taken according to our suggestions. Is it that they fall on deaf ears or that the Government consciously ignore them? If the schemes for social and economic development are to be implemented with that intention, I fear that the Constitutional obligation and safeguards will have to be extended for another ten years for getting them economic and social status.

Now I come to economic development. It is an accepted fact that big projects for irrigation, mining, power and industry, are necessary for economic and agricultural development. But this has caused great displacement to the backward classes. By this about

[Shri C. M. Kedaria]

14,113 Tribal families have been displaced. As for the acquisition of the land, 62,238 acres have been acquired from the tribal families. Now, out of these displaced families, only 3,477 families have been rehabilitated and only 8,214 acres of land have been allotted to these families. Why should the poor and down-trodden castes be made to suffer for these projects? I think, these are the facts given in the Dhebar Commission's Report for the tribal people. We too believe that in the implementation of the big projects which are already being implemented in the jungle area and the tribal areas, their land is bound to be taken by the Government. But at the same time, we plead with the Government that "house for house" and "land for land" should be given to the backward classes who are thus displaced. I urge upon the Government and the Minister for Home Affairs to take special care in this matter and thereby relieve them from mental unhappiness and physical difficulties.

Now, much has been said regarding the representation and the reservation of scheduled castes and scheduled tribes in the services, that is, the reservation of posts in the services both in the Union and State Governments in favour of scheduled caste and scheduled tribe candidates. As per the judgment of the Supreme Court, the reservation of posts is not only to be provided in initial appointments but also to be provided in selection posts. The scope of the article is to be construed not in a technical way but in a general and broad way. I had been requesting the Gujarat Government that the Supreme Court's decisions may be looked into by them while selecting the scheduled caste and scheduled tribe candidates for the IAS posts. I may point out, in the three consecutive selections, unluckily the backward class candidates have been, I think, knowingly dropped. When we request the Government, they say that the Union Public Ser-

vice Commission is to look after this matter and that they are helpless. Now, I may give one typical instance in this matter. In the second selection committee, about 7 candidates had been selected. They had not been approved by the Union Public Service Commission. Again, that list came before the selection committee and in the present selection committee out of the seven candidates two candidates have been dropped and 5 candidates have been selected. This is the way the selection committee selects and recommends the candidates for the IAS posts. From this we can see that the convenient candidates are selected in such a way that the backward class candidates are dropped. So, I bring to the notice of the Ministry of Home Affairs that in spite of their special and constant instructions to the State Governments, they ignore their obligations under the Constitution and also the safeguards given by the Constitution. If this be the position adopted by the Government, we fear that day by day the backward class people may lose their confidence in the Government.

Then, similarly the backward class people do not get the actual benefit which is given by way of grant. For example, for educational purposes, the scholarships are to be granted. But at the time of the necessity, the students do not get the scholarships. So, we have been advocating and urging the Government to grant *ad hoc* grants to educational institutions for giving scholarships. A similar recommendation has also been made by the Dhebar Commission that *ad hoc* grants to grant scholarships to the students may be given to the educational institutions. If this provision is adopted, I think, much of the difficulty of the students who suffer on account of this will be avoided.

Another thing that I want to say is this. There are hostels run by the non-official agencies. Now, when the Government runs the hostel, they sanction about Rs. 50 per month per student, while the non-official agencies

give only Rs. 20 per month per student. When the Government hostels are in a position to give a big amount, why should not the non-official agencies be granted grants to that extent? So, I request the Government that at least considerable grants should be given to the non-official agencies also. As Shri Maniklal Varma said yesterday, for the cause of the backward class people, non-official agencies run the institutions. They get the grant, but there is a provision that about 20 per cent they have to raise themselves. You know and we also know that the society is indifferent to the backward class people. It is very difficult for the social workers to raise the funds to run these institutions. So, I request that token funds by way of public contribution may be prescribed and the whole expenditure may be granted to these non-official agencies.

Much more has been said regarding landless adivasis and scheduled tribes. They have suffered a lot. They had been originally, most of them, land owners of the land but they are deprived of most of the land by the money-lenders and *tjaradurs* of today and liquor shopkeepers and it is one of the burning problems today. So, the Government must in right earnest see that the Land Reforms Act is implemented in the Adivasi area. Agriculture and forest are the two sources of economic development for the tribal people. Adivasis and the tribal people are mostly the sufferers. They have been deprived of most of the forest rights which they were enjoying during the old days, by the Government. All rights such as free timber, facilities for cattle grazing and the cultivation of the land, should be restored to the Adivasis and the tribal people. It is of no use to say that the Government is doing much more for them.

Lastly I will come to the point regarding their social upliftment. Prohibition is the right cause which is adopted by the Government of Bombay State and now in Maharashtra and Gujarat. I must say

that the Adivasis are economically and socially much more advanced as a result of this progressive step. Some of the exploiters advocate that this prohibition is a failure and it should be scrapped or abolished. But I have lived among the Adivasis and among the Scheduled Tribes, and I know that they have been highly benefited as a result of this, and I would submit that in spite of the opposition to it, Government should be firm and should implement the policy of prohibition in the right way and in a sincere manner.

So far as Gujarat is concerned, I know that in the boundary areas where the Madhya Pradesh and Rajasthan State areas come in, there is no prohibition, and so, the Adivasis of the Gujarat State go to those areas and break the prohibition Act. The Ministry of Home Affairs should insist on the neighbouring States also to implement this prohibition in the adjoining areas.

In conclusion, I would submit that the tribals will judge Government not by the constitutional obligations or their intentions but by the active steps taken to make those safeguards a reality.

Shri Yallamanda Reddy (Markapur): The problem of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes who form nearly 22 per cent of our population is a very important one. No doubt, so many speakers before me have pointed out the difficulties faced by these people, but we have to wipe out this evil which is several centuries old, by giving help to these exploited people.

When we see the reports of the Commissioner for the last ten years, we find that the same recommendations and the same observations and the same requests to the State Governments are being made. We do not know what the Central Government are doing in this matter, and how they are going to rectify the same mistakes which are being committed by the State Governments time and

[Shri Yallamanda Reddy]

again. Every time, the commissioner says that the State Governments are requested to look into the matter, the State Governments are requested to expedite the matter, the State Governments are requested to appoint committees and so on, but the reports are not encouraging or happy. This is the way the commissioner gives his findings and makes his observations. This shows the amount of interest that the State Governments as well as the Central Government are taking in order to uplift these exploited and suppressed people.

Of all the problems of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, the most important one is the problem of land. It has been stated in our First and Second Plans that land should be distributed to these exploited masses, and in the Third Plan also it has been stated that land should be distributed, and nearly 5 million acres of land are to be distributed among seven lakhs families belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes; but we do not know how much land is being distributed.

While enacting the land ceilings legislations, the State Governments were telling to get land which they could distribute among these people. But the way the State Governments have passed their Acts, and the way they are implementing these land reforms legislations, shows that there is not even a cent of land which could be distributed among these poor Scheduled Castes and Scheduled Tribes. It has become a mere farce more or less. The Planning Commission has time and again stressed the importance of distribution of these lands to the landless labourers. But it is unfortunate that no State Government has given even a cent of land up till now, even after all these Acts have been passed in regard to land ceilings. Even the Chief Minister of UP has stated that there is not even a cent of land available for distribution among the poor Harijans or the landless labourers

So apart from land distribution by land legislation, there are lakhs of acres of uncultivable wastelands, but Governments have till now not distributed these lands among the Harijans. I do not know what prevents the Central or State Governments from distributing these lands, the rights over which are vested in the Government. For example, according to the land utilisation statistics for 1958-59, the total area of uncultivable wasteland in the country is about 50·8 million acres: in Andhra Pradesh, 18·13, Assam 1·11, Bihar 8·9, Gujarat and Maharashtra 14·14, Jammu and Kashmir 1·05, Kerala 1·77, Madhya Pradesh 41·77, Madras 7·76, Mysore 6·56, Orissa 14·18, Punjab 7·09, Rajasthan 73·26, UP 17·65. These are the figures given by our Government. We do not know what care Government have taken to distribute at least these banjar lands, lands for which no compensation is to be paid. Even in respect of these lands, the State Governments have failed all these years to distribute them to poor Harijans or scheduled tribes. The Committee appointed to go into the question of reclamation of these lands has said that in Andhra 1·89, Bihar 0·89, Jammu and Kashmir 0·13, Kerala 0·56, Madhya Pradesh 2·55, Madras 0·38, Maharashtra 0·43, Mysore 1·18, Punjab 3·04 and West Bengal 1·14 lakh acres must be reclaimed and distributed among these people. I do not know what the Government have done in this matter. The Commissioner has taken care to mention only in a casual way that such and such lands must be distributed. No concrete steps have been suggested by the Commissioner and no concrete steps have been taken either by the State Governments or the Central Government in this regard.

Not only that. I submit that poor Harijans who have been cultivating for so many years wastelands, were driven out from those lands to give them away to so-called political sufferers. I can cite so many instances where this has been done. In Andhra Pradesh, so many Harijans, who were

cultivating these wastelands since so many years have been evicted to provide these lands for political sufferers, coming from the Congress Party. They have been driven away. There were so many satyagrahas against eviction orders. If this is the state of affairs, I do not know how the State Governments or the Central Government are going to uplift the Harijans or the scheduled tribes.

Take, for example, co-operation. So many things have been said in the report. In 1961, the Government set up a working group on co-operation for backward classes. What about the establishment of co-operatives for the development work of tribal areas? We do not know what happened to them. There is no mention of this, about the committee or the action taken by Government on its recommendations. There are no co-operatives in the central sector. The scheduled castes have some provision made to them; in 1961, an allotment of Rs. 3765 lakhs was made, whereas the expenditure was only Rs. 32.15 lakhs. If you look into the co-operative movement on the rural side, you find that loans are given only to propertied people like peasants. You give taccavi loans; they go to the peasants. Agricultural loans and land development loans also go to the landed lords. No loan or credit given by Government goes to the benefit of the agricultural labourer or the scheduled caste or scheduled tribe persons, because there is a fundamental rule that no loan can be granted by these co-operative societies unless there is security of property. Even under the community development schemes, for which we claim so much, not a single rupee has been given as loan to a Harijan. No co-operative society in any village is giving a single pie to the landless or agricultural labourers. This must have been mentioned in the report. Government must make some provision, and these landless labourers and Harijans must be given a chance to get a loan. I do not know what steps Government are taking in this regard. The report does not mention any concrete steps.

Coming to the field labour co-operative societies, in our State, all the lands in the rivers like Godavari and Krishna, were given to the Harijans. The Andhra Government have done a very great thing, and that is, one third of the lands under these societies have been taken away for grazing purposes. When the people have no food, the Government have taken so much care to provide fodder to the cattle. Not only that. Formerly these societies were given land on an average rental basis, but four years ago Government changed the rules. They put all the lands for auction, with the result that the landlords got the lands, while the labour co-operative societies could not bid so much and lost their lands. This is their fate. I do not know what the Ministry of Home Affairs are doing about all these things. There was so much agitation in the Assembly, but no proper steps have been taken till now to give the lands to Harijans or tribal people.

Further, the rights of the tribal people in the forests have been curtailed day by day, and there is slavery. The Forest Department is extracting forced labour from the tribal people for developing the forests. These problems have been raised so many times in the Assemblies, but unfortunately, the Ministers always depend on the officials, who give pious reports that they are not exploiting or forcing the tribals. The Ministers automatically say there is no forced labour, but the fact is that tribals are being exploited not only by landlords and capitalists but also by the Forest Department. Even during the agricultural season, one man from every family is forced to go to the work in the forest. This is the fate of the scheduled tribes. I do not know what the Commission is doing, and what the State Governments and in particular the Central Government are doing in this regard.

Dr. M. S. Aney (Nagpur): When they make a law or rule that one man must go to the forest from every family, do they provide for a reason-

[Dr. M. S. Aney]

able amount to be given to that man? And is it only for some time or for a number of years?

Shri Yallamanda Reddy: Coming to untouchability, every time there is a discussion in this House, Members representing the Harijans and scheduled tribes in all anguish and sorrow tell the tales from their side, but the Minister says he will consider the matter. If you go through the report, the same sad story repeats itself. The following are the figures of cases registered with the police:

1955	180
1956	693
1957	492
1958	550
1959	481
1960 ..	502

While the cases registered are increasing the cases convicted are regularly falling. Convictions are regularly falling. That shows the way how these cases are being launched in the courts and how presiding officers view these cases. From the year 1955 onwards till 1960 the convictions are 80, 149, 87, 127, 105 and 80 respectively. The pending cases are also numerous. Out of 2898 cases registered during this period, 944 were pending. This is how this Act is implemented. If State Governments sincerely implement this Act, it will be a deterrent to the arrogant landlords and caste-ridden people. Unfortunately, no stern action has been taken in this regard.

Something funny is happening to the welfare schemes. Time and again Government says: no finances. When Harijans and Scheduled Castes demand something to be done to them, Government expresses its inability and says there is no finance. In the Third Plan Rs. 70 crores for the Central sector and Rs. 30 crores for the State sector, have been allotted. The allocations made for welfare programme for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and the expenditure estimated to have

been incurred during 1961-62 are given on page 23 of the report. The allocation made during 1961-62 for Scheduled Castes is Rs. 158.46 lakhs in the Central sector and the expenditure is Rs. 143.33 lakhs. Corresponding figures for Scheduled Tribes are 240.46 and 151.23 lakhs. In the State Sector, the figure for Scheduled Castes is Rs. 452.48 and 431.83 lakhs respectively while for the Scheduled Tribes, Rs. 562.80 and 487.83 lakhs. Assuming that the figures indicated in the above tables represent actual expenditure, it will be noticed that these disclose shortfalls to the extent of Rs. 15.13 lakhs in the cases of Scheduled Castes and Rs. 89.23 lakhs in the cases of Scheduled Tribes under the Central Sector, and of Rs. 20.60 lakhs in the case of the Scheduled Castes and Rs. 74.97 lakhs in the cases of the Scheduled Tribes under the State Sector. These Shortfalls are rather heavy in Andhra Pradesh and Madhya Pradesh, both for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. From this report, you will find how the State Governments are averse even to spend the amount allocated to them.

I now come to the advisory committees the Central advisory committees and the State advisory committees. With whom are these Committees filled? People working for the uplift of Harijans with missionary zeal do not find a place in these committees. In a way these have become committees of patronage of the party in power. We do not know how many times these committees meet, what programmes they are discussing, etc. If we see the functioning of the Central committee, it has met only twice in a year. We do not know even this about the State committees. In nominating people to these committees, Government should take care to select who genuinely want to serve the Harijans. Unless such steps are taken these committees would not function to our expectations.

16 hrs.

With regard to the orders relating to the representation in the services

and the implementation of the orders, if you see the reports, you will find that the vacancies reserved for the various departments are not duly filled in. The Service Commission naturally says that suitable candidates are not available. We do not know the perfect or real meaning of this suitability. There are so many people who have passed the B.A. Degree examination or who are matriculates, who are eligible for these posts. Can the Government or the Commission say that there are no suitable candidates for all these posts? They cannot say, because—I am not able to bring all the figures—there are thousands of people who are clamouring around the employment exchanges. The Scheduled Castes and Tribes form nearly 22 per cent of the total population, whereas you will see that the figures relating to their appointment in the services are really bewildering; they are meagre.

In the Central Government services, out of a total of 8,394 Class I permanent employees, the Scheduled Castes form only 61, that is 1.08 per cent. and the Scheduled Tribes total only 16, which is 0.18 per cent. Out of the 14,411 people in Class II, the Scheduled Castes number 352, which is 2.44 per cent, and the Scheduled Tribes number only 41, which forms only 0.28 per cent. In Class III, out of 6,27,480 people, the Scheduled Castes number 44,747 which is 7.10 per cent and the Scheduled Tribes number 5,052 which forms just 0.80 per cent. This is the way how these Scheduled Castes and Scheduled Tribes are represented in the services.

Recently there was a question put in this House about the representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the departments under the Ministry of Information and Broadcasting. From the answer given it is seen that out of 329 gazetted officers there were only five Scheduled Caste gazetted officers, and out of 229 non-gazetted officers there are only six Scheduled Caste non-gazetted officers and the number of Scheduled Tribes officer is

nil. So, the Government must take special care at least to fill these vacancies with the same persons to whom these seats were reserved. Unless the Government takes special care, we will be going on finding unsuitable candidates always! Therefore, I request the Government to take special care to see that all these vacancies are filled in, and are absorbed by the Scheduled Caste and Scheduled Tribe people.

Before I finish, I would like to request the Government to take a radical step in these matters. This has become a routine work. Every year the Commissioner prepares a report and it is laid on the Table of the House, and one day the House takes into consideration the report and some hon. Members speak on it and at least the Deputy Minister replies. There ends the matter. Again, another year comes and the same story is repeated. This must not be repeated at all like this, because, unless the Government take a very radical step there will not be any useful purpose served. Therefore, I request the Government and the hon. Minister, to take special interest in this regard and do the needful for the uplift of these unfortunate, exploited and suppressed people.

श्री कमल नयन बजाज (वर्धा) :

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी सरकार आदिवासियों के लिये, खास कर उन के आर्थिक विकास के लिये, कुछ ऐसे कदम उठाना चाहती है जिन से उन की सर्वांगीण उन्नति हो सके। हमारे देश में आदिवासी सब से पुराने वासी हैं और इसी के लिये उन को आदिवासी कहा जाता है। हमारे यहां जितनी कौमें, जमातें या समाज हैं, उन में आर्थिक दृष्टि से सब से ज्यादा पिछड़े हुए, सब से ज्यादा गिरे हुए यह लोग हैं।

श्री रामश्वरानन्द (करनाल) : हम तो अनादि हैं वे ही आदिवासी हैं।

एक माननीय सदस्य : आप आदिवासी हैं ?

श्री कमल नयन बजाज : आदिवासी हमारे यहां सब से ज्यादा गरीब और पिछड़े हुए हैं। गांधी जी भी जब हरिजनों के सवाल को उठाया या हमारे जो समाज सुधारक तथा दूसरे नेता उन्होंने जब इस सवाल को उठाया तो उस के अन्दर उन की आर्थिक कठिनाई का जो पहलू था वह तो था ही, लेकिन उस समय जो सामाजिक विषमता या छुआ छूत की तकलीफ थी, जो एक मानवी सम्बन्ध होना चाहिये था इन्सान के बीच में उसे न देखते हुए, इस प्रश्न को उन्होंने उठाया। वह आर्थिक प्रश्न उस समय उठाया भी नहीं जा सकता था क्योंकि उस समय स्वतन्त्रता हमारे पास नहीं थी और सामाजिक कुरीतियों को हम दूर कर सकते थे। आर्थिक कुरीतियों को हम उतना दूर नहीं कर सकते थे इस के बावजूद भी गांधी जी ने अपने रचनात्मक कार्यों के द्वारा इस कार्य को पूरा करने की कोशिश की।

अन्त्यजोदय का कार्य काफी हो चुका है फिर भी अभी बहुत कुछ बाकी है। छुआछूत का जो मुद्दा है, घटोत्कच की तरह उस की लाश पड़ी हुई है। लेकिन कानून की दृष्टि से, सामाजिक विषमता की दृष्टि से जो सुधार होना चाहिये वह हम अपने देश में काफी कर पाये हैं। लेकिन आदतन जो कुरीतियां छूट जानी चाहियें थीं वह छूटी नहीं हैं। समय पा कर वे छूट जायेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। वैचारिक क्रांति हो गई है। आचार में लाना बाकी है।

श्री श्रींकार लाल बेरवा : आप भविष्य-वाणी कर रहे हैं ?

श्री कमलनयन बजाज : लेकिन आदिवासियों और हरिजनों के सवाल में एक खास फर्क पड़ जाता है। जो हरिजन भाई हैं वे देहातों में भी हैं, शहरों में भी हैं, सब जगह बिखरे हुए हैं, और यह अच्छी बात है। उन में चाहे थोड़े ही लोग क्यों न हों, लेकिन कोई डाक्टर भी है, कोई लाइअर्स भी हैं, बैरिस्टर

भी हैं, पड़े लिखे भी हैं और छोटे मोटे धन्धे करने वाले भी हैं। लेकिन आदिवासी लोग कुछ ज्यादा सुरक्षित नहीं कहे जा सकते, वे थोड़े ही क्षेत्रों में बसे हुए हैं। वे लोग सारे देश में नहीं पाये जाते, शहरों में नहीं पाये जाते। शिक्षा की दृष्टि से या मानवी जीवन की उन्नति की जितनी शाखायें हैं उनमें कहीं भी उन के लोग विशेष तौर से नहीं पाये जाते। इसलिये उस जाति का, उस समाज का उद्धार करने के लिये हमें विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता होगी और करना चाहिये भी। इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि उन का हम विशेष रूप से ध्यान करें।

कल श्री माणिक्य लाल जी वर्मा ने, जिन के जीवन का बहुत बड़ा भाग विशेष रूप से आदिवासियों के बीच कटा है, कुछ बातें कहीं। यद्यपि मूल रूप से मैं उन से सहमत हूँ कि आदिवासी क्षेत्रों में या पहाड़ों पर जो लोग हैं उन्हें समतल भूमि पर ला कर बसाया जाय, वहां जमीन दी जाय, रास्ता किया जाय, बिजली लाई जाय, वहां पर पानी की व्यवस्था की जाय। यह सब कुछ होना चाहिये। लेकिन मुझे डर है कि वे इतने गरीब हैं, इतने अज्ञानी हैं, इतने भोले और सीधे हैं कि इस तरह के विकास के लाभ की पूरी जानकारी, पूरी सुरक्षा उन को न दी गई तो उस का बहुत कुछ लाभ दूसरी कौमों आ कर ले जायेंगी। उन की जो जमीनें हैं, मान लीजिये वहां पर आप ने पानी की व्यवस्था की, बिजली लगाई और उन की जमीनों की कीमतें बढ़ गई, ऐसा होने पर दूसरे लोग जमीनों को खरीद लेंगे कम दामों के ऊपर। उस के बाद आगे जा कर जो उस का मुनाफा होगा वह दूसरे लोग ले जायेंगे और हमारे आदिवासी भाई उस से वंचित रह जायेंगे। हो सकता है कि कुछ नौकरियां उन को मिल जायें वहां, लेकिन उस से उन की कोई विशेष उन्नति हो जायेगी, ऐसा मेरा खयाल नहीं है। मेरा सुझाव यह है कि जो कुछ उन की आर्थिक उन्नति की जाय, जो आर्थिक विकास के प्रयत्न वहां किये जायें, वे जरूर किये जायें, लेकिन उन के जो क्षेत्र हैं

उन को सुरक्षित कर दिया जाय, उन के लिये रिजर्व कर दिया जाय जिस से आदिवासी भारतवर्ष में कहीं भी जा कर कोई चीज खरीदना चाहें, जमीन जायदाद वगैरह खरीदना चाहें, हालांकि वे खरीदेंगे क्या, लेकिन अगर खरीदना चाहें तो खरीद सकें। दूसरे लोग जा कर के उन क्षेत्रों में कोई जमीन जायदाद, बिना विशेष परवानगी के सरकार की, न खरीद सकें। इस तरह का प्रतिबन्ध लगाया जाये जिससे कि वहां के विकास कार्यों द्वारा वहां की जमीनों और जायदादों की जो कीमत बढ़े उसका लाभ उन्हीं को मिले दूसरों को न मिल सके। इस तरह का खाम प्रयत्न किया जाना चाहिये यह मेरी एक विशेष विनती है सरकार से, लोक-सभा के सदस्यों से और आप के मारफत मैं इस को देश के सामने रखना चाहता हूं।

एक दूसरी बात और विचार करने की है। हम जो भी विकास का काम करते हैं तो लोगों को उस के लिए धन देते हैं, तकावी देते हैं। लेकिन वह धन किन लोगों को पहुंचता है? वह धन गरीबों के पास नहीं पहुंचता। कर्ज देने वाला अफसर कता है कि दो गारंटर लाओ तब कर्ज दिया जायेगा। अगर उसके पास घर होता है तो उस को कर्ज दिया जाता है, बैल होता है तो कुछ देते हैं। लेकिन जिस के पास कुछ भी नहीं है उस को कर्ज नहीं दिया जाता। इसलिए इन लोगों के विकास के बारे में हम को दूसरी तरह से सोचना चाहिए।

अगर आप वॉ बिजली भी ले गये तो उन के पास बिजली का तार या लट्टू लगाने के लिए पैसा नहीं है, न उस बिजली का उपयोग करने के लिए उन के पास कुंआ है, न जमीन है न घर है। बिजली ले जा कर आप वहां क्या विकास करेंगे। तो मेरा निवेदन है कि इन लोगों के लिए प्लानिंग बिल्कुल दूसरे ढंग से होना चाहिए जिस में इनके स्वाभिमान को भी धक्का न लगे और उन को यह लगे कि यह हमारा हक है। हम उन की शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य

के लिए और उनके आर्थिक विकास तथा सर्वांगीण विकास के लिए इस प्रकार काम करें कि दूसरी जमाअतें बीच में उस का लाभ न उठा लें। इसकी हम को सुरक्षा कर देनी चाहिए। मेरा कहना है कि इन आदिवासियों का हमारे देश में विशेष हक है क्योंकि ये बड़े गरीब हैं। उन के लिए हम जितना भी कर सकें कम होगा।

यह छोटी सी विनती मैं आप के द्वारा सदन के सामने रखना चाहता हूं।

Shri C. K. Bhattacharyya (Rai-ganj): Mr. Deputy-Speaker, Sir, as I stated on the last occasion, the particular article under which this Report comes to us seems to me to be lacking in purpose. Article 338 speaks about Scheduled Castes and Scheduled Tribes. At the same time, it says that Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall be construed as including Anglo-Indians. I take my hat off to the farmers of the Constitution. I do not know by what stretch of language Scheduled Castes and Scheduled Tribes may be construed to include Anglo-Indians. But that is what the article says, and the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, even now, even in this report, has gone into the case of the Anglo-Indians. We find the case of Anglo-Indians dealt with in this report. In any case, what I believe is that the weaker sections of our people require special treatment from the Government as well as from the community and, as laid down in the Constitution, Government has been trying its best to fulfil its obligations to them.

But there is a feeling in me that the Scheduled Castes and Scheduled Tribes should be treated on different bases. They should not be mixed up together, because they came to the Constitution through different processes. The Scheduled Castes came to the Constitution in 1935 when the Government of India Act 1935 was promulgated. The Scheduled Tribes came to the Constitution after our indepen-

[Shri C. K. Bhattacharyya]

dence, after our present Constitution came into existence. Therefore these two stand on two different footings. Their problems are different; their lives are different; their traditions are different; and perhaps their needs are also different.

In the case of the Tribes our Prime Minister whenever he has been to the Tribal areas has repeatedly stated that he does not want to do anything which will disturb their lives, take them away from the way of life they are living and the atmosphere or simplicity of life which they have created for themselves. At times I feel whether this profession of the hon. Prime Minister is consistent with the attempt of the Constitution to bring the Tribes into the vortex of a parliamentary election. Can you preserve simplicity of their life and, at the same time, expect that the same people will pass through the agony and vortex of a parliamentary election? This question troubles me and that is why I am putting it before this House.

It need not be taken to mean that the way the Constitution is proceeding now requires any change. I do not suggest that. But I say that we must be consciously progressing towards a destination to which the whole thing is leading; that the Scheduled Tribes must be prepared to come into the conflict of modern forces if they are to take part or to share in the elections as they are existing in our country. They cannot escape that. In that way if it were possible for the Commissioner to deal with these two sections separately, I would appreciate it. In the same report this might be done. In some respects their problems are similar; but in some other respects their problems are different.

Take another instance. The Scheduled Tribes live mostly in forests and hills. That is not the problem with the Scheduled Castes. They live in the plains. They are mostly agricultural people and both the re-

ports make a mention of this particular fact that in dealing with the Scheduled Tribes we have got to take into cognisance the Forest Department also; but that is not necessary in the case of the Scheduled Castes. These are different problems and should be treated differently. It would be proper if the Commissioner tries to do that in the next report.

Another suggestion that I would make in this connection is this. The Constitution refers to Scheduled Castes and Scheduled Tribes and when we discuss things we refer to them under various nomenclatures. Sometimes we say 'Harijans'; sometimes we say 'Scheduled Castes'; sometimes we say 'agricultural labour'; sometimes we say 'landless labour'. This creates confusion. If we were to refer to landless labour, it is not necessary that all the Harijans are landless labourers; it is not that all the Scheduled Castes are landless labourers. There are Scheduled Castes who are very rich landholders; there are Scheduled Castes who are very big business magnates. Therefore trying to put them under those categories is not correct. If you want to say 'landless labourers' you say 'landless labourers'; if you want to say 'agricultural labourers', deal with them as agricultural labourers. Even in this House there are members of the Scheduled Castes who are masters not only of lakhs of rupees but of crores of rupees. But I do not want to refer to them. . . . (Interruption).

An Hon. Member: Name one (Interruption).

Shri C. K. Bhattacharyya: My hon. friend is requesting me to name one. I refer to my hon. friend, Shri Purendu Shekhar Naskar. He comes from one of the biggest landed aristocracies of Bengal and one of the biggest business houses of Bengal. I need not mention that. That is known in Bengal. In the whole of Calcutta it is known that it is a family very well established in Calcutta. (Interruption).

An Hon. Member: I am happy to hear it.

Shri C. K. Bhattacharyya: I am sorry that Shri Kamalnayan Bajaj did not know it for so long. His uncle, the late Chandra Naskar was a very prominent Congressman and Shri Kamalnayan Bajaj should know it. Therefore when we deal with the Scheduled Castes we should deal with them as Scheduled Castes and should not bring in other problems or other questions. We should deal with them in that way. The problems that they face, that they have to deal with in life as Scheduled Castes should be tackled in the report as well as in our discussion. Let us not be confused. That is why I suggest this thing to be done. While presenting the Reports, our hon. Deputy Minister said that an attempt is being made to level up these people and bring them at par with others. I say, there should not only be levelling up, but the entire attempt should be to have integration. I believe that is the object with which these articles are put in the Constitution—the object of integration. The entire mass of people which is known as Indian nation should be integrated as one. That is the entire object of putting in these articles in the Constitution so that integration may be brought about. Therefore, we should not rest content with only levelling up of these people, but we should also have integration. That is my suggestion.

This report should also be one which will make an annual assessment of the achievements that have been made by both administrative measures as well as by reformative measures in achieving this integration. What an administrative officer has done and what the reformers have done, the amount of integration that has been brought about in the society and in the nation during a year, should all be presented and dealt with in the report. At times, the reports are burdened with unnecessary details. But the main objective with which, I

believe, these articles are put in the Constitution is lost sight of. Have we succeeded in integrating them in the society? Have we succeeded in bringing about a complete national integration so far as these sections of the people are concerned? These questions should be answered in the report. That is not always done. When we discuss these reports, that should also be the objective before us.

This is an occasion meant for constructive thinking and not for indulging in vituperative discussion, as is often done in this House. At times I feel distressed when that is done. But this occasion is meant for a constructive approach to the solution of the problem, to the bringing about of the desired result for which these articles are put in the Constitution. That is what I would like to suggest.

There are two other things that I would like to suggest. One of the things is, I would say, that I would be the happiest man when all these articles of the Constitution are no longer needed in India, when the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes becomes *functus officio* and all that. We should try to progress to that destination. That should be the objective before the Government, before the Home Ministry, before the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and before the whole House. We should try to assess how far we have progressed to the objective which we have all before us.

Regarding the report itself, I would say, of course, education should be there and also the other demands. Requests have been made about these things. But there is one possibility of mischief. As far back as 1957-58, the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes apprehended this. This is what he had stated:

"There is a growing tendency among the educated persons of these communities to shun their

[Shri C. K. Bhattacharyya]

work and not to take up the profession which would not only lead to loss of national wealth but also add a large number of persons to the already vast army of landless and unemployed."

That is the problem to which the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes drew our attention as far back as 1957-58 and even in these reports he has done so. I believe, we should take care to see that this does not happen.

Another point that I wish to make is this. I would like to refer you to pages 36 and 43 of the summary report. He says that we should proceed in a way as not to perpetuate backwardness, that we should try to get people out of backwardness and not to help them to retain backwardness. That is what I say. In the summary of his Tenth Report, Shri Shrikant says:

"Powerful castes among the Backward Classes have vested interests in perpetuation of backwardness. This is a danger against which we have to guard."

He further says at page 43 that:

"It is high time to ensure that the backwardness does not reach a stage of becoming vested interest with some beneficiaries who are enjoying and monopolizing to themselves the special privileges granted to backward classes under the excuse of safeguards provided for them in the Constitution. Therefore, the lists of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes will have to be scientifically scrutinised from this point of view, rather urgently and in any case after the feverish activity of the coming elections."

The elections have come and gone, and I do not know whether this has been done. If it has not been done, it will have to be done very soon.

The report for the year 1961-62 again makes some reference to untouchability being continued among the untouchables. At page 7 the report says:

"The worst sufferers from the evil are Bhangis, Doms, Mehtars, Haris and few others who are the lowest among the low and are discriminated against even by other Scheduled Castes, because very often, untouchability is practised by different groups in the Scheduled Castes among themselves. In certain areas, this prejudice is so strong that separate wells have to be provided by the Government for different classes of Scheduled Caste people living in the same village."

This thing should be guarded against, and this should not be allowed to happen.

I shall just make one more reference to the report and then I shall conclude. I am referring to page 11 of the report for the year 1961-62 where the Commissioner has given a suggest on namely that:

"Systematic efforts are needed for eradicating the practice of untouchability amongst the Scheduled Castes themselves, instances of which have been widely reported."

So, this should be guarded against. As I have stated, all the privileges that the Constitution have guaranteed to these sections of the people should be allowed to them, and also steps taken to see that they do enjoy and they do take the advantage of, and do profit by, the provisions made in the Constitution.

डा० राम मनोहर लोहिया (फर्रुखाबाद) :

उपाध्यक्ष महोदय, अगर श्री भट्टाचार्य सही है तब तो मेरी सभी बातें गलत होंगी। इसलिए शुरू में ही मैं कहे देता हूँ कि अगर ऊंची

जातियों में ५००० नास्कर हैं तो हरिजनों में मुश्किल से ५-१० मिलेंगे। सामाजिक मामलों में अपवाद पर नियम नहीं बनाये जाते हैं बल्कि साधारण पर नियम बनाये जाते हैं।

आजकल हम लोग बस कर रहे हैं, हरिजन, आदिवासी और दूसरी पिछड़ी जातियों पर, क्योंकि उनका भी जिक्र इस रपट में है, तो सब से पहली बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकार और किसी हद तक यह सदन संविधान भंगी है क्योंकि संविधान की धारा ३४०(३) का भंग होता आ रहा है। संविधान ने कहा है कि पिछड़ी जातियों के आयुक्त की रिपोर्ट सदन में आनी चाहिए और उस पर लाजिमी तौर पर जो बहस होनी चाहिए, अभी तक वह नहीं हो पाई है। इसलिए संविधान भंगी जहाँ कहीं भी होते हैं उन से देश का नुकसान हुआ करता है। यह मैं जोर से कहना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके इस सदन में पिछड़ी जातियों के कमिशन की रपट को आना चाहिए और उस पर बहस होनी चाहिए।

पहला सवाल यह है कि यह कितने लोगों का मामला है। हरिजनों और आदिवासियों की संख्या दस करोड़ के करीब होती है और उस में अगर दूसरी पिछड़ी जातियाँ जोड़ ली जाती हैं, चाहे ब्राह्मणों, मुसलमानों, ईसाईयों—क्योंकि अबशा ईसाई हैं और धुनिया जुलाहा हैं—तो कोई २४-२५ करोड़ और, यानी सब मिला कर ३४-३५ करोड़ आदिमियों की बस्ती हम लोग इस समय कर रहे हैं। यह तो है सरकार और संविधान के हिसाब से। मेरे हिसाब से उस में साढ़े चार करोड़ ऊँची जात की औरतों को भी जोड़ दीजिये, क्योंकि सारी दुनिया में नर और नारी का इतना फर्क है कि नारी दबा कर रखी गई है और हिन्दुस्तान में तो और ज्यादा। मैं इस सम्बन्ध में खाली एक चौपाई को पढ़ दूँगा, क्योंकि बहुत से लोग मुझे चौपाइयाँ सुनाते रहते हैं :

कत विधि सूर्यसि नारि जग मांहीं
पराधीन सपनेहुं मुख नाहीं।

बहुत उकसाया गया है इस सदन को मेरे खिलाफ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आज हिन्दुस्तान में और कोई ऐसा आदमी नहीं है, जो नर और नारी में बराबरी इतनी ज्यादा चाहता है, जितनी कि मैं—इसलिए कि मैं आप से खास तौर से यह बात काना चाहूँगा कि

श्री बाल्मीकी : लेकिन नारी तो शिकायत नहीं करती है।

डा० राम मनोहर लोहिया : नारी तो शिकायत नहीं कर रही है, लेकिन नारियों के तरफदार हो कर इस सदन में न जाने कितनों ने शिकायत की है और कहा है कि मेरी बद-रुचि है। वास्तव में अगर उन को भीका मिले, तो या तो वे नारी को उठायेंगे सिर के ऊपर, या रखेंगे पैर के नीचे। और मैं वैसा आदमी हूँ, जो नारी को बगल में रखेगा, न सिर के ऊपर उठायेगा और न पैर के नीचे रखेगा।

इस सम्बन्ध में जो कुछ भी हुआ, मैं तो नारी के मामले में कुछ कहना चाहूँगा। मैं ने सोचा कि कोई एक नारी मेरी तरफ से इस सदन में बोलती, लेकिन मुझे इस बात का खास तौर से बहुत अफसोस है कि उपमंदी साहिबा ने इस बारे में कुछ नहीं कहा।

मैं आप को बता रहा था कि कितने लोगों का यह मामला है। ३६ करोड़ छोटी जात के गरीबों का मामला है, साढ़े चार करोड़ बड़ी जात के गरीबों का मामला है और ५० करोड़ बड़े लोगों का। अगर ये तीन बातें हम लोग ध्यान में रखें, तो फिर हम इस हरिजनों, आदिवासियों और पिछड़ी जातियों के मामले को समझ सकेंगे।

[डा० राम मनोहर लोहिया]

इस रपट में कुछ केन्द्रीय नौकरियों के बारे में कहा गया। वे आंकड़े मैं आप को बता देना चाहता हूँ। केन्द्रीय नौकरियों में जो पहले दर्जे की ८,३६४ नौकरियाँ हैं, उन में कुल ६१ हरिजन हैं और १६ आदिवासी। माननीय सदस्य, श्री भट्टाचार्य, जरा इस बात पर निगाह डाल लें। ८,३६४ में ६१ हरिजन और १६ आदिवासी।

इस सदन में सैकड़ों की बहुत बातें हुआ करती हैं। यह सैकड़बाजी बड़ी खराब होती है। इस असलियत को देखना चाहिए कि हरिजनों और आदिवासियों की संख्या ऊँची जगहों पर बहुत कम है। मैं आप का ध्यान इस तरफ भी दिलाऊंगा कि संविधान और नियमों के अनुसार साढ़े बारह सैकड़ हरिजनों का और पांच सैकड़ आदिवासियों का, अर्थात् दोनों का साढ़े सत्रह सैकड़ स्थान सुरक्षित है, जब कि यह मिल कर मुश्किल से एक, सवा सैकड़ बनता है।

इसलिए मेरा पहला सुझाव यह है कि इस लोच को, इस उलझन को साफ कर लेना चाहिए। या तो हम अपने संविधान में से संरक्षण वाली बात को बिल्कुल खत्म कर दें और ईमानदारी के साथ कहें कि हम हरिजनों, आदिवासियों और दूसरी पिछड़ी जातियों को कोई अवसर नहीं देना चाहते और अगर उस को रखते हैं, तो फिर ईमानदारी के साथ उतनी जगहें उन को देनी चाहिए, चाहे वे योग्य हों और चाहे वे अयोग्य हों। तभी यह मामला ठीक हो सकता है।

एक माननीय सदस्य : सही बात है।

डा० राम मनोहर लोहिया : यह तो मैं ने केन्द्रीय नौकरियों के बारे में कहा। उस के साथ साथ जरा छात्रावासों का भी मामला देख लीजिए। पंचवर्षीय योजना के अनुसार छात्रावासों पर ६६,६८,००० रुपया खर्च

होना चाहिए था, लेकिन उस में से ७५,००,००० रुपया ही खर्च हुआ है। इसी तरह अन्य बातों में भी पैसे की कमी रही। पैसे की कमी पर तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि बहुत दफा ऐसा होता है कि वर्ष के आखिर में ये योजना वाले लोग बहुत ज्यादा इधर-उधर खर्च कर दिया करते हैं। ज्यादा अच्छा हो कि पैसे के खर्च के माप को छोड़ कर, कितने छात्रावास बने, इस का माप रखा जाये और उस हिसाब से यह बहुत कम है। अगर केन्द्रीय नौकरियों और छात्रावासों, इन दोनों का ही आप रखा जाये, तो हमें मानना पड़ेगा कि अभी तक इन पिछड़ी जातियों यानी ३६ करोड़ छोटी जात के गरीब लोगों के बारे में कुछ भी नहीं, या करीब करीब कुछ भी नहीं, किया गया है।

एक बात शुरू में ही ध्यान में रखनी चाहिए। गरीब ऊँची जात वाले भी हैं और छोटी जात वाले भी हैं। तब मैं उन में क्या फर्क करता हूँ ? एक फर्क यह है कि छोटी जात के गरीबों का पेट भी कटता है और मन भी कटता है और ऊँची जात के गरीबों का केवल पेट कटता है और थोड़ा बहुत मन कटता है, लेकिन मन दोनों का कटता है। और जब तक हम इस फर्क को ध्यान में नहीं रखेंगे, आगे का कोई भी रास्ता समझ में नहीं आयेगा। पेट कटने के मामले में मेरे तीन आने वाले हिसाब से हरिजन आदिवासी और दूसरी पिछड़ी जातियाँ भी उसमें आती हैं और ऊँची जात के गरीब भी आते हैं।

श्री बाल्मीकी : तीन आने में अस्पृश्यता तो नहीं है।

डा० राम मनोहर लोहिया : अस्पृश्यता के बारे में तो मैं अभी माननीय सदस्य को किस्सा सुनाता हूँ कि इस सरकार के रहते हुए ऐसी बातें हो रही हैं कि मुझे कई दफा आश्चर्य होता कि माननीय सदस्य उधर

बैठे हुए हैं, जब कि उन को हमारे साथ बैठना चाहिए ।

अब मैं उस दृष्टि पर जाता हूँ, जिस के अनुसार ये सारी बातें होती रहती हैं । एक किस्सा पूना का है । सुमन नाम की लड़की और अन्ना नाम का लड़का । लड़की ऊँची जात की और लड़का छोटी जात का । दोनों में मुहब्बत हो गई । वह अक्सर हो जाया करता है । लड़की के भाई ने उस लड़के का कत्ल कर डाला । वह भी कभी-कभी हो जाया करता है । उस तरफ मैं आप का ध्यान नहीं खींचता हूँ, लेकिन इस पर मुकदमेबाजी हुई और सेशन जज ने जो फैसला दिया, उस के कुछ शब्दों को मैं आप के सामने रखना चाहता हूँ । ये फैसले भी लिखे जाते हैं ऐसी भाषा में, जो बड़ी मुश्किल से समझ में आती है । जज साहब ने कहा कि एक प्यार करने वाले भाई की हैसियत से मुजरिम ने देखा कि उस की बहन एक बहुत ही गन्दे आदमी के हाथों में पड़ गई है, ऐसा आदमी, जो कि बुद्धि, शिक्षा, पैसे और समाज के हिसाब से सुमन से बहुत ज्यादा नीचे था और यह भी कि समाज के नियमों के अनुसार उस की बहन की शादी एक कसाई से नहीं हो सकती थी । यह बात जज साहब लिखते हैं और यह संविधान बराबरी वाला संविधान है ! जज को इस बात से क्या मतलब कि किसी की शिक्षा, समाज में स्थान या पैसा कितना है ? क्या यही होता रहेगा कि एक बेपढ़ी औरत पढ़े-लिखे मर्द के साथ हमेशा शादी करेगी, जो कि ऊँची जातियों में हमेशा हुआ करता है, या कभी ऐसा भी होगा कि एक पढ़ी लिखी औरत एक बेपढ़े मर्द के साथ शादी करेगी ? हम मर्दों ने क्या सब मामला खो रखा है कि हम को पढ़ी लिखी औरतें न मिलें ? लेकिन जज साहब इस तरह का फैसला लिखते हैं ।

यह तो छोटे जज का फैसला है । फिर हाई कोर्ट के फैसले में यह लिखा गया है कि जिस लड़के को मारा गया था—वह बीस, इक्कीस

बरस का लड़का था, जब कि वह शादी कर सकता था, . . .

श्री बाल्मीकी : कब की बात है ?

डा० राम मनोहर लोहिया : १८ अगस्त, १९६० की । इस के बाद तो माननीय सदस्य इधर आ जायें ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो बहुत पुरानी बात है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : हज़ूर ने कहीं १८६० तो नहीं सुन लिया ? यह १९६० की बात है ।

हाई कोर्ट ने फैसला लिखा है कि वह लड़का यानी अन्ना उस लड़की के लिए बिल्कुल बेठीक था । लड़की पढ़ी-लिखी थी, बी० ए० दर्जे में पढ़ रही थी और वह लड़का तो खाली दूसरे दर्जे मराठी तक पढ़ा था ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब तो कोई लड़की और लड़का इस को नहीं मानता है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : तभी तो बेचारे की जान चली गई ।

मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के आधुनिक युग में अगर और कोई देश होता, तो फिर इस तरह के जज लोग ठहर नहीं पाते और निकाल दिये गए होते । परन्तु इस तरह के जज अभी तक हमारी हाई कोर्ट में भी बैठे हुए हैं और अपनी कुदृष्टि हर फैसले में दिया करते हैं । एक कत्ल हो जाता है और उस कत्ल के मुकदमे में सजा को कम करने के लिए वे अपनी बुरी दृष्टि को फैसले में ले आया करते हैं । मैं आप का ध्यान और आप के जरिये सारे देश का ध्यान इस बुरी बात की तरफ खींच देना चाहता हूँ ।

[डा० राम मनोहर लोहिया]

यह मैं आप को दृष्टि के बारे में बता रहा हूँ। वैसे मेरे पास राजस्थान के कम से कम पन्द्रह किस्से आये हैं और मैं चाहता हूँ कि यह कागज आप तक चला जाये। आप इस को सरकार को दे कर कुछ कार्यवाही करवाइये। इन बातों में से एक बात आप याद रखें। एक हरिजन कार्यकर्ता, कालूराम, १४-१०-६२ को जिला चुरू, झंझू गांव में, मार डाला गया। मामला था कि कुएं पर हरिजनों को पानी नहीं भरने दिया जाता था। ये पन्द्रह, बीस मामले हैं, मैं सब को यहां नहीं पढ़ूंगा। मैं आप को भेज दूँगे, जिससे आप ये सब मामले सरकार को दे कर कुछ कार्यवाही करवा सकें ?

उपाध्यक्ष महोदय : मेज पर रख दीजिए।*

डा० राम मनोहर लोहिया : उस तरह के न जाने कितने कत्ल वगैरह के मामले हुआ करते हैं।

एक मामला गनेसर का है। मुझे खुद मालूम है, क्योंकि उस वक्त इस मामले में हमारे समाजवादी दल के सत्यनारायण चौधरी की जान करीब करीब खत्म हो गई थी। गनेसर में एक गर्म सोता है। उस में हरिजनों को नहाने नहीं दिया जाता था। अब तो बहुत मेहनत करके, जान को जोखिम में डाल कर नहाने वाली बात शुरू हो गई है।

लेकिन इस सिलसिले में मैं एक नियम बताना चाहता हूँ। हम जो विरोधी दल के लोग भी हैं या जो राजनीतिज्ञ हैं, केवल सरकार ही नहीं, हम सब लोग भी इस मामले में कमजोर पड़ते हैं। जब मैंने यह किस्सा बताया तो इससे कहीं आप ऐसा न सोच लें कि हम लोग अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। हरिजनों और आदिवासियों के लिए जितनी लड़ाइयां लड़नी चाहियें, हम लोग उतनी नहीं लड़ पा रहे हैं। यह हो सकता है

कि मेरी पार्टी का आदर्श अच्छा हो लेकिन अमल अभी तक कमजोर है। इसलिए एक सैंकड के लिए भी मैं नहीं कहना चाहता कि खेत मजदूरों की लड़ाई अभी हम लोग लड़ पा रहे हैं। किन्तु अच्छे से अच्छा कानून बनने के बाद कानून को अमल में लाने की अगर शक्ति नहीं रहती जनता में तो वह कानून बेकार हो जाया करता है। जब जन-शक्ति और कानून दोनों का जोड़ होता है तब परिवर्तन और क्रान्तियां हुआ करती हैं। आज केवल कानून अधूतों के सम्बन्ध में, हरिजनों के सम्बन्ध में या पिछड़ों के सम्बन्ध में किताबों में लिखा हुआ है। लेकिन उसके साथ जन-शक्ति जुड़ी हुई नहीं है, इसलिए परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। चाहे आप जितनी रकम इनके ऊपर खर्च कर दें, जितनी रकम योजना में रख दें, इससे कुछ होने वाला नहीं है। यह मैंने एक बुनियादी बात बताई है।

जहां मैंने अपने कर्तव्य कहे, वहां सरकारी पार्टी के बारे में यह भी कह दूँ कि उनका अमल भी खराब है और उनका आदर्श भी खराब है। हमारा केवल अमल कमजोर है। इसी दृष्टि को आप और आगे बढ़ाइये तो जात की बुनियादी बात को सोचना पड़ेगा। यह जात लगी कैसे ? हमारा ही देश दुनिया में क्यों एक अभागा देश है इस मामले में ? और कहीं यह नहीं है, केवल हिन्दुस्तान में है। एक साफ सी बात है कि जात से योग्यता और अवसर का लगातार सिकुड़न होता रहता है। जब ऐसा होता है तो ४४ करोड़ लोगों में योग्यता नहीं रह पाती। वह सिकुड़ते सिकुड़ते पचास लाख लोगों में आ बसी। कैसी योग्यता ? दिमागी योग्यता, सामाजिक मामलों में कुछ कर सकने की योग्यता। और अवसर भी कम लोगों को मिलता है।

इस एक बड़े सिद्धांत की बात को मैं एक बार पहले भी रखना चाहता था। लेकिन कुछ चापलूस लोगों ने, कुछ नाजुक दिल वाले

*The Speaker not having subsequently accorded the necessary permission, the list was not treated as laid on the Table.

लोगों ने मुझ को समझा नहीं। मैं आज बजाय किसी और जात का नमूना आपके सामने रखूँ, मारवाड़ी जात का नमूना सब से पहले देना चाहता हूँ। वेश्य व्यापार करते हैं। तो सब से पहले ४४ करोड़ में से योग्यता खिंचते खिंचते, व्यापार की योग्यता, वैश्यों में आ टिकी। वैश्यों में भी खिंचते खिंचते वह मारवाड़ियों में आ चुकी। मारवाड़ी वेश्यों में से खिंचते-खिंचते योग्यता आकर टिकी शेखावाटी के लोगों में, शेखावाटी के सेठों में, जहाँ जात आ गई वहाँ योग्यता सिकुड़ती जायेगी। यह विल्कुल निश्चित नियम है। इसी नियम को मैं आगे लागू करना चाहता हूँ। लोग यह न समझ लें कि मैंने काश्मीरियों के बारे में कुछ कहा है। काश्मीरी तो बेचारे गरीब होते हैं। जो काश्मीर के अन्दर रहते हैं, काश्मीरी पंडित तक भी गरीब हैं। सिर्फ जो काश्मीर छोड़कर आ गए हैं, वे अमीर हो सकते हैं। मैंने तो काश्मीरियों का नाम तक नहीं लिया। खाली मैंने सिद्धांत की बात कही है। सिद्धांत में जाति प्रथा का सर्प, जाति प्रथा का श्राप जब तक चलता रहेगा तब तक जो आदमी ऊंची जगहों पर बैठे हैं वे अपने कुल को और अपनी जात के लोगों को ही बढ़ावा देते रहेंगे। अगर वह आदमी बहुत बड़ा हुआ तो अलबत्ता इस सर्प को मारेगा और इस श्राप को खत्म करेगा। लेकिन मामूली लोगों के हाथों यह कभी नहीं हो सकता है। जात की अवस्था ऐसी है कि उस में योग्यता और अवसर का सिकुड़न चलता रहता है।

दूसरी मिसाल मैंने आर्यंगरों की दी है। उन पर भी यही लागू होती है। आर्यंगरों से सिकुड़ते-सिकुड़ते यह चली गई बोदी में। बाकी जितने लोग हैं वे आधुनिक जमाने के लोग नहीं रह जाते हैं। वे केवल या तो मिट्टी खोदें या तरकारी बोंयें या बाल बनाने या कपड़ा धोयें। इस तरह की जो चीजें हैं इन से देश को नुकसान ही होता है, आप पूछेंगे कि जब इतनी गन्दी चीज है जात, तो...

उपाध्यक्ष महोदय अब आप जल्दी समाप्त करें।

डा० राम मनोहर लोहिया : जल्दी करूंगा तो मुश्किल हो जायेगी। डेढ़ हजार वरस के रोग को आप चाहते हैं मैं पन्द्रह मिनट में खत्म कर दूँ, यह कैसे हो सकता है।

जात में ताकत आई कहाँ से? जीना मरना सब जातियों के साथ चलता है। शादी व्याह सब जातियों के साथ चलता है। यहाँ तक कि जितनी ये बीमा कम्पनियाँ हैं, जो चल रही हैं, क्योंकि आदमी को अगर कहीं निश्चिन्तता रहती है तो तब रती है जब समूह की ताकत वह समझता है, हमारे पास रहेगी, ये इसी जात में आती हैं।

जब मैंने योग्यता की बात की तो एक चीज जरूर मैं साफ कर देना चाहता हूँ। वह असली योग्यता नहीं है, नकली योग्यता है, अपने लोगों को दबाने वाली योग्यता है, कुछ मानों में उठने बैठने और सिद्धांत बघारने की योग्यता है। अगर अपने देश में ऊंची जात और छोटी जात के बने हुए लोग हैं तो बाकी दुनिया के मुकाबिले में हम सबके सब ऋजिन हैं। यह बात तो संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान से साबित हो जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ में एक अन्तर्राष्ट्रीय जाति प्रथा है और वहाँ केवल चार ब्राह्मण हैं, जो पांचवाँ ब्राह्मण बेचारा है, वह डगमगा रहा है क्योंकि उसको वहाँ जगह नहीं मिल पा रही है। जो चार के चार हैं, वे गोरे हैं। एक इंग्लिस्तान है, एक फ्रांस है, एक अमरीका है और चौथा रूस है। यही चार ब्राह्मण हैं। बाकी सब के सब ऋजिन, आदिवासी या पिछड़े हैं। यह अन्तर्राष्ट्रीय जाति प्रथा जा कर बनती है। जब हम अपने देश में ३६ करोड़ छोटी जाति के गरीब लोगों को दबाते रहेंगे तो बाकी जो चार पांच करोड़ ऊंची जात के लोग हैं या पचास लाख बड़े

[डा० राम मनोहर लोहिया]

लोग हैं, उन के ऊपर यह अन्तर्राष्ट्रीय जाति प्रथा जा कर बैठ जायेगी ।

यह सही है कि कुछ दैवी गुण हमारे यहां कभी चलते रहते हैं । अन्तर्राष्ट्रीय जगत में हमने कुछ खरीद फरोख्त की हैं, सट्टेबाजी या भीख मांगने के हुनर हम ने हासिल किये हैं, पृथ्वी तरीके से या किसी और तरीके से और हम काम चला लेते हैं । लेकिन दर-असल में यह अवगुण है । फिर भी अपने सिद्धांत को बताने के लिये एक बात मैं कहना चाहता हूं । ब्राह्मणी तो आपको मिल जायेंगी जिसने रिजन से शादी की हो . .

कुछ माननीय सदस्य : नहीं ।

डा० राम मनोहर लोहिया : सैंकड़ों मिल जायेंगी । मैं खुद जानता हूं । लेकिन अहीरनी आपकी नहीं मिलेगी । इस बात को आप सोचिये कि ऐसा क्यों है । कोई यह न सोच बैठे कि द्विजों के खिलाफ मैं बोल रहा हूं । सच्ची स्थिति का बयान मैं करना चाहता हूं पिछड़े लोगों में अभी भी जाति प्रथा का नाश करने के लिए ताकत जो आनी चाहिये वह नहीं आ पा रही है । इस में गुस्सा करने की कोई बात नहीं है । अखिर को ब्राह्मण, वैश्य, ठाकुर वगैरह उस योग्य हैं कि उन के अन्दर ऐसी औरतें निकल आती हैं जो जातपात को तोड़ करके शादी ब्याह कर लेती हैं लेकिन अहीर, लोगों को, कुर्मी लोगों को, रेड्डी वगैरह को चुप नहीं बैठना चाहिये । उन में भी वह भावना और ताकत पैदा होनी चाहिये कि हम ऊंची जात वालों का मुकाबला करें । ऐसे मामलों में

Shri C. K. Bhattacharyya: Why not set an example?

डा० राम मनोहर लोहिया : इस उम्र में भट्टाचार्य जी? आपने अगर मझे बीस बरस पहले कहा होता तो बात और थी . . . (Interruptions.)

इस उम्र में नहीं । अब तक न जाने कहा कहां दोस्तियां पुरानी हो गई हैं (Interruptions.)

छोटी जात के लोग जो गरीब हैं, उनकी तरफ से मैं एक बात कहना चाहता हूं । दक्षिण अफ्रीका का अक्सर जिक्र किया जाता है और कहा जाता है कि दक्षिण अफ्रीका में वर्णभेद चला करके मनुष्य की इज्जत . . .

उपाध्यक्ष महोदय : बहस इस वक्त शेड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर की रिपोर्ट पर चल रही है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : बिल्कुल हरिजनो और आदिवासियों का मामला है और कुछ नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : बीस मिनट ले लिये है आपने ।

डा० राम मनोहर लोहिया : यह बात अलग है । अगर आप चाहें तो मैं इस बात को खत्म करने की कोशिश करूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी पार्टी का समय केवल ग्यारह मिनट था । बीस मिनट आपने ले लिये हैं ।

डा० राम मनोहर लोहिया : दल के हिसाब से आप कहें तो मैं बैठ जाता हूं । बात ऐसी है कि किसी को कुछ कहना होता है इन मामलों में और कोई होते हैं जो पार्टी के हिसाब से बोलते हैं । अगर आप की इच्छा हो तो मैं बोलूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : खत्म करने की कृपा कीजिये ।

डा० राम मनोहर लोहिया : कोशिश कर रहा हूं । मैं जल्दी-जल्दी चल रहा हूं । दक्षिण अफ्रीका में जितनी ज्यादा सफेद और कालों को अलग करने की कोशिश की जा रही है . . .

उपाध्यक्ष महोदय यह इरेलेबेंट है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : चमरहट्टी ये हरिजन लोग हैं । आपने गांव शायद नहीं देखे हैं, हिन्दुस्तान के । वहां चमार को, तेली को पद्मशाली को, इन सब को अलग अलग बसाया जाता है, निचली जमीन दी जाती है, बरसात के दिनों में दो तीन महीने तक उनको कीचड़ में रहना पड़ता है । दक्षिण अफ्रीका में तो केवल यंत्र के द्वारा सफेद मन और काले मन वाले लोगों में फर्क किया जाता है, लेकिन यहां यंत्र मंत्र से जुड़ करके बड़ा सत्यानाश किया करता है । इसी तरह से मैं अमरीका के नीग्रो की बातों को बतलाता जाता हूं । लेकिन सरकार और विरोधी दल इस मामले में एक समान हैं क्योंकि अगर कोई एक भी हरिजन थानेदार या कलेक्टर बन जाता है तो जो भी ऊंची जाति वाले लोग हैं, कुछ अपवादों को छोड़ कर, उन की आंखों में वह कंकड़ी की तरह गड़ने लग जाता है । लेकिन इस के साथ साथ मैं यह भी कह दूँ कि जो पिछड़े लोग, हरिजन लोग हैं, वे मन में इतनी उमंगें ले लेते हैं जैसे एकशेर मारकर आए हों, अब कुछ करने को नहीं रह गया । अब यह तबियत बदल जानी चाहिये क्योंकि ७ करोड़ हरिजनों में मुश्किल से ७० हजार हरिजन ऐसे होंगे, जिन को थोड़ा बहुत इस सरकार के द्वारा फायदा हुआ है । बाकी लोगों को नहीं हुआ है । तो सब कैसे उठाये जायें ?

इसके बाद मैं बाकी चीजों को छोड़ देता हूँ कि साढ़े छः एकड़ से कम खेती की लगान खत्म करो, मातृ भाषा चलाओ, बिजली का दाम कम करो, लेकिन एक चीज की तरफ जरूर ध्यान खींचना चाहूँगा, और वह यह कि तन्खवाहों की गैरबराबरी कम हो जानी चाहिये । आज प्राथमिक अध्यापक को २६० रोज मिलते हैं और दिल्ली विश्व-

विद्यालय के उपकुलपति को सुविधाओं? समेत कम से कम २०० या २५० ६० रोज मिल जाते हैं । यह कम होनी चाहिये । मैं यह बात बिल्कुल निश्चित देखता हूँ कि विकास जितना ज्यादा देश में होता चला जायेगा, अगर हम ने जाति के आधार को नहीं बदला तो गैरबराबरी की प्रथा चलती जायेगी । विकास का मतलब, भारत के, जाति प्रथा के रहते हुए गैर बराबरी का बढ़ना होगा । तो परीक्षाओं वगैरह में

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप का समय हो गया ।

डा० राम मनोहर लोहिया : जरा सा समय आप दे दें तो मेरी बात पूरी हो जायेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, माफ कीजिय । अब आप बैठ जाइये । श्री तुला राम—नहीं हैं ।

डा० राम मनोहर लोहिया : साहब, मैं पांच मिनट में खत्म कर देता ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रतन लाल—नहीं हैं ।

श्री बारूपाल ।

श्री प० ला० बारूपाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप ने मुझे अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति कमिश्नर की सन् १९६०-६१ और १९६१-६२ की रिपोर्ट पर बोलने का समय दिया । मैं कुछ बातें आप के सामने रखना चाहता हूँ ।

आज विशेष कर छुआछूत की बात सदन में कही जाती है । मेरी मान्यता है कि जब तक जाति प्रथा रहेगी, वर्ण व्यवस्था रहेगी और जब तक अन्तर्जातीय विवाह इस देश में नहीं होंगे, तब तक यह जाति प्रथा

[श्री प० ला० बारूपाल]

खत्म नहीं होगी। हमारे बहुत से सदस्यों ने आप के सामने अपने बयान पेश किये हैं। मैं जमीनों के बारे में कहना चाहता हूँ कि अभी तक हरिजनों को काश्त के लिये जमीनें नहीं मिलती हैं। यह बात बिल्कुल सही है। मैं समझता हूँ कि जमीन तब तक मिलने वाली नहीं है जब तक हमारा ऐसा कानून रहेगा। अब तक सीलिंग की बात कही जाती है। मैंने राजस्थान के समाचार पत्रों में पढ़ा कि राजस्थान में सीलिंग के लिये भूमि सुधार कानून आया। लेकिन हमारी सरकार ने वही किया कि जो बड़े-बड़े जमींदार पहले के हैं उनके पास तो ३० स्टैण्डर्ड एकड़ रहेगी। जो जमीन बचेगी उसे सरकार नीलाम करेगी और भूमिहीनों को केवल पांच एकड़ जमीन देगी। बतलाइये कि इस तरह हमारा विकास कैसे हो सकता है? मैं चाहता हूँ कि हर एक किसान जो स्वयम् काश्त करता है, उस के पास बराबर जमीन होनी चाहिये। हमारे साधू राम जी ने जमीन की बात कही। वे आदिवासियों के लिये रिजर्व करने की बात कहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि क्रिश्चियन और मुसलमानों के जितने कब्रस्तान बने हुए हैं, उन के लिये जितनी जमीन रिजर्व रहेगी उतनी भी हरिजनों के पास नहीं है। आप आंकड़े देख लीजिये। आज इस तरह की बातें चल रही हैं।

हमारी बहन जी ने कहा कि भंगियों की बड़ी दुर्दशा है, भंगियों की मुक्ति होनी चाहिये। यह चीज जरूरी है लेकिन भंगियों की मुक्ति कैसे हो सकती है? मेरी बहन ने कहने के लिये तो कहा कि औरतों को काम नहीं करना चाहिये, लेकिन अगर वे काम न करें तो शाम को रोटी के लाले पड़ जायेंगे, वे रोटी कहां से खायेंगे। आज देश के अन्दर बड़ी-बड़ी संस्थायें हैं, मैं समझता हूँ कि आज विलेज इंडस्ट्रीज ऐंड खादी बोर्ड के पास इतना बड़ा काम है, उसे इतना रुपया गवर्नमेंट से

मिलता है, लेकिन उन्होंने भंगियों की मुक्ति के लिये मेहतारानी को कोई चरखा चलाना नहीं सिखलाया। इतना रुपया लेकर अगर उन को कोई काम दे देते, तो मैं समझता कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है।

तीसरी चीज हमारी बहन जी ने पानी के बारे में कही। हरिजनों को एक साथ कुओं से पानी भरना चाहिये। एक साथ हरिजनों के कुओं से पानी भरने की बात तो दूर रही, जैसा लोहिया साहब ने उदाहरण दिया, हमारे एक बर्कर श्री कालू राम को, जिस ने पानी पिलाने का प्रयत्न किया, गोली से मार दिया गया। एक ही नहीं, इस तरह के बहुत से उदाहरण हैं। २४ जून को मूला राम के नाम का एक हरिजन था, जब वह पानी भरने गया तो उस को भी गोली का शिकार बनाया गया। इस तरह से राजस्थान के अन्दर सैकड़ों उदाहरण मिल जायेंगे। हमारे आदमी कहते हैं कि हमें रोटी मिलनी चाहिये, कपड़े मिलने चाहिये, हम भिखमंगों की तरह भीख नहीं मांगते। हम को कपड़ा रोटी दे दो, यही काफी नहीं है। हमें कपड़ा और रोटी के साथ इज्जत भी चाहिये।

“अधम चाहत है द्रव्य को, मध्यम धन
अरु मान,
उत्तम चाहत है मान को, जाके धन
सम्मान।”

मनुष्य के पास अगर इज्जत न हो तो रुपया चाहे कितना ही हो। हम को खाली रुपये पैसे से मोह नहीं है, हम चाहते हैं कि देश के अन्दर गरीब और अमीर का बराबर सम्मान बढ़े।

दूसरा उदाहरण शास्त्री जी ने दिया कि आज ईसाई मिशनरी यः करते हैं, वः करते हैं और इस तरह से ईसाई बनाये जाते हैं। लेकिन आखिर ईसाई लोग क्यों बनते हैं? आपको इसका उदाहरण देता हूँ :

“हिन्दुओं में अगर बेरूखाई न होती, तो भारत में आई तबाही न होती, अगर प्यार दिल से अछूतों को करते, तो यह कौम प्यारो ईसाई न होती।”

एक माननीय सदस्य : यह आपकी बनाई हुई है ?

श्री प० ला० बारूपाल : मैं उद्धरण दे रहा हूँ। मेरी बनाई हुई नहीं है। आखिर यह लोग क्यों ईसाई बनते हैं ?

“कटा करके चोटी न बनते विधर्मी, अगर इन पे यों दबदबाई न होती, अगर पाठ गीता का उनको पढ़ाते, तो कुरां बाइबिल की पढ़ाई न होती। मन्दिरों में इन्हें गर रुकावट न होती, तो मस्जिद में सुरती लगाई न होती, अहिंसा धर्म का जो उपदेश देते, यह गउओं की गर्दन कटाई न होती।”

अगर हिन्दू समाज हमका अपनाता तो यह तबाही न होती। लेकिन हिन्दू समाज ने जो पाप किया है उसका प्रायश्चित्त वह नहीं करते। मेरे कहने का मतलब यह है कि आखिर कोई धर्म परिवर्तन करता है तो क्यों करता है ? हिन्दू कोई कुछ तो करता नहीं है। एक मुावरा है :

“पापी न कभी हरि भजे, पापी यश न लेय,
जैसे अटुया खेत में, खावं न खावन देय।”

खुद तो आप लोग करते नहीं हैं, दूसरे कुछ करते हैं तो उनके लिए कहते हैं कि यह लालच देते हैं, यह देते हैं, वह देते हैं। जब आदमी भूखा होगा तो वह दिल से खाने की कोशिश करेगा।

यों माननीय सदस्यों ने कहा कि योजना कमिशन में हरिजन होना चाहिये।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या रामदासिये बाल्मीकियों को 1059 (Ai) L.S.—10.

लड़कियां देते हैं ? क्या बाल्मीकी लोग देयों को देते हैं या आप दूसरों की ही बात करते हैं। जरा उत्तर दीजिये। यह सारे हिन्दुओं के अन्दर पड़ा हुआ है। जो हिन्दू है उसके अन्दर भरी है यह बीमारी।

श्री प० ला० बारूपाल : यह बीमारी आप लोगों की पैदा की हुई है, यह ऊपर से आई हुई है। स्वामी जी, कम से कम आपको इसको समझना चाहिये। अगर स्वामी जी ने मुझे छेड़ा तो मैं व्यक्तिगत बात के ऊपर आ जाऊंगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि योजना कमिशन की बात तो दूर रही, मेरी मान्यता है कि हरिजनों की जो प्राब्लेम्स हैं उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। यहां हमारी मंत्रिणी जी बैठी हुई हैं वे भी एक दुखी हरिजन हैं। लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट का हेल्थ डिपार्टमेंट है, विकास का डिपार्टमेंट है, वित्त का डिपार्टमेंट है अगर मिनिस्ट्रों को फुसंत नहीं है हरिजनों की बात को समझने की तो कम से कम प्रत्येक डिपार्टमेंट का एक अधिकारी यहां होना चाहिये। खाली होम डिपार्टमेंट क्या करेगा। हरिजनों की ऐसी समस्या है जिसका प्रत्येक विभाग से सम्बन्ध है।

श्री उ० म० त्रिवेदी (मन्दसौर) : मंत्रिमंडल तक में तो मिनिस्टर नहीं है उनका।

श्री प० ला० बारूपाल : मैं राजस्थान की बात कर रहा था। अभी मैंने अखबार की एक कटिंग पढ़ी कि हमारे उच्च न्यायालय में किसी ने अपील की थी। उस अपील के आधार पर जो रिजर्वेशन रद्द करता था उसके लिये कह दिया गया कि कोई रिजर्वेशन पेन्डिंग नहीं रहेगा। एक साल के लिये रहेगा दूसरे साल में खत्म कर दिया जायेगा। क ने के लिये कहते हैं कि सूटेबिल आदमी हरिजनों में नहीं मिलता है, लेकिन यह गलत बात है और नामुमकिन बात है। बल्कि यह ईमानदारी की बात नहीं है। जो आदमी

[श्री प० ला० बारूपाल]

नियुक्ति करता है वः ईमानदारी से नहीं करता है, ऐसे उदाहरण भी हैं। लेकिन मैं इसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता। इस संसद में इतने आदमी हैं, दूसरे लोग हैं। मेरी एक आदमी से व्यक्तिगत बात हुई तो उसने कहा कि जो आदमी मेरे पास भेजते हो तो कम से कम ऐसा करो कि कोई दूसरी जाति के लोगों को भेजो, क्या इन चूड़ी चमारों को भर कर क्या करोगे। यह हालत है दफ्तरों की।

17 hrs.

दूसरे इस सदन में यह भ्रांति पैदा कर दी गयी है कि सरकारी सहायता से कुछ खास वर्ग फायदा उठाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि वे कौन सी जातियां हैं जो इस प्रकार फायदा उठा रही हैं? आप देख लीजिये कि इस मूलक में बहुसंख्यक कौन हैं। जो कुछ सरकार से मिलता है वह जनसंख्या के आधार पर मिलता है। उस जाति ने कुर्बानी भी ज्यादा की है।

Mr. Deputy-Speaker: Shall we sit till he finishes his speech?

Shri Vishram Prasad: He may continue tomorrow.

Mr. Deputy-Speaker: It is raining outside. We can sit for five or ten minutes more.

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): No.

Mr. Deputy-Speaker: I think, let him finish his speech. He can take his ten minutes and finish his speech.

Shri Kapur Singh (Ludhiana): It is raining outside. Let him finish his speech.

श्री प० ला० बारूपाल : मैं कहना चाहता हूं कि जो हरिजन स्कूलों में पढ़ते हैं अगर वे पानी पी लेते हैं तो उनको दंड दिया जाता है। इसके मैं तीन उदाहरण दे सकता

हूं। दो तीन हरिजन मास्टरों ने मुझसे शिकायत की कि जिस स्कूल में हम पढ़ाते हैं उनका हेड मास्टर ब्राह्मण है और उसने हम पर हमला कराया और हमको नौकरी से निकलवाना चाहता है। ऐसे उदाहरण मेरे पास हैं।

राजस्थान में हम श्रमसेवी संस्था के लोग जो काम करते हैं उसके लिए हमको सात सात महीने तक एड नहीं मिलती। इस तरह यह काम कैसे होगा?

श्री रामेश्वरानन्द : मेरी बात का जवाब आना चाहिए। जब तक ये बाल्मीकी के लड़के को अपनी लड़की नहीं देंगे तब तक यह नीचे ऊपर की बात नहीं टूट सकती। जब आप अपनी तरफ से नहीं तोड़ते तो कुछ गिने चुने लोग इसको नहीं तोड़ सकेंगे। मुझे आप गलत न समझें।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको भी समय मिलेगा।

श्री प० ला० बारूपाल : मैं पहला व्यक्ति हूं अपनी जाति में जिसने जाति के बाहर अपनी लड़की का विवाह करना चाहा। मैंने आर्य समाज द्वारा शिक्षा प्राप्त की, उन्होंने मुझे जनेऊ दिया, पढ़ाया लिखाया। मेरे एक लड़की हुई। तो जब वह विवाह योग्य हुई तो मैंने आर्य समाज में जाकर कहा कि मैं किसी आर्य समाजी के साथ इसका विवाह करना चाहता हूं। उस समय मुझसे कहा गया कि देख भाई इसके लिये कोई लड़का देखेंगे अनाथालय में जिसके मां बाप का पता नहीं। इस पर मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने जनेऊ तोड़ कर फेंक दिया और चला आया.....

श्री रामेश्वरानन्द : अपनी लड़की माननीय सदस्य बाल्मीकी को देने को तैयार हैं या नहीं। मेरी बात का जवाब नहीं देते।

उपाध्यक्ष महोदय : स्वामी जी, आर्डर, आर्डर । इस तरह काम नहीं हो सकता । चाहें तो कल आपको वक्त मिलेगा ।

श्री प० ला० बारूपाल : स्वामी जी की स्थिति तो यह है :

भरम्या मूंड मुड़ावे भरम्यां लेवे भेष,
खबर नहीं गत मुक्त की, भूटा करे अलेस ।

खिड़की खड़का ना मिटा, घड़ का मिटा न देह,

फड़िका मिटा न मन का तब क्या फकीरी ले ।

Mr. Deputy Speaker: He should not make personal remarks.

श्री रामेश्वरानन्द : मैंने कोई गलत बात कही है ? यह सदन में बोलने लायक बात नहीं है । क्या यह सज्जन सदन के लायक हैं । मैंने कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं किया है ।

श्री प० ला० बारूपाल : मैं यह साबित कर सकता हूँ कि मैंने आर्यसमाज में कहा कि मैं अपनी लड़की आर्य समाजी को देना चाहता हूँ ।

श्री रामेश्वरानन्द : मैंने इस बात का उत्तर मांगा है कि क्या आप बाल्मीकी को लड़की देना चाहते हो ?

श्री प० ला० बारूपाल : जहां तक हरिजनों के उत्थान का सवाल है, मैं राजस्थान के बारे में कहता हूँ कि वहां का हरिजन बहुत पिछड़ा हुआ है । उन लोगों के पास जो जमीन है उसकी बेदखलियां हो रही हैं और बड़े बड़े जमींदार उनकी जमीनों को ले रहे हैं । मेरा मंत्राणी जी से निवेदन है कि वहां पर जो काम किया जाए वह अच्छी तरह से किया जाए ।

अब मैं विलेज इंडस्ट्री के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ । हम लोग बुनाई का काम करते थे, खादी का काम करते थे, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज वह काम भी हमारे हाथ से छिन गया है । खादी बोर्ड ने वह काम अपने हाथ में ले लिया है । और एक जाल सा बिछा दिया है । अगर इनके प्रयत्न से ५० करघों की जगह सौ करघे हो जाते तो हम समझते कि इन्होंने हमारे काम की उन्नति की । लेकिन हुआ यह है कि हमारे यहां पचास से तीस करघे ही रह गये । वहां भाई भतीजा-वाद चल रहा है और काम को इस तरह बांटा है कि हमको काम मिलता ही नहीं । बहुत झगड़ा करने के बाद उन्होंने हमको प्रमाण पत्र दिये हैं और कुछ काम देते हैं लेकिन हमको काम बहुत कम मिल पाता है । इसका कारण यह है कि खादी बोर्ड की एक एजेंसी बीच में आ गयी है । उसको खत्म किया जाए । मेरा निवेदन है कि इन खादी की संस्थाओं को जो सरकार की तरफ से लोन मिलता है न मिलना चाहिए, क्योंकि इनमें भ्रष्टाचार है, लाखों रुपये का गबन होता है । यह रोज मर्रा की बात है । इस तरह ध्यान दिया जाए ।

स्वामी जी की बात के कारण कुछ विषयान्तर हो गया । इसके लिए मुझे क्षमा करेंगे । और दूसरे भी बोलना चाहते हैं, इसलिए मैं समाप्त करता हूँ ।

Mr. Deputy-Speaker: The House stands adjourned till 11 A.M. tomorrow.

17.06 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, September 4, 1963/Bhadra 13, 1885 (Saka).